



श्रीविरा पत्रिका

मासिक

वर्ष : 59 | अंक : 02 | अगस्त, 2018 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹15



‘अन्नपूर्णा दध योजना’





सत्यमेव जयते



वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा
एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

“प्रत्येक नागरिक शिक्षित होकर राष्ट्र, समाज के विकास में अपना अपरिमित योगदान देकर स्वयं को गौरवान्वित समझे। हम इस पवित्र ध्येय के सच्चे वाहक हैं, इस पवित्र लक्ष्य के संधानकर्ता बनकर राष्ट्र एवं समाज को कुरीतियों, बुराइयों एवं अन्धविश्वासों से मुक्त करावें एवं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ावें।”

सच्ची आजादी : शिक्षा सर्वत्र

अ

गर्व-क्रांति 1940 और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत की चिरप्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्ति, अगस्त माह को सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण बना देती है। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर प्रफुल्लित उत्साहित एवं जोश-खरोश से लबरेज हुआ। लेकिन सच्ची आजादी हमें तभी प्राप्त होगी जब शिक्षा का सर्वत्र प्रचार-प्रसार एवं सर्वव्यापीकरण होगा।

प्रत्येक नागरिक शिक्षित होकर राष्ट्र, समाज के विकास में अपना अपरिमित योगदान देकर स्वयं को गौरवान्वित समझे। हम इस पवित्र ध्येय के सच्चे वाहक हैं, इस पवित्र लक्ष्य के संधानकर्ता बनकर राष्ट्र एवं समाज को कुरीतियों, बुराइयों एवं अन्धविश्वासों से मुक्त करावें एवं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ावें।

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के वाहक, 'रामचरित मानस' के महान लेखक व कवि तुलसीदास जी की जयंती 17 अगस्त को प्रतिवर्ष की भाँति हम मनावें तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेवें।

भाई-बहिन के पवित्र रिश्ते एवं प्रतिबद्धता के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व को 26 अगस्त के दिन बड़े रनेह के साथ मनाया जाए। इस देश की गौरवशाली संस्कृति एवं इतिहास के अनुरूप हमें वात्सल्य एवं ममता प्रदान करने वाली मातृ शक्ति को रक्षा सूत्र के साथ ही संकल्पित भाव से प्रगाढ़ता प्रदान करते हुए नारी शक्ति के सम्मान को हम अक्षुण्ण बनाए रखें। इसके लिए हमारे विद्यार्थियों एवं बच्चों को संरक्षित करने की महती आवश्यकता है। इस दिवस को 'संस्कृत दिवस' के रूप में भी हर्षोल्लास से मनाया जाए।

हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के माध्यम से देश का लोहा विश्व पटल पर मनवाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर द्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में 'खेल दिवस' के रूप में मनायी जाती है। हम सब संकल्प लें कि मेजर द्यानचंद जैसे खिलाड़ी हमारे विद्यालयों के खेल मैदानों से तैयार हों।

सभी साथियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

(वासुदेव देवनानी)



मासिक शिविरा पत्रिका



न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते -श्रीमद्भगवद्गीता 4 / 38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 59 | अंक : 2 | श्रावण-भाद्रपद कृ. २०७५ | अगस्त, 2018

प्रधान सम्पादक
नथमल डिडेल

*

वरिष्ठ सम्पादक
डॉ. राजकुमार शर्मा

*

सम्पादक
गोमाराम जीनगर
मुकेश व्यास

*

सह सम्पादक
सीताराम गोदारा
प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 15

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर-334 011

दूरभाष : 0151-2528875

फैक्स : 0151-2201861

E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in
shivirasedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

-वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

टिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- | | |
|--|----|
| ● हमारा दृढ़ निश्चय : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा | 5 |
| आलेख | |
| ● संविधान सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का भाषण | 6 |
| सूर्य प्रताप सिंह राजावत | |
| ● व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन अविनाश चौधरी | 8 |
| ● छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ मनीष कस्वा | 11 |
| ● रैपर का सहायक सामग्री के रूप में उपयोग ओमप्रकाश तंवर | 41 |
| ● राष्ट्रीय खेल दिवस भंवर सिंह | 42 |
| ● स्कूल बना एजूकेशन एक्सप्रेस राजेश कुमार तिवारी | 43 |
| राजस्थानी कविता | |
| ● सूरत बदल्गी टाबरां, जन जन करौ विचार लालाराम प्रजापत | 43 |
| मासिक गीत | |
| ● हम करें राष्ट्र आराधन साभार : 'राष्ट्रवंदना' पुस्तक से | 15 |

रपट

- | | |
|---|-------|
| ● 24वां भामाशाह सम्मान समारोह-2018 | 36 |
| शिक्षा के लिए दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ : मेघवाल महावीर प्रसाद गर्ग | |
| स्तम्भ | |
| ● पाठकों की बात | 4 |
| ● आदेश-परिपत्र | 19-34 |
| ● पञ्चाङ्ग (अगस्त, 2018) | 35 |
| ● विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम | 35 |
| ● शाला प्रांगण | 47-48 |
| ● चतुर्दिक समाचार | 49 |
| ● हमारे भामाशाह | 50 |
| पुस्तक समीक्षा | |
| ● जंग जारी है (रेडियो नाटक) लेखक : दीनदयाल शर्मा समीक्षक : डॉ. प्रमोद कुमार चमोली | 44-46 |
| ● राजस्थान की लोक संस्कृति लेखक : डॉ. किरण नाहटा संपादक : पी.आर. लील समीक्षक : पृथ्वी राज रत्नू | |
| ● प्रेरणा के स्वर सम्पादक : ज्ञानेश्वर सोनी समीक्षक : डॉ. शिवराज भारतीय | |

मुख्य आवरण :

नारायणदास जीनगर, बीकानेर



पाठकों की बात

● जुलाई 2018 का अंक बेहतरीन आवरण व पंचाङ्ग के साथ समय पर प्राप्त हुआ। प्रवेशोत्सव को लेकर मंत्री जी की 'अपनों से अपनी बात' व 'दिशाकल्प-मेरा पृष्ठ' में निदेशक महोदय की भावना प्रकट होती है जो शिक्षा जगत के उन्नयन में सहायक होगी। हम सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर ध्यान देवें। प्रवेशोत्सव पर हुनरमान सिंह गुर्जर का 'प्रेरणा-पद' एवं मुरलीधर सोलंकी द्वारा प्रस्तुत मासिक गीत-'स्वयं अब जाग कर हमको' प्रेरणादायी है। विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी समेलन व सखा संगम तथा विशाल स्तर पर सहयोग देने वाले भामाशाहों को अधिक जगह देने से इसमें अवश्य बढ़ोतारी होगी। शालाओं के प्रांगण में ही गतिविधियों के प्रकाशन को अधिक जगह की आवश्यकता है। पत्रिका में शिक्षक उपयोगी सामग्री के साथ बाल उपयोगी सामग्री भी देवें ताकि पुस्तकालय में वे भी पढ़कर ज्ञानवर्द्धन कर सकें। शानदार लेखों के संकलन में सम्पादक मण्डल की दूरदर्शिता प्रकट होती है। सभी लेखकों का बहूपयोगी लेख भेजने पर हार्दिक आभार।

भागीरथराम, सीकर

● 'शिविरा' पत्रिका का माह जुलाई 2018 का आवरण प्रोफेशन स्वरूप (पत्रिका का मुख्यावरण) लेकर प्रकट हुआ है। इससे पत्रिका को देखते ही हर किसी की एक बार अवश्य ही पढ़ने की इच्छा होती है। आवरणकर्ता को इसके लिए धन्यवाद। मंत्री जी की 'अपनों से अपनी बात' व निदेशक महोदय के 'दिशाकल्प' प्रेरणादायी है। जुलाई अंक की प्रतीक्षा प्रत्येक शिक्षक को रंगीन वार्षिक शिक्षा विभागीय पंचाङ्ग के कारण से रहती है। यदि यही रंगीन पंचाङ्ग मासिक रूप से प्रतिमाह आने लग जाए तो शायद प्रत्येक शिक्षक इसके स्वेच्छा से सदस्य बन जाएँ। इससे पंचाङ्ग के साथ-साथ प्रत्येक शिक्षक पत्रिका में नियमित प्रकाशित आदेश परिपत्र व आलेखों तथा शैक्षिक नवाचारों से अवगत हो सकेगा। इस अंक में सभी आलेख बहूपयोगी हैं जैसे- दिलीप परिहार का 'ज्ञान संकल्प पोर्टल', वृद्धिचन्द्र गोठवाल की 'अध्यापक दैनन्दिनी' मूलचंद बोहरा का 'चाल पैतरे व सीखने की जुगत' आदि। शिवरतन जी थानवी के बारे में स्मृतिशेष स्वरूप सूर्यप्रकाश जीनगर का आलेख 'शिक्षा दान से देहदान का अभूतपूर्व सफर' स्वतः थानवी जी को नमन करने

का भाव जाग्रत करता है। शाला प्रांगण दो माह बाद पढ़ने को मिला। इसे नियमित रूप से प्रकाशित किया जाए तथा फोटो को भले ही B/W छापा जाए पर कुछ बड़े किए जाए। सम्पादक मण्डल को अंक की न केवल सुन्दरता बल्कि उपयोगितापूर्ण बनाने हेतु किए गए सामूहिक सदप्रयासों के लिए हृदय से नमन।

देवीलाल राठौड़, बाड़मेर

● माह जुलाई 2018 का अंक समय पर मिला। 'शिविरा' पढ़कर मन प्रसन्न हुआ। सम्पादक मण्डल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप द्वारा अच्छे लेखकों का लेख चयन कर हम जैसे पाठकों तक उपलब्ध कराते हैं जिससे 'शिविरा' रुचिकर लगने लगी। मैं उन लेखकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छे लेख 'शिविरा' के लिए लिखे जैसे श्री भूमल सोनी का लेख 'स्वच्छता', डॉ. राजेन्द्र श्रीमाली का लेख 'बुद्धि विवेक', श्री हुनरमान सिंह गुर्जर की कविता 'प्रेरणा-पद', मासिक गीत, श्री दीप सिंह यादव की रपत 'गुरु वंदन-सखा संगम' पढ़कर सारा दृश्य जीवन्त हो गया। मैं पुनः 'शिविरा' के सम्पादक मण्डल से निवेदन करता हूँ कि आप इसी प्रकार के लेखकों का चयन कर हम सभी के दिल को जीतने प्रयास करते रहें।

मुरलीधर पालीवाल, बीकानेर

● माह जुलाई, 2018 का अंक समय पर मिला, जिसके आवरण पृष्ठ पर प्रदर्शित फोटो गुरु वंदन पर्व तथा उत्तरोत्तर शिक्षा विभाग की प्रगति को प्रकट करती है। माननीय मंत्री महोदय तथा निदेशक महोदय ने नव शैक्षिक सत्र के शुभारंभ पर 'नव ऊर्जा-नव उत्साह' के साथ राज्य को शैक्षिक जगत का सिरमौर बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हो कर्तव्य पथ पर बढ़ने का आह्वान किया है। 'शिविरा' के इस अंक में प्रकाशित आलेख उत्कृष्ट, ज्ञानवर्द्धक व प्रेरणादायी है। 'ज्ञान संकल्प पोर्टल', 'शाला दर्पण: क्रांतिकारी पहल' आलेख विद्यालय विकास में समाज की सहभागिता तथा सूचना तकनीकी के रूप में विभाग में हो रहे नवाचारों को झंगित करते हैं। इसी प्रकार- 'अध्यापक दैनन्दिनी', 'संस्थाप्रधान में लीडरशिप', 'बदलते परिवेश में शिक्षक की भूमिका' आदि आलेख ज्ञानवर्द्धक होने के साथ-साथ कर्तव्य के प्रति सजग करने वाले हैं। 'शिविरा' में प्रकाशित अन्य आलेख शैक्षिक तथा साहित्यिक दृष्टि से पठनीय व ग्रहणीय हैं अर्थात् संपूर्ण अंक उत्तम सामग्री को समेटे हुए हैं इसके लिए सम्पादक मण्डल का साधुवाद।

प्रकाशचन्द्र शर्मा, बाँसवाड़ा

▼ घिन्टना

पात्रतायां विकासोऽयं
ह्यनेकानेक-सम्पदाभू।
उपलब्धि विभूतीनां
पञ्चांश्च केवल स्मृतः॥
(प्रज्ञा. प्र.म.अं. 2.61)

अर्थात्- पात्रता का विकास
अनेकानेक विभूतियों और सम्पदाओं
की उपलब्धि का एकमात्र मार्ग है।



नथमल डिडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

“प्रवेशोत्सव के बाद उत्साहजनक नामांकन वृद्धि ने राजकीय विद्यालयों के संस्थाप्रधानों और शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। शैक्षिक उत्कृष्टता की कसौटी पर राजकीय विद्यालयों ने बोर्ड परीक्षा के सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर अपने को सिद्ध किया है, श्रेष्ठता की इसी परम्परा को और आगे बढ़ाते हुए शिखर पर ले जाना है। संस्थाप्रधान और शिक्षक अपने कार्य व्यवहार से कार्यस्थल पर आदर्श प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु पूरे मनोयोग से कार्य करें।”

ट्रिशाक्लप : मेरा पृष्ठ

हमारा दृढ़ निश्चय : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

रा प्लीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत-बहुत बधाई! हार्दिक शुभकामनाएँ!!

प्रत्येक भारतीय के लिए 15 अगस्त, गर्व और गौरव का महान उत्सव है। यह अधिकारों पर कर्तव्य की वरीयता के आत्मावलोकन का विशिष्ट दिवस है। आइए, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम दृढ़ संकल्पित हों कि अपनी कार्यक्षमता का शतप्रतिशत राष्ट्र निर्माण में देने का प्रयास करेंगे।

हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का सुअवसर मिला है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि गाँव-ढाणी, दूर दराज क्षेत्र के प्रत्येक राजकीय विद्यालय में भी विद्यार्थियों को आनन्ददायी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

प्रवेशोत्सव के बाद उत्साहजनक नामांकन वृद्धि ने राजकीय विद्यालयों के संस्थाप्रधानों और शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। शैक्षिक उत्कृष्टता की कसौटी पर राजकीय विद्यालयों ने बोर्ड परीक्षा के सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर अपने को सिद्ध किया है, श्रेष्ठता की इसी परम्परा को और आगे बढ़ाते हुए शिखर पर ले जाना है। संस्थाप्रधान और शिक्षक अपने कार्य व्यवहार से कार्यस्थल पर आदर्श प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु पूरे मनोयोग से कार्य करें।

सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर त्वरित गति से पदस्थापन किए गए हैं। विषय अध्यापकों के पदोन्नति और पदरस्थापन से प्रत्येक शाला में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण बना है। शिक्षक सत्रारम्भ से ही परिणाम केन्द्रित योजना बना कर विद्यार्थियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने हेतु तैयार करें। चाहे शिक्षा परीक्षा हो या खेलकूद प्रतियोगिता विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिरूपर्धा जाग्रत कर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तैयार करें। विद्यार्थी खेल को खेल की भावना से खेलें। अपनी जीत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।

संस्थाप्रधान शिक्षकों, अभिभावकों और भामाशाहों से बेहतर समन्वय करके शाला उद्घायन के कार्यों को प्राथमिकता से सम्पादित करें। सामुदायिक सहभागिता से अपने क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाने में कोई कमी न रखें।


सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ....!

(नथमल डिडेल)

14 अगस्त 1947

संविधान सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का भाषण

□ सूर्य प्रताप सिंह राजावत



(14 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अंग्रेजी में भाषण दिया था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भाषण में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने भारत के बंटवारे पर चिंता जाताई तथा यह आशा रखी कि भारत विश्व को युद्ध, मृत्यु और विध्वंस का विकल्प प्रस्तुत करेगा। सूर्य प्रताप सिंह राजावत, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के भाषण का हिंदी अनुवाद संविधान सभा के बाद-विवाद, पुस्तक संख्या 2 खण्ड IV से VI से, शिविरा को उपलब्ध कराया गया है।)

भाषण: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सभापति, संविधान सभा: हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर वर्षों के संघर्ष और जद्वाजहाद के बाद हम अपने देश के शासन की बागड़ोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है और हम उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हँसते-हँसते फाँसी की तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए, जिन्होंने जेलखाना

Thursday, the 14th August 1947
The Fifth Session of the Constituent Assembly of India commenced in the Constitution Hall, New Delhi, at Eleven P.M., Mr. President (The Honourable Dr. Rajendra Prasad) in the Chair.

SINGING OF VANDE MATARAM

Mr. President : The first item on the Agenda is the singing of the first verse of *VANDE MATARAM*. We will listen to it all standing.

Shrimati Sucheta Kripalani (U. P.: General) sang the first verse of the VANDE MATARAM sang.

PRESIDENT'S ADDRESS

Mr. President : (Mr. President then delivered his address in Hindustani the fun text of which is published in the Hindustani edition of the Debates.)

In this solemn hour of our history when after many years of struggle we are taking over the governance of this country, let us offer humble thanks to the Almighty Power that shapes the destinies of men and nations and let us recall in grateful remembrance the services and sacrifices of all those men and women, known and unknown, who with smiles on their face walked to the gallows or faced bullets on their chests, who experience living death in the cells of the Andamans, or spent long years in the prisons of India, who preferred voluntary exile in foreign countries to a life of humiliation in their own, who not only lost wealth and property but cut themselves off from near and dear ones to devote themselves to the achievement of the great objective which we are witnessing today.

Let us also pay our tribute of love and reverence to Mahatma Gandhi who has been our beacon light, our guide and philosopher during the last thirty years or more. He represents that undying spirit in our culture and make-up which has kept India alive through vicissitudes of our history. He it is who pulled us out of the slough of despond and despair and blew into us a spirit which enabled us to stand up for justice to claim our birth-right of freedom and placed in our hands the matchless and unfailing weapon of Truth and Non-violence which, without arms and armaments has won for us the invaluable prim of Swaraj at a price which, when the history of these times comes to be written, will be regarded as incredible for a vast country of our size and for the teeming millions of our population. We were indifferent instruments that he had to work with but he led us with consummate skill, with unwavering determination, with an undying faith in our future, with faith in his weapon and above all with faith in God. Let us prove true to that faith. Let us hope that India will not, in the hour of her triumph, give up or minimise the value of the weapon which served not only to rouse and inspire

में और कालापानी के टापू में घुल-घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग किया, जिन्होंने बिना संकोच माता-पिता, स्त्री-संतान, भाई-बहिन यहाँ तक कि देश को भी छोड़ दिया और धन-जन सबका बलिदान कर दिया। आज उनकी तपस्या और त्याग का ही फल है कि हम इस दिन को देख रहे हैं।

हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। तीस वर्षों से वह हमारे पथ-प्रदर्शक (राह दिखाने वाले) और एकमात्र आशा और उत्साह की ज्योति बने रहे हैं। हमारी संस्कृति और जीवन उस मर्म का वह प्रतीक है जिसने हमको इतिहास की आफतों और मुसीबतों में भी जिन्दा रखा। निराशा और मुसीबत के अंधेरे कुएँ से हमको उन्होंने खींच निकाला और हमारे दिलों में ऐसी जिन्दगी फूँकी कि हमें अपने जन्मसिद्ध अधिकार (स्वराज्य) के लिए दावा पेश करने की हिम्मत और ताकत आयी और उन्होंने हमारे हाथों में सत्य और अहिंसा का अचूक अस्त्र दिया जिसके जरिये बिना हथियार उठाए स्वराज्य का अनमोल रत्न इतने कम दाम में, इने बड़े देश के लिए और यहाँ के करोड़ों आदमियों के लिए हमने हासिल कर लिया। हमारे जैसे कमज़ोर लोगों को भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, अचल संकल्प के साथ और देश के लोगों में, अपने अस्त्र में और सबसे अधिक ईश्वर में अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चे और अटल बने रहें। मैं आशा करता हूँ कि अपनी विजय की घड़ी में हिन्दुस्तान उस अस्त्र को नहीं छोड़ेगा और उसके मूल्य को कम करके न आंकेगा जिसने उसे निराशा के गर्त से निकाल कर ऊपर उठाया और जिसने अपनी शक्ति और उपयोगिता को भी

प्रमाणित कर दिया है। संसार के भविष्य के निर्माण में जब लड़ाई से दुनिया के लोग ऊब गये और घबराये हुए हैं, उस अस्त्र को बड़ा काम करना है। लेकिन ये बड़ा काम हिन्दुस्तान दूर से दूसरों की नकल करके न ही पूरा कर सकता है और न हथियारों को जमा करने और ऐसे अस्त्रों के बनाने में, जो ज्यादा से ज्यादा बराबरी कम से कम समय में कर सकते हैं, दूसरों से मुकाबला करके वह पूरा कर सकता है। आज इस देश को मौका मिला है और हम आशा करते हैं कि इसमें उतनी हिम्मत और शक्ति होगी कि वह संसार के सामने लड़ाई, मृत्यु और बरबादी से बचाने का अपना अस्त्र पेश कर सकेगा। संसार को इसकी जरूरत है। अगर वह लड़खड़ाता हुआ बर्बरता के युग में जहाँ से निकाल आने का वह दावा करता है, फिर पहुँचना नहीं चाहता है तो वह इसका स्वागत भी करेगा।

दुनिया के सभी देशों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने इतिहास के अनुसार सबके साथ दोस्ती, मित्रता का बर्ताव रखना चाहते हैं। किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं, हमें किसी के साथ घात नहीं करना है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। हमारी एक ही आशा और अभिलाषा है और वह यह कि हम सबके लिए स्वतंत्रता और मानव जाति में शान्ति और सुख स्थापित करने में मददगार हो सकें। जिस देश को ईश्वर और प्रकृति ने एक बनाया था उसके आज दो टुकड़े हो गए हैं नजदीक के लोगों से बिछुड़ना तो दुखदाई होता ही है। बिछुड़ना हमेशा दुखदाई होता है। ऐसे लोगों से भी बिछुड़ना जिनके साथ थोड़े ही दिनों का सम्बन्ध हो दुखदायी होता है। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बंटवारे से हमारे दिल में दुख है। मगर इसके बावजूद हम आपकी तरफ से और अपनी ओर से पाकिस्तान के लोगों को अपनी नेकनीयती और उनकी तरकी और कामयाबी के लिए अपनी सदृच्छा सद्भावना प्रकट करना चाहते हैं। जिस शासन के काम में आज

here in her moments of depression but has also proved its efficacy. India has a great part to play in the shaping and moulding of, the future of a war distracted world. She can play that part not by mimicking, from a distance, what others are doing, or by joining in the race for armaments and competing with others in the discovery of the latest and most effective instruments of destruction. She has now the opportunity, and let us hope, she will have the courage and strength to place before the world for its acceptance her infallible substitute for war and bloodshed, death and destruction. The world needs it and will welcome it, unless it is prepared to reel back into barbarism from which it boasts to have emerged.

Let us then assure all countries of the world that we propose to stick to our historic tradition to be on terms of friendship and amity with all,, that we have no designs against any one and hope that none will have any against us. We have only one ambition and desire, that is, to make our contribution to the building up of freedom for all and peace among mankind.

The country, which was made by God and Nature to be one, stands divided today. Separation from near and dear ones, even from strangers after some association, is always painful. I would be untrue to myself if I did not at this moment confess to a sense of sorrow at this separation. But I wish to send on your behalf and my own our greetings and good wishes for success and the best of luck in the high endeavour of government in which the people of Pakistan, which till today has been a part and parcel of ourselves, will be engaged. To those who feel like us but are on the other side of the border we send a word of cheer. They should not give way to panic but should stick to their hearths and homes, their religion and culture and cultivate the qualities of courage and forbearance. They have no reason to fear that they will not get protection and just and fair treatment and they should not become victims of doubt and suspicion. They must accept the assurances publicly given and their rightful place in the polity of the State, where they are placed, by their loyalty.

To all the minorities in India we give the assurance that they will receive fair and just treatment and there will be no discrimination in any form against them. Their religion, their culture and their language are safe and they will enjoy all the rights and privileges of citizenship, and will be expected in their turn to render loyalty to the country in which they live and to its constitution. To all we give the assurance that it will be our endeavour to end poverty and squalor and its companions, hunger and disease; to abolish distinction and exploitation and to ensure decent conditions of living.

We are embarking on a great task. We hope that in this we shall have the unstinted service and co-operation of all our people and the sympathy and support of all the communities. We shall do our best to deserve it.

Mr. President: After this I propose that we all stand in silence to honour the memory of those who have died in the struggle for freedom in India and elsewhere.

(The Assembly stood in silence for two minutes.)

वे लग रहे हैं उससे हम उनकी पूरी कामयाबी चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो बंटवारे से दुखी हैं और पाकिस्तान में रह गए हैं, हमें अपनी सहिष्णुता से काम लेना चाहिए। उनके ऐसा भय करने का कोई कारण नहीं कि उनके साथ ठीक और न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं होगा और उनकी रक्षा नहीं होगी। जो आश्वासन दिया है उसको मान लेना चाहिए और जहाँ पर आज वे कह रहे हैं वहाँ अपनी वफादारी और सच्चाई से अपनी मुनासिब जगह उन्हें हासिल करनी चाहिए।

हिन्दुस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके साथ ठीक और इन्साफ का बर्ताव होगा और उनके और दूसरों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। उनके धर्म और संस्कृति और उनकी भाषा सुरक्षित रहेगी और नागरिकता के सभी अछित्यार और अधिकार उनको मिलेंगे। उनसे आशा की जाएगी कि जिस देश में वे रहते हैं उनकी तरफ और उस देश के विधान की तरफ, वे वफादार बने रहें। सभी लोगों को हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी अथक् कोशिश होगी कि देश से गरीबी और दीनता, भूख और बीमारी दूर हो जाए, मनुष्य मनुष्य के बीच से भेदभाव उठ जाए, कोई मनुष्य दूसरे का शोषण न करे, सबके लिए सुन्दर समुचित जीवन बिताने का साधन जुटा दिया जाए। हम एक बड़े काम में मदद और सहयोग देंगे और संसार के दूसरे देश अपनी सहानुभूति और सहायता देंगे। हम आशा करते हैं कि हम अपने को इस योग्य साबित कर सकेंगे।

इसके बाद अब मेरा प्रस्ताव है कि हम सब उन वीरों की पुण्य स्मृति में, जिन्होंने देश में और बाहर स्वतंत्रता-संग्राम में अपनी बलि दी है, कुछ क्षण मौन खड़े रहें। (सभा दो मिनिट तक मौन खड़ी रही।)

सुनारी हाउस, ए-35,
जय अम्बे, टॉक रोड, जयपुर
मो: 9462294899

रोजगारोन्मुखी दक्षता

व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन

□ अविनाश चौधरी

रा जम्मान के सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन की शुरूआत सत्र 2014-15 से हुई है। यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में क्रमशः 60:40 की साझेदारी के अंतर्गत राज्य में संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम का अध्ययन सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ ही करवाया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा से हमारा तात्पर्य उस शिक्षा से है, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न नौकरियों जैसे व्यापार, शिल्प या एक टेक्निशियन के रूप में काम करने के लिए तैयार करती है। व्यावसायिक शिक्षा को कैरियर शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक स्कूल एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आज के बदलते परिवेश एवं अत्यधिक औद्योगिक विकास और प्रगति के कारण तथा इसकी माँग अनुरूप कुशल एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व दक्ष मानवीय श्रम की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में कई बार राष्ट्रीय स्तर पर मंथन में भी सामने आया है कि वर्तमान में संचालित केवल परम्परागत पाठ्यक्रम का अध्ययन ही भविष्य में विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक जगत में रोजगार के अवसर प्राप्त करवा पाने में पर्याप्त नहीं है। इसको मध्य नज़र रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) की स्थापना की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न इंडस्ट्री सेक्टर्स को कुशल एवं प्रशिक्षित मानवीय श्रम उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से ही ये सभी व्यावसायिक शिक्षा सम्बंधित पाठ्यक्रम वर्तमान में देश भर में कई शैक्षणिक संस्थानों में संचालित किए जा रहे हैं।

विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा योजना को शुरू किए जाने के पीछे यही मंशा है कि स्कूली शिक्षा के उपरांत कई प्रकार के व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में जैसे ITI, पोलिटेक्निक, B.Tech, IIT आदि के रूप में तो संचालित हैं परन्तु स्कूल शिक्षा के दौरान इस प्रकार के पाठ्यक्रमों की उपलब्धता नहीं थी।

दूसरा यह कि स्कूल शिक्षा को पूर्ण करने के साथ ही आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कई विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर तक आते-आते विद्यालय छोड़ देते हैं। तब उनके हाथ में 10-12 साल के अध्ययन के उपरांत भी कोई ऐसी तकनीकी एवं रोजगारोन्मुखी दक्षता नहीं होती है जो आगे जाकर अनेक रोजगार में सहायक हो, अतः व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों के पास कक्षा 12 उत्तीर्ण करते-करते एक प्रोफेशनल एवं तकनीकी दक्षता हाथ में हो, जो उनके सुनहरे भविष्य में कागर साबित हो। इसी संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा योजना के रूप

में इन पाठ्यक्रमों का शुभारम्भ किया गया।

विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा योजना को प्रारंभ किये जाने के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित है-

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से वर्तमान समय की माँग एवं योग्यता अनुरूप युवाओं की रोजगार व कौशल क्षमता को बढ़ाना।
2. शिक्षित बेराजगारी एवं रोजगार के मध्य के निर्दिष्ट अन्तर को पाठना।
3. माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर को कम करना।
4. माध्यमिक स्तर की शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना।
5. कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना।

क्रियान्विति:- वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न जिलों के कुल 720 सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित हैं। इन विद्यालयों का चयन इनके पर्याप्त नामांकन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्ध सुविधाओं एवं औद्योगिक-भौगोलिक परिवेश आदि बिन्दुओं के आधार पर किया गया है।

पाठ्यक्रम:- इस योजना के तहत संचालित पाठ्यक्रम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के आधार पर भोपाल स्थित पंडित सुन्दर लाल शर्मा सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल एज्युकेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया है इस योजना में वर्तमान में कुल 10 प्रकार के ट्रेड्स के अंतर्गत ये विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

पाठ्यक्रम की सूची:- निम्नलिखित सूची अनुसार वर्तमान में 10 ट्रेड व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन के अंतर्गत संचालित हैं-

1. कृषि (Micro irrigation)
2. परिधान (Apparel)
3. मोटर वाहन (Auto mobile)
4. सौंदर्य और कल्याण (Beauty and wellness)
5. इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical and Electronics)
6. स्वास्थ्य देखभाल (Health Care)
7. आईटी (IT)
8. खुदारा (Retail)
9. सुरक्षा (Security)
10. पर्यटन और आतिथ्य (Tourism & Hospitality)

पाठ्यक्रम सामग्री:- विद्यार्थियों को सम्बंधित ट्रेड की पाठ्यपुस्तकें अध्ययन हेतु सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रत्येक विद्यालय हेतु आवंटित ट्रेड की सूची:- उपर्युक्त 10 ट्रेड में से प्रत्येक चयनित विद्यालय हेतु दो ट्रेड MHRD मंत्रालय द्वारा भौगोलिक आधार पर किए गए औद्योगिक सर्वे अनुसार प्रति विद्यालय

अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं। जिनमें से विद्यार्थी को केवल एक ट्रेड का चयन अध्ययन हेतु अपनी इच्छा अनुसार कक्षा 9 से ही करना होता है।

प्रति ट्रेड नामांकन सीमा:- वर्तमान सत्र से इन ट्रेड्स में अध्ययन हेतु प्रति विद्यालय प्रति ट्रेड 40 विद्यार्थी है, जिनके द्वारा कक्षा 9 से ही किसी एक ट्रैड का चयन किया जाना होता है।

जिलेवार व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	जिलेवार व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय
1	Ajmer	44
2	Alwar	26
3	Banswara	32
4	Baran	15
5	Barmer	27
6	Bharatpur	20
7	Bhilwara	33
8	Bikaner	21
9	Bundi	15
10	Chittaur Garh	17
11	Churu	9
12	Dausa	20
13	Dhaulpur	15
14	Dungarpur	50
15	Hanumangarh	13
16	Jaipur	36
17	Jaisalmer	10
18	Jalor	13
19	Jhalawar	27
20	Jhunjhunu	13
21	Jodhpur	22
22	Karauli	15
23	Kota	22
24	Nagaur	14
25	Pali	26
26	Pratapgarh	18
27	Rajsamand	19
28	Sawai Madhopur	19
29	Sikar	11
30	Sirohi	25
31	Tonk	17
32	Udaipur	45
33	Sriganganagar	11
Grand Total		720

पाठ्यक्रम की अवधि:- NSQF के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को चार लेवल (L-1, L-2, L-3, L-4) में विभाजित किया गया है अर्थात् कक्षा 9 के साथ L-1, कक्षा 10 के साथ L-2, कक्षा 11 के साथ L-3 एवं इसी प्रकार कक्षा 12 के साथ L-4 का सर्टिफिकेट दिया जाता है। परन्तु इसी वर्ष से हर दो लेवल पूर्ण कर लेने पर एक सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है, जो L-1 एवं L-2 की समाप्ति और इसके बाद L-3

एवं L-4 की समाप्ति पर दिया जायेगा।

अध्यापन:- विद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों के अध्यापन हेतु आवंटित ट्रेड अनुसार दक्षता रखने वाले VTs (व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु नियुक्त अध्यापक) का चयन NSDC द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु चयन किया जाता है।

प्रयोगशालाएँ:- चूंकि ये करके सीखना (learning by doing) शिक्षा पद्धति पर आधारित है इसके लिए प्रत्येक चयनित विद्यालय में सम्बंधित ट्रेड अनुसार विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान (practical knowledge) एवं प्रक्षिप्तण हेतु प्रयोगशालाओं स्थापित की गई है।

शैक्षिक भ्रमण:- व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को सम्बंधित ट्रेड अनुसार प्रति वर्ष तीन औद्योगिक भ्रमण करवाए जाते हैं ताकि उनको अपने ट्रेड का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके।

परीक्षा योजना :- उपर्युक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा सभी लेवल्स की (L-1 से L-4) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाती है। जिसके अंतर्गत कक्षा 9 में जो भी विद्यार्थी व्यावसायिक ट्रेड का चयन करते हैं वे सातवें अतिरिक्त विषय के रूप में इसका अध्ययन करते हैं परन्तु कक्षा 9 एवं 10 में सामाजिक विज्ञान विषय या व्यावसायिक ट्रेड में से जिस भी विषय में अधिक अंक प्राप्त होते हैं, उसी विषय के अंक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किए जाते हैं एवं दूसरे विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में दिखाया जाता है वहीं दूसरी ओर कक्षा 11 एवं 12 में व्यावसायिक ट्रेड को तीसरे वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है अथवा चौथे अतिरिक्त विषय के रूप में भी रखा जा सकता है।

उपलब्धियाँ:- अब तक राजस्थान के इन 720 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में लागभग 85 हजार विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जॉब मेला राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा L-4 उत्तीर्ण करने के उपरांत इच्छुक विद्यार्थियों को जॉब प्लेसमेंट हेतु रोजगार के अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से हाल ही में दिनांक 02.07.2018 को अजमेर, दिनांक-04.07.2018 को जैसलमेर, दिनांक-06.07.2018 को जयपुर जिले में रोजगार मेले का आयोजन करवाया गया। जिसमें विभिन्न कम्पनीज़ में कार्य करने के इच्छुक विद्यार्थी प्रतिभागियों को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाए गए। इस उद्देश्य के जॉब मेले नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

निष्कष्टार्थिमक रूप से हम यह कह सकते हैं कि स्कूल शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा योजना की शुरूआत बहुत ही लाभकारी एवं बालक-बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कदम है। जिसमें इस योजना के तहत विद्यार्थी के अध्यापन से लेकर रोजगार के अवसर मुहैया कराने तक की ज़िम्मेदारी विभाग द्वारा उठाई गई है।

शाला दर्पण-व्यावसायिक शिक्षा:- शाला दर्पण के अन्तर्गत वोकेशनल विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की डेटा फ़िलिंग हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी है-

1. सर्वप्रथम स्कूल लॉगिन पर विद्यालय टेब के अन्तर्गत ‘विद्यालय प्रोफाइल में स्थित विषय एवं संकायवार चयन-प्रपत्र’ के विकल्प पर जाएं।

— शिविरा पत्रिका —

(देखे चित्र संख्या 1.1) अगर यह प्रपत्र चित्र-1.2 के अनुसार लॉक दिखाई देता है तो इसके लिए शाला दर्पण प्रकोष्ठ हैल्प सेन्टर पर यू-डार्इस कोड व मोबाईल नम्बर अंकित करते हुए अनलॉक हेतु पत्र rmsaccr@gmail.com पर ईमेल करें एवं अनलॉक होने पर इस प्रपत्र में Vocational पर Tick कर आपके विद्यालय के लिए चयन किये गये दो व्यावसायिक विषयों को चैक मार्क कर Submit कर इसे पुनः लॉक कर दें।
(देखें चित्र संख्या 1.3 व 1.4)

2. इसके बाद विद्यार्थी (पूर्व जारी प्रपत्र) टेब में जाकर प्रपत्र-7अ में सत्र, कक्षा एवं वर्ग का चयन कर Go बटन पर क्लिक करें। इससे आपके स्क्रिन पर सम्बन्धित कक्षा के सभी विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। इसमें से आपको जिस विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा के जिस ट्रेड के लिए चुना जाना है उसका चयन करते हुए प्रत्येक प्रविष्टि के बाद Save पर क्लिक करें (देखें चित्र 2.1)।

नोट: नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ट्रेड नव-प्रवेश के समय भी आप चुन सकते हैं यदि आपने विद्यालय के लिए विषय एवं संकायवार प्रपत्र में पहले से ही वोकेशनल ट्रेड चुन रखे होते।

3. इसके बाद एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का वोकेशनल ट्रेड का चयन पूर्ण हो जाने के बाद Submit all students subject पर क्लिक करें (दखें चित्र 3.1)। ऐसा करने पर ही चयनित विद्यार्थियों की संख्या रिपोर्ट टेब के अन्तर्गत वोकेशनल शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी नामांकन एवं समान परीक्षा योजना के कक्षा 1-12 के नामांकन प्रपत्र में दिखाई देगी (दखे चित्र 3.1)। उक्तानुसार अन्य कक्षाओं में भी यह प्रक्रिया अपनाकर व्यावसायिक विषयों का चयन करें।


4. इसमें मुख्य बिन्दु यह है कि सत्र 2016-17 में कक्षा-9 हेतु वोकेशनल विषयों का चयन उक्त प्रक्रिया से किया गया है तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सत्र 2017-18 में कक्षा-10 में पुनः प्रपत्र 7A में जाकर अगर कोई विद्यार्थी वोकेशनल ट्रेड ड्रोप करना चाहे तो उसके लिए none सेलेक्ट कर सेव करें अन्यथा Submit all students subject करना होगा तो ही वे विद्यार्थी सत्र 2017-18 के वोकेशनल स्कूल की नामांकन रिपोर्ट में दिखाई देंगे। आगामी सत्रों में भी सभी कक्षाओं के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जानी है।



चित्र संख्या 1.1




चित्र संख्या 1.2



चित्र संख्या 1.4



चित्र संख्या 2.1



चित्र संख्या 3 ।

सहायक निदेशक

राज्य शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।

मो: 9549373123

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ

□ मनीष कस्वां

वर्तमान में शिक्षा विभाग में राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन योजनाएँ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं जो कि नामांकन वृद्धि, शैक्षिक उन्नयन एवं प्रोत्साहन हेतु शासकीय नीति के अभिन्न अंग के रूप में काम कर रही हैं। उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र-छात्राओं को देय लाभ एवं सुविधाएँ निर्धारित समयावधि में दिलवाया जाना समस्त संस्थाप्रधानों के पदीय दायित्वों का अभिन्न अंग है। संस्थाप्रधानों द्वारा निर्धारित समय पर पात्र विद्यार्थियों के आवेदन शालादर्पण एवं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड किए जाने से विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर छात्रवृत्ति वितरित की जा सकेगी। इस परियोजने में विद्यार्थियों एवं संस्थाप्रधानों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा देय समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन योजनाओं में देय लाभ, सुविधा, पात्रता, आवेदन अवधि, आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि समस्त घटकों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि					आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
				क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि	
1	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	6 से 8	1. छात्र/छात्रा अनुसूचितजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। 3. छात्र/छात्रा को किसी केन्द्रीय, राजकीय, सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 4. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। 5. छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो। 6. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता या उनके जीवित न होने पर संरक्षक, आयकर न देते हो।	1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह	750/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाइमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कॉलरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
2	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (शत-प्रतिशत के.प्र.यो.)	9 से 10	1. छात्र/छात्रा अनुसूचितजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 व 10 में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। 3. अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। 4. अनुत्तीर्ण होने पर इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 5. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो तो उनकी या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।	9 व 10	कक्षा	विवरण	दरें	क्र. सं.	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाइमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कॉलरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				9 व 10	छात्रवृत्ति/ माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये प्र. माह	525रुपये प्र. माह		
				9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये (वार्षिक)	1000 रुपये (वार्षिक)		
					कुल राशि	3000 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	6250 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)		
						* उक्त दरें माह सितम्बर, 2017 के पश्चात् प्रभावी हैं।			

शिविरा पत्रिका

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि				आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया	
				क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि	
3	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	6 से 8	1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो राजकीय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययनरत है। 3. छात्र/छात्रा को किसी केन्द्रीय, राजकीय, सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 4. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। 5. छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो। 6. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो, या उनके न होने पर संरक्षक, आयकर दाता न हो।	1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह	750/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भास्माशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				2	छात्रा	6 से 8	125/- प्र.माह	1250/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
4	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (शत-प्रतिशत के.प्र.यो.)	9 से 10	1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो राजकीय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 व 10 में नियमित रूप से अध्ययनरत है। 3. अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। 4. अनुत्तीर्ण होने पर इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 5. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो तो उनकी या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो।	9 व 10	छात्रवृत्ति (अधिकतम 10 माह के लिए)	150 रुपये प्रति माह	350 रुपये, प्रति माह	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भास्माशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।	
				9 व 10	एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये (वार्षिक)	1000 रुपये (वार्षिक)		
5	अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (50% C.S.S.)	6 से 10	1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में छात्र/छात्रा की जाति का सम्मिलित होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो। 3. छात्र/छात्रा द्वारा कक्षा 06 से 08 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 09 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 4. छात्र/छात्रा द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।	6 से 10	छात्रवृत्ति (अधिकतम 10 माह के लिए)	100 रुपये/ माह	500 रुपये/ माह	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भास्माशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।	
					कुल राशि	2250 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	4500 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)		
* उक्त दरें माह सितम्बर, 2017 के पश्चात् प्रभावी हैं।									

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि				आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया	
क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि					
6	विशेष समूह वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 1. बनजारा, बालदिया, लबाना। 2. गाडिया-लोहार, गाडेलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देवासी) 5. गडरिया (गाडी), गायरी	6 से 10	1. अन्य पिछड़ी जाति के अंतर्गत विशेष समूह वर्ग की सूची में जाति का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्रा राजकीय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो। 3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 4. छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो। 5. छात्र/छात्रा के माता-पिता /संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये की सीमा तक हो।	1	छात्र	6 से 8	50/- प्र.माह	500/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कॉलरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				2	छात्रा	6 से 8	100/- प्र.माह	1000/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
				3	छात्र	9 से 10	60/- प्र. माह	600 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	
				4	छात्रा	9 से 10	120/- प्र. माह	1200 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	
7	अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी) छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना शत-प्रतिशत)	1 से 10	1. छात्र/छात्रा के द्वारा पिछली अंतिम परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की गई हो, परन्तु कक्षा 1 एवं 2. उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए उनके अभिभावक/संरक्षक की मात्र आय को ही आधार माना जाएगा। 2. छात्र/छात्रा के अभिभावक अथवा संरक्षक की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन में छात्र/छात्रा के द्वारा अर्जित अंकों के बजाय गरीबी को अधिभार (Weightage) दिया जायेगा। 3. छात्र/छात्रा द्वारा उसी कक्षा और सत्र के लिए अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। 4. एक परिवार में दो से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देय नहीं है। अतः एक परिवार से अधिकतम दो विद्यार्थियों का ही आवेदन करवाया जा सकता है।	मद	कक्षा	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। एन.एस.पी.पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संस्थाप्रधान एवं जिला स्तर से वेरीफिकेशन के पश्चात् समस्त प्रस्ताव MoMA नई दिल्ली पहुँच जाते हैं। छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे ही विद्यार्थी के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है।	
				प्रवेश शुल्क	6 से 10	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)		
				शिक्षण शुल्क	6 से 10	350 रुपये प्र. माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	350 रुपये प्र. माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए		
				रखा रखाव भत्ता	1 से 5	शृंखला	100 रुपये प्रति माह (10 माह के लिए)		
					6 से 10	600 रुपये प्रति माह या वास्तविक (जो भी कम हो)	100 रुपये प्रति माह (10 माह के लिए)		

— शिविरा पत्रिका —

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि				आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
8	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना शत-प्रतिशत)	1 से 10	1. छात्र/छात्रा कक्षा- 1 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा के माता-पिता/ अभिभावक का अस्वच्छ कार्य में लगे होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।	कक्षा छात्र/छात्रा डरें (10 माह हेतु) डेस्कॉलर 1 से 10	छात्रवृत्ति दरें (10 माह हेतु) प्रतिमाह	वार्षिक	कुल राशि 1850/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कालरशिप संकेशन टेब का अवलोकन करें।
				हॉस्टलर 3 से 10	700/- प्रतिमाह	वार्षिक	8000/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
9	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	11 व 12	1. छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित है। 2. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 3. अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 4. आय प्रमाणपत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 5. नियोजित माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। 6. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। 7. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो।	कक्षा छात्र/छात्रा 11-12	छात्रावासी 380.00 रुपये प्रतिमाह	डेस्कालर 230.00 रुपये प्रतिमाह	कुल राशि 3800 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। समस्त प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उनके राजस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।
10	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति	11 व 12	1. छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित है। 2. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 3. अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 4. आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 5. नियोजित माता पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। 6. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। 7. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो।	कक्षा छात्र/छात्रा 11-12	छात्रावासी 380.00 रुपये प्रतिमाह	डेस्कालर 230.00 रुपये प्रतिमाह	कुल राशि 3800 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। समस्त प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उनके राजस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि			आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया		
कक्षा छात्र /छात्रा	छात्रावासी	डेस्कालर							
			11-12	260.00 रुपये प्रतिमाह	160.00 रुपये प्रतिमाह				
11	अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	11 ब 12	1. छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित है। 2. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 3. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 4. आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 5. नियोजित माता पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। 6. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। 7. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये की सीमा तक हो।	कक्षा छात्र /छात्रा	छात्रावासी	डेस्कालर	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। समस्त प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उनके राजस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।		
12	विशेष समूह वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 1. बनजारा, बालदिया, लबाना। 2. गाड़िया-लोहार, गोडालिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देवासी) 5. गढ़रिया (गाड़ी), गायरी	11 ब 12	1. छात्र/छात्रा राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अन्य पिछड़ी जाति के अंतर्गत विशेष समूह वर्ग की सूची में जाति का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। 3. जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 4. आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 5. नियोजित माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। 6. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्रा कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। 7. एक ही माता पिता/संरक्षक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे। 8. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो।	कक्षा छात्र /छात्रा	छात्रावासी	डेस्कालर	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। समस्त प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उनके राजस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।		
13	करगिल युद्ध में अर्थात् 01.04.99 पश्चात् युद्धों में शहीद /स्थायी विकलांग हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	1 से 12	1. आवेदक छात्र/छात्रा नियमित रूप से सरकारी /गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हो। 2. उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा। 3. आवेदक छात्र/छात्रा को पिता का करगिल युद्ध में (01.04.99 के पश्चात् युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।) 4. आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो।	क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाइमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।

शिविरा पत्रिका

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि					आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भासाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				1	छात्र	1 से 12	180/- प्र. माह	1800/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
				2	छात्रा	1 से 12	180/- प्र. माह	1800/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
15	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	11 व 12	1. आवेदक छात्रा नियमित रूप से सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कक्षा 11 या 12 में अध्ययनरत हो। 2. उक्त श्रेणी की छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा। 3. छात्राएँ 10 वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। 4. आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।	क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भासाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondaryeducation के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।

प्रोत्साहन योजनाएँ

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	देय लाभ	विशेष विवरण
1	गार्डी पुरस्कार	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत बालिका।	3000 रु. प्रतिवर्ष दो वर्षों के लिए (11वीं व 12वीं में नियमित अध्ययनरत रहने पर एवं प्रमाण-पत्र)	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय
2	बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक एवं उच्च वरि.उपा. परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथमवर्ष में नियमित अध्ययनरत बालिका	5000 रु. एक मुश्त एवं प्रमाण-पत्र।	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय
3	पद्माक्षी पुरस्कार योजना	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा-8, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम तथा संस्कृत की 8वीं, प्रवेशिका एवं उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आठ संवर्गों की छात्राएँ- (SC, ST, OBC, MBC, Minority, GEN, CWSN & BPL)	1. कक्षा-8 की छात्राओं को 40,000 रुपये, कक्षा-10 व प्रवेशिका की छात्राओं को 75,000 रुपये, कक्षा-12 व वरि. उपा. की छात्राओं को 1,00,000 रुपये एवं प्रमाण-पत्र दिए जाएँगे। 2. इस पुरस्कार हेतु उक्त वर्गों की जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. कक्षा-12 व वरिष्ठ उपाध्याय की पुरस्कार पात्र बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जाएगी।	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	देय लाभ	विशेष विवरण
4	कस्टूरबा गाँधी सावधि जमा रसीद योजना	राजकीय कस्टूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों से उत्तीर्ण एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं राजकीय विद्यालयों की कक्षा-11 में अध्ययनरत छात्राएँ पात्र हैं एवं कस्टूरबा गाँधी विद्यालयों से उत्तीर्ण एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्रा जो कि किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हो, भी पात्र है।	-कक्षा-10 में उत्तीर्ण एवं कक्षा-11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000 रु. की सावधि जमा रसीद 5 वर्ष हेतु -कक्षा-11 में उत्तीर्ण एवं स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रा को 4000 रु. की सावधि जमा रसीद 3 वर्ष हेतु -सावधि जमा रसीद का भुगतान स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही देय है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
5	विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना	योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा-10वीं की मैट्रिक में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययन का सम्पूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में दो बालिकाओं को विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया है। योजनान्तर्गत चयनित बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा नाँव ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देने के उपरान्त राशि उपलब्ध कराई जाती है।	कक्षा 11 व 12 के पश्चात् विदेश में स्नातक स्तर के अध्ययन हेतु - प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा प्रदत्त	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय
6	सामान्य संवर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक, प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक (कला, वाणिज्य, विज्ञान) एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य संवर्ग के विद्यार्थी जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से कम हो	माध्यमिक-98 विद्यार्थी रु. 15000 व प्रशस्तिपत्र प्रवेशिका-02 विद्यार्थी रु. 15000 व प्रशस्तिपत्र उच्च माध्यमिक (कला-98, वाणिज्य-98, विज्ञान-98) विद्यार्थी रु. 15000 व प्रशस्तिपत्र वरि.उपा.-06 विद्यार्थी रु. 15000 व प्रशस्तिपत्र कुल 400 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
7	पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा	कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 व 11 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण की हो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।	राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों से प्रथम 50-50 स्थानों पर न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर-कक्षा 11व12 के लिए रु. 1250 प्रमा. एवं स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए रु. 2000 प्रमा. देय हैं।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
8	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा	कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 व 11 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण की हो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।	राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों से प्रथम 50-50 स्थानों पर न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर-कक्षा 11व12 के लिए रु. 1250 प्रमा. एवं स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए रु. 2000 प्रमा. देय हैं। बजट घोषणा 5.4.15 के अनुसार निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को NTSE में चयनित होने पर रु. 10000 एकमुश्त पुस्कर देय है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
9	इंसपायर अवार्ड मानक योजना	कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों द्वारा समाजोपयोगी विज्ञान आधारित आइडिया विद्यालय के माध्यम से E-MIAS पोर्टल पर अपलोड किया जाना	सत्र 2017-18 से रु. 10000 का इंसपायर एवार्ड विद्यार्थी को अपने आइडिया को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए दिया जाता है। जिला, राज्य, राष्ट्र स्तर तक प्रदर्शनी में अपना प्रारूप प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	देय लाभ	विशेष विवरण
10	मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना	इसके अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकड़री परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान (न्यूनतम 75% अंक) प्राप्त करने वालीं 02 मेधावी (Meritorious) छात्राओं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बी.पी.एल. परिवार की 01 छात्रा एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 01 अनाथ बालिका(सत्र 2018-19) को कक्षा 11 व 12 में पाठ्यपुस्तकों, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म इत्यादि के लिए रुपये 15000 वार्षिक तथा स्नातक व स्नातकोत्तर में अध्ययन हेतु 25,000 रुपये एक मुश्त सहायता दी जा रही है।	कक्षा 11 व 12 में अध्ययन हेतु आवश्यक समस्त शुल्क छात्रावास कोर्चिंग शुल्क, शिक्षण शुल्क आदि हेतु अधिकतम रुपये 1.00 लाख तक तथा कक्षा 12 के पश्चात् स्नातकोत्तर तक अध्ययन हेतु अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष सहायता दी जा रही है।	बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा देय
11	विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (देवनारायण गुरुकुल योजना सहित)	प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संवर्गवार (MBC, SC, ST) निर्धारित सीटों पर कक्षा 6 में प्रवेश	50,000 रु प्रतिवर्ष अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, का पुनर्भरण निजी विद्यालय को किया जाता है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समाज के मेधावी, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों हेतु विभाग में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में संस्थाप्रधान अपना महती योगदान प्रदान करेंगे एवं सत्र 2018-19 में एक भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन से वंचित नहीं रहेगा। नए सत्र की शुभकामनाओं सहित।

सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रक्रोष्ट माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर मो. 9950436599

मासिक गीत

हम करें राष्ट्र आराधन...



साभार : 'राष्ट्रवंदना' पुस्तक से

हम करें राष्ट्र-आराधन तन से, मन से, धन से,
तन, मन, धन, जीवन से, हम करें राष्ट्र-आराधन।

अन्तर से, मुख से, कृति से, निश्छल हो, निर्मल मति से
श्रद्धा से, मस्तक नति से, हम करें राष्ट्र अभिवादन॥1॥

अपने हृस्ते शैशव से, अपने खिलते यौवन से,
प्रौढ़तापूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन॥2॥

अपने अतीत को पढ़कर अपना झतिहास उलटकर
अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र का चिन्तन॥3॥

हैं याद हमें युग-युग की, जलती अनेक घटनाएँ,
जो माँ की सेवा पथ पर, आर्यों बनकर विपद्धाएँ॥4॥

हमने ही उसे दिया था, सांस्कृतिक उच्च सिंहासन,
माँ जिस पर बैठी सुख से, करती थी जग का शासन॥5॥

अब काल-चक्र की गति से वह दूर गया सिंहासन,
अपना तन-मन-धन ढेकर, हम करें पुनः संस्थापन॥6॥

अब काल-चक्र की गति से वह दूर गया सिंहासन,
अपना तन-मन-धन ढेकर, हम करें पुनः संस्थापन॥7॥

आदेश-परिपत्र : अगस्त, 2018

1. राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के द्वितीय चरण के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश। 2. समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री 'उजियारी पंचायत' घोषित किए जाने के संदर्भ में मानदंड एवं 'उजियारी पंचायत' की घोषणा हेतु आवेदन व भौतिक सत्यापन हेतु गतिविधिवार उल्लेखित तिथियों में आपके/आपको अधीनस्थन जिलों में गतिविधियाँ करवाएँ जाने एवं मॉनिटरिंग के संबंध में। 3. समस्त अनामांकित/ ड्रॉप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री 'उजियारी पंचायत' घोषणा हेतु आवेदन पत्र के संदर्भ में। 4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास समितियों के तत्वावधान में स्ववित्त पोषित आधार पर संकाय/विषय संचालिए किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश। 5. सत्र 2018-19 की 63 वीं जिला, राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देश।

1. राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के द्वितीय चरण के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश।

- कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक: शिविरा/ प्रारं/शैक्षिक/G/2017-18/प्रवेशोत्सव/द्वितीय चरण/116 दिनांक 15.06.2018 ● उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● विषय: राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के द्वितीय चरण के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश। ● प्रसंग: शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक-RCEE/JAI/PFE/प्रवेशोत्सव/2018-19/244 दिनांक 06.04.2018, इस कार्यालय का पूर्व समसंब्यक्तपत्रांक 18 दि. 09.04.2018, पत्रांक. 33 दि. 25.04.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के संबंध में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अब तक सभी पंचायतों में समस्त बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर/सर्वे कर आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया होगा। प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण 19.06.18 से 03.07.18 (संशोधित 31.7.2018) तक आयोजित किया जाना है। अतः शासन एवं

निदेशालय द्वारा प्रथम चरण के दौरान प्रासंगिक पत्रों में दिए गए निर्देशों की द्वितीय चरण के दौरान पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करें। समस्त उपनिदेशक (प्राशि.) को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित विशेष बिंदुओं की भी प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण के दौरान पालना सुनिश्चित करें-

1. आप स्वयं अपने अधीनस्थ जिलों के कार्यालयों/विद्यालयों का निरीक्षण कर कार्यक्रम के सुचारू व सफल संचालन में योगदान देवें तथा अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
2. अपने कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करें तथा इस कार्य हेतु एक अधिकारी व आवश्यकतानुसार कार्मिकों को दायित्व सौंप कर नियंत्रण कक्ष तथा प्रभारियों के नंबर आज ही निदेशालय के शैक्षिक अनुभाग की ई-मेल आईडी shakshikcelledu@gmail.com पर देवें।
3. आपके कार्यालय एवं समस्त जिलों के प्रभारी अधिकारी एवं कार्मिकों के नंबर को निदेशालय द्वारा संचालित ब्हाट्सअप ग्रुप में जुड़वाने हेतु प्रेरित करें ताकि सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुविधा हो, इस हेतु निदेशालय के शैक्षिक अनुभाग के सहायक निदेशक श्री राजेश गोस्वामी से मोबाइल नं. 9414064445 पर संपर्क करें।
4. निदेशालय स्तर पर प्रवेशोत्सव के प्रभारी अधिकारी व कार्मिकों को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया जाता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निम्न में से किसी भी नम्बर पर संपर्क करें।

क्र.	जानकारी प्राप्त की जा सकती है-	पदनाम	मोबाइल
सं.	अधिकारी/कर्मचारी		
1	का नाम श्री राजेश गोस्वामी	सहायक निदेशक	94140-
		(शैक्षिक)	64445
2	श्री जफर इकबाल कादरी	कनिष्ठ सहायक	94131-

67383

प्रवेशोत्सव प्रथम चरण के दौरान कुछ जिशिअप्राशि. कार्यालयों एवं उपनिदेशक प्राशि. कार्यालयों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, उनके अधीनस्थ जिलों/विद्यालयों में नामांकन वृद्धि अत्यधिक न्यून पाई गई जिसके लिए पुथक से कार्यवाही की जाएगी। प्रवेशोत्सव प्रथम चरण के दौरान पाई गई शिथिलताओं को ध्यान में रखते हुए द्वितीय चरण हेतु निम्नलिखित आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं-

1. निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा केवल प्रपत्र 1 ए जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। अतः प्रपत्र 1 ए की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति में प्रतिदिन की सूचना अगले दिवस के प्रातः 11 बजे से पूर्व निदेशालय प्राशि. के शैक्षिक अनुभाग की ई-मेल आईडी shakshikcelledu@gmail.com पर प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें। प्रपत्र 1 की सूचना आप अपने कार्यालय स्तर से ही राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् जयपुर को भी प्रेषित करवाई जानी सुनिश्चित करें।
2. प्रवेशोत्सव प्रथम चरण के दौरान बीईआ०. कार्यालय, जिशिअ.

- प्राशि. कार्यालय एवं उपनिदेशक प्राशि. कार्यालय, तीनों कार्यालय एक ही दिनांक के अलग-अलग आँकड़े प्रपत्र 1ए में निदेशालय को प्रेषित करते हैं, जिससे यह असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है कि किस सूचना को सही माना जाये। अतः प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण हेतु यह निर्णय लिया गया है कि केवल उपनिदेशक प्राशि. कार्यालय ही निदेशालय को आँकड़े प्रेषित करेंगे। बीईआ०./जिशिअ. प्राशि. कार्यालय प्रत्येक दिन की सूचना अपने संबंधित उपनिदेशक प्राशि. कार्यालय को ही प्रेषित करेंगे। बीईआ०./जिशिअ. प्राशि. कार्यालय किसी भी स्थिति में आँकड़े सीधे निदेशालय को पत्र/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित नहीं करें। जिशिअ. प्राशि. कार्यालय एवं उपनिदेशक प्राशि. कार्यालय इस बाबत् बीईआ०. कार्यालयों को निर्देश प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त उपनिदेशक प्राशि. का यह दायित्व बनता है कि वे प्रत्येक दिन की सूचना अपने अधीनस्थ जिशिअ.प्राशि. कार्यालयों से प्राप्त करें, किसी भी स्थिति में प्रारूप 1ए में ‘सूचना अप्राप्त’ नहीं लिखें। संबंधित जिशिअ.प्राशि. द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे। अगर उपनिदेशक प्राशि. कार्यालय द्वारा सूचना निदेशालय को प्रेषित नहीं की जाती है तो निदेशालय द्वारा संबंधित उपनिदेशक प्राशि. के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
 4. उपनिदेशक प्राशि. कार्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा प्रेषित किए जा रहे आँकड़े पूर्णतया सही हैं। आँकड़ों में बार-बार संशोधन नहीं करें।
 5. उपनिदेशक प्राशि. यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण की सूचना जिलेवार प्रेषित करें ना कि ब्लॉकवार। ब्लॉकवार सूचना जरूरत पड़ने पर माँग ली जाएगी।
 6. प्रथम चरण के दौरान यह भी ध्यान में आया है कि निदेशालय द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारी जब जिलों में प्रवेशोत्सव के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाते हैं तो बीईआ०. कार्यालय/जिशिअ. प्राशि./उपनिदेशक प्राशि. कार्यालय के अधिकारी/कार्मिक बैठक में नहीं पहुँचते। समस्त बीईआ०./जिशिअ. प्राशि./ उपनिदेशक प्राशि. को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला प्रभारी अधिकारियों को संपूर्ण सहयोग प्रदान करें व आवश्यकतानुसार जिला प्रभारी द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेवें।
 7. उपनिदेशक प्राशि. कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रपत्र 1ए की हार्ड एवं सॉफ्ट, दोनों प्रतियाँ निदेशालय प्राशि. के शैक्षिक अनुभाग की ई-मेल आइडी shakshikcelledu @gmail. com पर प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें। सूचना प्रेषित करने से पूर्व आप भली भाँति परीक्षण कर लें कि आपके अधीनस्थ जिलों के आँकड़ों के row एवं column की दाएँ से बाएँ एवं

ऊपर से नीचे, दोनों का योग एकदम सही हो। हाथ से भरी हुई सूचना/काँट-छाँट की गई सूचना नहीं भेजें। सूचना प्रेषित करने से पूर्व हार्ड एवं सॉफ्ट, दोनों प्रतियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि सूचना किस दिनांक की है।

8. प्रारूप 1ए में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करें। प्रारूप जिस फार्मेट में है सूचना उसी फार्मेट में ही दी जानी है।
9. उपनिदेशक प्राशि./जिशिअ. प्राशि. केवल सूचना प्रेषित करने का ही अपना दायित्व नहीं समझे, अपितु दिशा-निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर यह सुनिश्चित करें कि आँगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक-बालिका अनामांकित न रहें।

प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात् अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक/बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश दिया जाकर विशेष शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना है। ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को ‘उजियारी पंचायत’ घोषित किए जाने के संबंध में लेख है कि शासन द्वारा अपने पत्रांक-राप्राशिप/जय/प्रवेशोत्सव/ 2018/1998 दि. 28.05.2018 के द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की समयावधि निम्नानुसार तय की गई है-

1. प्रवेशोत्सव प्रथम एवं द्वितीय चरण में बालक/बालिकाओं का चिह्नीकरण-03.07.2018 तक
 2. चिह्नीकृत बालक/बालिकाओं का शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर अपडेशन-10.07.2018 तक
 3. उजियारी पंचायत हेतु आवेदन प्रस्तुतीकरण-11.07.2018 से 20.07.2018 तक
 4. उपखण्ड स्तरीय भौतिक सत्यापन-05.08.2018 तक
 5. जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन- 20.08.2018 तक
 6. जिला निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदन-30.08.2018 तक
 7. उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान-05.09.2018
- अतः उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं घोषणा सम्बन्धी कार्यवाही उपर्युक्तानुसार निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें। उजियारी पंचायत के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश इस कार्यालय के पत्रांक 103 दिनांक 12.05.2018 के द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

● निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

2. समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों/ विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री ‘उजियारी पंचायत’ घोषित किए जाने के संदर्भ में मानदंड एवं ‘उजियारी पंचायत’ की घोषणा हेतु आवेदन व भौतिक सत्यापन हेतु गतिविधिवार उल्लिखित तिथियों में आपके/आपको अधीनस्थ जिलों में गतिविधियाँ करवाए जाने एवं मॉनिटरिंग करने के संबंध में।

- कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
- क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/G/2017-18/ प्रवेशोत्सव/द्वितीय चरण/103 दिनांक: 12.06.2018 उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● विषय: समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों/ विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री 'उजियारी पंचायत' घोषित किए जाने के संदर्भ में मानदंड एवं 'उजियारी पंचायत' की घोषणा हेतु आवेदन व भौतिक सत्यापन हेतु गतिविधिवार उल्लिखित तिथियों में आपके/आपको अधीनस्थ जिलों में गतिविधियाँ करवाए जाने एवं मॉनिटरिंग करने के संबंध में। ● प्रसंग: शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक-1787 दिनांक 24.05.2018, अ.शा. पत्रांक-राप्राशिप/प्रवेशोत्सव/18-19/ 2209 दिनांक 04.06.2018 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 18 दिनांक 09.04.2018।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों के संबंध में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अब तक सभी पंचायतों में समस्त बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर/सर्वे कर आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया होगा। प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण 19.06.18 से 03.07.2018 (संशोधित 31.7.2018) तक आयोजित किया जाना है। प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात् अनामांकित/0 ड्रॉप आउट पंचायत को 'उजियारी पंचायत' घोषित किया जाना है। ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को 'उजियारी पंचायत' घोषित किए जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश/मानदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी/ विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उनकी पंचायत ड्रॉप आउट फ्री पंचायत 'उजियारी पंचायत' घोषित हो सकें।

प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में चिह्नित बालक/बालिकाओं को उनकी आयु अनुसार आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों में प्रवेशित करवाया जाकर शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करवायी जानी अनिवार्य है। राप्राशिप. जयपुर के पत्रांक-राप्राशिप/जय/प्रवेशोत्सव/2018/1998 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा 'उजियारी पंचायत' की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की गतिविधिवार तिथियाँ सुनिश्चित की गई है जिसकी प्रति संलग्न है। अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि-

- राज्य सरकार द्वारा जारी 'उजियारी पंचायत' की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की कार्यवाही निश्चित समयावधि में करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- शैक्षणिक सत्र 2018-19 में दिनांक 05.09.2018 को होने वाले जिला स्तरीय समारोह में 'उजियारी पंचायत' की घोषणा एवं सम्मान पत्र दिया जाना है।
- 'उजियारी पंचायत' घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन हेतु

गतिविधिवार उल्लिखित तिथियों में आपके/आपके अधीनस्थ जिलों में गतिविधियाँ करवायी जानी सुनिश्चित करावें।

- 'उजियारी पंचायत' की घोषणा कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कार्मिकों को भी सम्मानित किया जावेगा।

अतः आप व्यक्तिशः सुचि लेकर 'उजियारी पंचायत' घोषणा के इस कार्य को निश्चित समयावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जानी सुनिश्चित करें।

- संलग्न- उपर्युक्तानुसार

- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने पर ड्रॉप आउट फ्री 'उजियारी पंचायत' घोषित किए जाने हेतु मानदण्ड

1. प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 वर्ष आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण है।

1.3 वर्ष 2018-19 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समाप्त के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाए जाने का निश्चय किया गया है। ऐसी पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को 'उजियारी पंचायत' के रूप में चिह्नित कर सम्मानित किया जाएगा।

'उजियारी पंचायत' की घोषणा हेतु मापदण्ड-

1.2.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक-बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आँगनबाड़ी में नामांकित है।

1.2.2 5-6 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिका (आँगनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित) का चिह्नीकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

1.2.3 कक्षा 5/8/10 उत्तीर्ण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट 80 प्रतिशत से अधिक बालक-बालिकाओं का चिह्नीकरण किया

- जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।
- 1.2.4 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है और यदि रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।
- 1.2.5 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिह्नित समस्त आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित/ड्रापआउट) बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया है एवं वे कक्षा में प्रवेशित और अध्ययनरत हैं।
- 1.2.6 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ.) कार्यालय में 0 से 18 वर्ष के पंचायत क्षेत्र के समस्त बालक-बालिकाओं का हाउस होल्डवार सर्वे रिकॉर्ड संधारण किया हुआ हो।
- 1.2.7 पंचायत को 'उजियारी पंचायत' की घोषणा की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जाएगी।
- आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया-**
- 1.3.1 'उजियारी पंचायत' घोषणा के लिए आवेदन जुलाई माह में आमंत्रित किए जाएँगे एवं प्राप्त आवेदनों का दो चरणों में क्रमशः ब्लॉक एवं जिला स्तर से गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- 1.3.2 'उजियारी पंचायत' घोषणा हेतु आवेदन पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जावेगा।
- 1.3.3 आवेदन पत्र सरपंच, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ.), पंचायत सचिव एवं महिला पर्यवेक्षक (आईसीटीएस.) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- 1.3.4 'उजियारी पंचायत' की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्ताव ग्राम सभा की मासिक बैठक में अनुमोदन कराया जाएगा। तत्पश्चात् ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ.) को प्रेषित किया जावेगा।
- 1.3.5 आवेदन के साथ पंचायत के किसी भी ग्राम में 3 से 5/6 वर्ष का कोई भी बच्चा आँगनबाड़ी में नामांकन एवं 5/6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित नहीं है, के आशय का सरपंच, पीईईओ., पंचायत सचिव एवं महिला पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जावेगा। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)
- 1.3.6 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-
1. बीईईओ./एबीईईओ.
 2. आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का पीईईओ.
 3. उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य
- 1.3.7 ब्लॉक स्तरीय भौतिक सत्यापन दल सत्यापन की तिथि के संबंध में

सम्बन्धित पीईईओ. को पूर्व में सूचना देगा।

- 1.3.8 भौतिक सत्यापन के समय सम्बन्धित पंचायत के सरपंच एवं सम्बन्धित वार्ड के वार्डपंच को भी यथासम्भव साथ रखा जावें और इस बाबत् सम्बन्धित पीईईओ. द्वारा उन्हें पूर्व में सूचित किया जाएगा।
- 1.3.9 पंचायत से प्राप्त आवेदन पर भौतिक सत्यापन दल पंचायत के कम से कम 25 प्रतिशत या न्यूनतम 4 विद्यालय एवं 4 आँगनबाड़ी जो भी अधिक हो, में उपलब्ध सर्वे रिकॉर्ड का सत्यापन भौतिक स्थिति से करेगा।
- 1.3.10 आवेदनों के भौतिक सत्यापन के दौरान सम्बन्धित पंचायत के पीईईओ. कार्यालय में उपलब्ध हाउस होल्ड सर्वे रिकॉर्ड में से ऐण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्र लिए जाकर सम्बन्धित घरों में बालक-बालिकाओं की वस्तुस्थिति (हैड काउटिंग) का मिलान आँगनबाड़ी एवं विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के रिकॉर्ड से किया जाएगा।
- 1.3.11 भौतिक सत्यापन के दौरान सर्वे में हाउस होल्ड के साथ-साथ अन्य बसावट जैसे गाँव के आसपास गाड़िया लुहार, ईंट भट्टा, बस स्टैण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पूर्बा, मजरा आदि को भी सम्मिलित किया जाकर भौतिक सत्यापन किया जावें।
- 1.3.12 सत्यापन दल द्वारा प्रामाणिक रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त सत्यापन रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं उसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को भी भिजवायी जावें।
- 1.3.13 जिला कलक्टर द्वारा ब्लॉकवार तीन सदस्यीय समितियों का गठन किया जाएगा। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-
1. जिला शिक्षा अधिकारी माशि./प्राशि./एडीईओ./एडीपीसी. (एसएसए./रमसा.)
 2. भिन्न पंचायत समिति की पंचायत का पीईईओ.
 3. कलक्टर द्वारा नामित सदस्य
- 1.3.14 जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की मौके पर पूर्ण जाँच की जाएगी तथा पंचायत के 25 प्रतिशत विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी अथवा न्यूनतम 2 विद्यालय एवं 2 आँगनबाड़ी (जो भी अधिक हो) में उपलब्ध रिकॉर्ड का भौतिक स्थिति से मिलान करते हुए उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट से भी मिलान किया जाएगा।
- 1.3.15 जिला कलक्टर द्वारा गठित ब्लॉकवार समितियाँ भौतिक सत्यापन पश्चात् अनुशंसा रिपोर्ट डीईओ. माध्यमिक को प्रेषित करेगी।
- 1.3.16 डीईओ. माध्यमिक द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।
- 1.3.17 जिला निष्पादक समिति की बैठक में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर चर्चा एवं अनुमोदन पश्चात् मानदण्डानुसार सम्बन्धित पंचायत को

‘उजियारी पंचायत’ घोषित करने हेतु अनुमोदन किया जावेगा।

उजियारी पंचायत की घोषणा

- 1.4.1 आवेदित, सत्यापित एवं जिला निष्पादक समिति में अनुमोदित पंचायत को ‘उजियारी पंचायत’ घोषित किया जाएगा एवं घोषणा प्रमाण-पत्र जिला स्तरीय सम्मान समारोह 15 अगस्त/5 सितम्बर/ 26 जनवरी में दिया जाएगा।
 - 1.4.2 ‘उजियारी पंचायत’ घोषणा का प्रमाण पत्र जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्बन्धित पीईआरो. कार्यालय को दिया जावेगा।
 - 1.4.3 ‘उजियारी पंचायत’ घोषणा कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक/ कार्यालय को ब्लॉक/जिला स्तरीय सम्मान समारोह में 15 अगस्त/5 सितम्बर/ 26 जनवरी को सम्मानित किया जाकर उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया जावेगा।
 - 1.4.4 ‘उजियारी पंचायत’ घोषणा पश्चात् पंचायत के पंचायत भवन एवं पंचायत के सभी विद्यालयों पर ‘अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत’ लिखवाया जावे।
 - 1.4.5 राज्य सरकार की विभागीय योजना क्रियान्वयन में प्राथमिकता ‘उजियारी पंचायत’ को दी जावेगी।
- ड्रॉप आउट फ्री ‘उजियारी पंचायत’ की घोषणा
(यह प्रपत्र पंचायत द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे)
- मैं.....सरपंच ग्राम पंचायत.....मैं.....
पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत.....मैं.....
ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत.....मैं.....
महिला पर्यवेक्षक (ICDS) ग्राम पंचायत.....हम संयुक्त रूप से घोषणा करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत.....
ब्लॉक..... जिला.....में 0 से 18 वर्ष के समस्त

बालक-बालिकाएँ अपनी आयु के अनुरूप आँगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत हैं और कोई भी बालक-बालिका ड्रॉप आउट अथवा अनामांकित नहीं है तथा पंचायत में 0 से 18 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या निम्नानुसार है-

0 से 3 वर्ष	3 से 6 वर्ष	6 से 14 वर्ष	14 से 18 वर्ष	कुल बच्चों की संख्या

महिला पर्यवेक्षक	ग्राम सचिव	पीईआरो	सरपंच
नाम.....	नाम.....	नाम.....	नाम.....
		विद्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र

उजियारी पंचायत

अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री ग्राम पंचायत

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत.....में कोई बालक-बालिका जो 3 से 18 वर्ष की उम्र का है शिक्षा से वंचित नहीं है और न ही कोई बालक-बालिका अनामांकित/ड्रॉप आउट है।

पंचायत से प्राप्त घोषणा पत्र एवं जाँच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत.....ब्लॉक.....जिला.....को शैक्षिक सत्र.....के लिए अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री पंचायत ‘उजियारी पंचायत’ घोषित किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक.....को जारी किया जाता है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला.....

रैण्डम सर्वे प्रपत्र

क्र. सं.	बालक/ बालिका का नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	हाउस होल्ड नम्बर	वार्ड नम्बर	राजस्व ग्राम/द्वाणी /अन्य	नामांकित/ अनामांकित/ड्रॉप आउट आउट है तो जुड़ाव (हाँ/नहीं)	अनामांकित/ ड्रॉप आउट है तो मुख्यधारा से	यदि नामांकित का नाम का नाम	अनामांकित/ ड्रॉप आउट है तो विद्यालय	

3. समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों/ विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री ‘उजियारी पंचायत’ घोषणा हेतु आवेदन पत्र के संदर्भ में।

- राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् ● क्रमांक: राप्राशिप/जय/प्रवेशोत्सव/2018/1998 दिनांक 28.5.2018 ● जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि एवं मार्शि समस्त जिले। ● ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक समस्त जिले। ● अति. जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान एवं रमसा, समस्त जिले। ● पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत समस्त जिले। ● विषय: समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों/ विद्यालयों

में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री ‘उजियारी पंचायत’ घोषणा हेतु आवेदन पत्र के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको प्रवेशोत्सव संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार के पत्रांक JAI/PFEE/ प्रवेशोत्सव/ 2018-19/244/दिनांक 06.04.2018 द्वारा जारी किए गए हैं। सभी पंचायतों में समस्त बालक-बालिकाओं को चिह्नित/सर्वे कर आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण की जानी है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण 19.06.2018 से 03.07.2018 तक आयोजित किया जाना है। प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात् अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक/बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश दिया जाकर विशेष शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाना है।

प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में चिह्नित बालक/बालिकाओं को उनकी आयु अनुसार आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों में प्रवेशित करवाया जाकर शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करवायी जानी अनिवार्य है।

ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को 'उजियारी पंचायत' घोषित किए जाने के संदर्भ में मानदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको पूर्व में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1787 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में वर्ष 2018-19 के लिए 'उजियारी पंचायत' की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की समयावधि निम्नानुसार है-

1. प्रवेशोत्सव प्रथम एवं द्वितीय चरण में बालक/बालिकाओं का चिह्निकरण-3 जुलाई 2018 तक।
2. चिह्निकृत बालक/बालिकाओं का शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर अपडेशन-10 जुलाई 2018 तक।
3. 'उजियारी पंचायत' हेतु आवेदन प्रस्तुतीकरण-11 जुलाई से 20 जुलाई 2018 तक।
4. उपखण्ड स्तरीय भौतिक सत्यापन 05 अगस्त 2018 तक।
5. जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन- 20 अगस्त 2018 तक।
6. जिला निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदन- 30 अगस्त 2018 तक।
7. 'उजियारी पंचायत' की घोषणा एवं सम्मान- 05 सितम्बर 2018 तक।

अतः 'उजियारी पंचायत' की घोषणा हेतु आवेदन एवं घोषणा संबंधी कार्यवाही उपर्युक्तानुसार निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

● (**शिवांगी स्वर्णकार**), राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर

● (**डॉ. जोगा राम**), आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास समितियों के तत्वावधान में स्ववित्त पोषित आधार पर संकाय/विषय संचालित किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
● आदेश ● विषय: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास समितियों के तत्वावधान में स्ववित्त पोषित आधार पर संकाय/विषय संचालित किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास समितियों के तत्वावधान में स्ववित्त पोषित आधार पर संकाय/विषय संचालित किए जाने से सम्बन्धित राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 4(9)शिक्षा-1/2006 दिनांक 7.6.2006 में वर्णित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:-प.4(9) शिक्षा-1/2006 दिनांक 10.07.2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार:-

(अ) शर्तें एवं दिशा-निर्देश

1. यह स्वीकृति सम्बन्धित विद्यालय की विद्यालय विकास समिति द्वारा संबंधित विषय/संकाय की माँग की आवश्यकता तथा औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए पारित प्रस्ताव के अनुसरण में जारी की जाती है। अतः तत्सम्बन्धी स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त कर लेना सुनिश्चित कर लेवें।
2. नवीन संकाय/विषय संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ यथा कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, फर्नीचर, उपकरण, पाठ्यपुस्तकें आदि की व्यवस्था विद्यालय विकास समिति द्वारा स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राशि से की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आवर्तक/अनावर्तक व्यय के लिए राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समस्त आवर्तक/अनावर्तक व्यय विद्यालय विकास समिति द्वारा वहन किए जाएँगे।
3. विद्यालय विकास समिति द्वारा खोले गए नवीन संकाय/विषय के अध्यापन हेतु व्याख्याताओं/शिक्षकों/अशैक्षणिक स्टाफ यथा प्रयोगशाला सहायक, सेवक आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी ही होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार/पैटर्नानुसार समस्त स्टाफ की व्यवस्था विद्यालय विकास समिति द्वारा की जाएगी। निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों को विद्यार्थी मित्र के रूप में ही मानदेय के आधार पर लगाया जा सकेगा। इस प्रकार रखे गए कार्मिकों/शिक्षकों/व्याख्याताओं पर होने वाले व्यय को विद्यालय विकास समिति द्वारा वहन किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी जाएगी तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई पद स्वीकृत किया जाएगा। नियमित नियुक्तियाँ, पूर्णकालिक नियुक्तियाँ अथवा संविदा नियुक्तियाँ नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही विद्यार्थी मित्र के रूप में मानदेय के आधार पर लगाया जा सकेगा।
4. व्याख्याता एवं अन्य कार्मिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएँगे व विद्यालय विकास समिति द्वारा रखे गए व्याख्याता/शिक्षकों/अशैक्षणिक कर्मचारियों को राजकीय सेवा में समाहित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
5. विद्यालय विकास समिति द्वारा किए गए व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा पृथक से रखा जाएगा। उसका विधिवत् वार्षिक अंकेक्षण कराया जाएगा। यह लेखा जोखा विद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त बजट लेखों से अलग होगा।
6. विद्यालय विकास समिति द्वारा प्राप्ति किए संकाय/विषय के संचालन तथा वित्तीय प्रबन्धन में अनियमितता पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालय विकास समिति के माध्यम से स्ववित्त पोषित प्रबन्धन में

- अनियमितता पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
8. विद्यालय विकास समिति द्वारा प्रारम्भ किए नवीन संकाय/विषय हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर मान्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से प्राप्त कर मान्यता में लगाई गई शर्तों की अक्षरशः पालना करनी होगी। इसके उपरान्त ही अध्ययन प्रारम्भ किया जा सकेगा।
 9. विद्यालय विकास समिति द्वारा संचालित संकाय/विषय यदि किसी कारणवश बन्द हो गया है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय विकास समिति द्वारा सृजित/उपलब्ध कराई गई आधारभूत सुविधाएँ यथा भूमि, भवन, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर आदि पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ एवं अन्य सामग्री पर संबंधित विद्यालय का स्वामित्व होगा।
 10. स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय/विषय प्रारम्भ की स्वीकृति एक निश्चित अवधि कम से कम 5 वर्ष सुनिश्चित किए जाने या स्थायी रूप से इस योजना में संचालित किए जाने की सहमति होने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ब) विद्यालय का नाम एवं स्वीकृत विषय/संकाय का विवरण:-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रारम्भ किए जाने वाले विषय/संकाय
1	राजकीय प्रभाती देवी प्रभु दयाल अग्रवाल उच्च माध्य. विद्यालय भोनावास, कोटपूतली, जयपुर	नवीन कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान एवं भूगोल विषय
2	राबाउमावि. कोटपूतली जिला-जयपुर	कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल, अंग्रेजी साहित्य व शारीरिक शिक्षा अतिरिक्त विषय के रूप में तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गणित अतिरिक्त विषय के रूप में।
3	राउमावि. पादूकला, जिला-नागौर	कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल अतिरिक्त विषय

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्तानुसार विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान इस विषयक पंजिका एवं अभिलेखों का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार एवं विभाग के द्वारा स्ववित्त पोषित आधार पर विषय/संकाय संचालन बाबत प्रसारित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों की पालना संबंधित विद्यालय द्वारा की गई/की जा रही है। किसी भी स्तर पर शर्तों/दिशा निर्देशों की पालना नहीं होने पर संबंधित संस्थाप्रधान उत्तरदायी होगा।

- (नथमल डिल), आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

5. सत्र 2018-19 की 63 वीं जिला, राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देश।

- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● कार्यालय आदेश ● विषय: सत्र 2018-19 की 63 वीं जिला, राज्य स्तरीय

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देश।

सत्र 2018-19 की 63 वीं जिला, राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें।

विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निम्नानुसार खेल समूह बनाए गए हैं:-

प्रथम समूह		द्वितीय समूह	
फुटबॉल	17, 19 वर्ष	छात्र	तीरंदाजी (इण्डियन राउण्ड व फीटा राउण्ड)
जिम्नास्टिक	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा	बेडमिंटन
हैंडबाल	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा	बॉक्सेटबाल
हॉकी	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा	क्रिकेट
जूडो	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा	खो-खो
सॉफ्टबाल	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा	लॉन टेनिस
तैराकी	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा	टेबल टेनिस
वॉलीबाल	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा	कबड्डी
कुशती	17, 19 वर्ष	छात्र	-
तृतीय समूह			
एथलेटिक्स	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा	
प्रतियोगिता निम्न तिथियों के अनुसार आयोजित की जावें:-			
समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	16.8.18 से पूर्व	1.9.18 से 5.9.18 के मध्य (अधिकतम चार दिन)	13.9.18 से 18.9.18
द्वितीय समूह	16.8.18 से पूर्व	5.9.18 से 9.9.18 के मध्य (अधिकतम चार दिन)	22.9.18 से 27.9.18
तृतीय समूह	16.8.18 से पूर्व	3.10.18 से 7.10.18 के मध्य	20.10.18 से 25.10.18

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ कार्यक्रम विद्यालय/क्षेत्रीय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 के अनुसार पूर्ववत् जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवाएँ। दिनांक 29 अगस्त 2018 मेजर ध्यानचंद जयन्ती को 'खेल दिवस' के रूप में विद्यालय स्तर पर विविध खेलों के आयोजन किए जावें।

सत्र 2018-19 की 63 वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयुवर्ग विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजक विद्यालयों के नाम व स्थान परिशिष्ट 1 व 2 पर

संलग्न हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008-09 में खेलकूद प्रतियोगिताओं के नियमों में परिवर्तन/परिवर्द्धन के संबंध में विस्तृत आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/खेलकूद/निजी/35427/05-06/108 दिनांक 04.07.08 के द्वारा पूर्व में प्रसारित किए जा चुके हैं, यथावत रहेंगे।

सत्र 2018-19 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश पर प्रसारित किए जाते हैं:-

01. सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों के मध्य टीमों की संख्या के आधार पर न्यूनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें परन्तु क्षेत्रीय प्रतियोगिता आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात् एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिताओं के स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
02. सत्र 2018-19 में सभी स्तर की प्रतियोगिताओं में संभागित्व के लिए खिलाड़ियों की जन्म तिथि निम्नानुसार होगी।
 - (1) 19 वर्ष आयुवर्ग-छात्र-छात्रा के लिए 01.01.2000 या उसके पश्चात् एवं कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत।
 - (2) 17 वर्ष आयुवर्ग- छात्र-छात्रा के लिए 01.01.2002 या उसके पश्चात् एवं कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत।
03. जनरल, सेक्रेटरी, एस.जी.एफ.आई. (S.G.F.I.) के पत्र दिनांक 10.08.2017 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.08.2017 के द्वारा जिला/राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु विभिन्न आयुवर्गों में कक्षा की बाध्यता को समाप्त किए जाने के कारण गत सत्र से निम्नानुसार संशोधन जारी किए गए हैं:-

 - (a) कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर चुका है वह किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग नहीं ले सकता है।
 - (b) 17, 19 वर्ष आयुवर्ग की छात्र-छात्रा प्रतियोगिता में कक्षा 06 से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग नहीं ले सकता।
 - (c) यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत है और वह 17 वर्ष आयुवर्ग (छात्र-छात्रा) की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग लेना चाहता है तो उसको कक्षा 10 की अंकतालिका/बोर्ड प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
 - (d) किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में खिलाड़ी की आयु प्रमाणीकरण हेतु निम्नांकित में से दो प्रमाण पत्र जैसे-1. आधार कार्ड 2. पासपोर्ट 3. जन्म प्रमाण-पत्र 4. कक्षा 10 का बोर्ड प्रमाण पत्र/अंकतालिका आदि। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा उपर्युक्त में से कोई भी दो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उसको सम्बद्ध प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग लेने के लिए आपात्र किए जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा।

04. राजस्थान राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इन प्रतियोगिताओं हेतु पात्र होंगे।
05. शिक्षा विभाग की सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता, प्रवेश तिथि सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी।
06. प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्राज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2017-18 में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम परिशिष्ट-3 से 6 पर संलग्न किए जा रहे हैं।
07. सभी स्तर की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय प्रतियोगिता के संचालन हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक-शिविरा मा./खेलकूद-3/35101/04-05 दिनांक 20 अगस्त 2005 के अनुसार ही प्रतिनियुक्तियाँ की जावें। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों/अध्यापकों की सेवाएँ ली जावें।
08. सत्र 2018-19 की छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षा विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 व उसके पश्चात् समय-समय पर नियमों में हुए संशोधन एवं प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे तथा खेलों के नियम संबंधित खेल संघों के जो वर्तमान में संशोधित रूप में लागू है, के अनुरूप ही प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जावे, परन्तु विभागीय आदेशों/नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुपालना हो।
09. विशिष्ट विद्यालय जैसे सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, सत्रपर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विभागीय खेल छात्रावास के विद्यालय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीनस्थ अध्ययनरत खिलाड़ियों का दल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी के दल पूर्व की भाँति सीधे ही राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।
10. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय /छात्रावास/अकादमी में प्रशिक्षणरत/अध्ययनरत खिलाड़ियों की सूची मय पूर्ण विवरण दिनांक 06.08.2018 तक आवश्यक रूप से वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवावें। (खेलवार छात्र सूची निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को 03 अगस्त 2018 तक प्रस्तुत की जावे) जिससे जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) स्तर पर पूर्ण छानबीन पश्चात् प्रमाणित करते हुए उक्त सूचियाँ वाहक स्तर पर इस कार्यालय को दिनांक: 06.08.2018 तक भिजवाई जावेगी अन्यथा इन्हें सम्बद्ध खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु ड्राज में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। जिसका सम्पूर्ण दायित्व सचिव/अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् जयपुर एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का होगा।

11. उक्त विशिष्ट विद्यालयों का दल पूर्ण नहीं होता है तो इन विशिष्ट विद्यालयों के खिलाड़ी एवं अन्य किसी विद्यालय का पूर्व में राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता में भाग ले चुका श्रेष्ठ खिलाड़ी किसी विशेष कारण से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका है तो राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष उस खिलाड़ी का उक्त सत्र में प्रतियोगिता के समय अपने विद्यालय के संस्थाप्रधान का नियमित विद्यार्थी होने का पत्र मय योग्यता प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में संभागित्व प्रमाण पत्र (**केवल पूर्व राष्ट्रीय विद्यालयी खिलाड़ी हेतु**) की प्रमाणित छाया प्रति सहित खिलाड़ी स्वयं लेकर उपस्थित होता है तो चयन समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाकर चयन होने की स्थिति में निर्धारित संख्या में ही पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा। ऐसे खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर चयन परीक्षण हेतु प्रतियोगिता समाप्ति से तीन दिन पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक प्रतियोगिता आयोजक संस्थाप्रधान को उपस्थिति देवें। छात्र खिलाड़ी महिला प्रभारी के साथ उपस्थिति देवें।
12. सभी सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों के संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2018-19 की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेल विशेष हेतु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चयनित खिलाड़ियों में से ही अपने दल का गठन करें। विद्यालय के अचयनित खिलाड़ियों को सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/ खेल छात्रावास के दल में सम्मिलित नहीं किया जावे। शिक्षा विभाग का विशिष्ट विद्यालय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के अन्तर्गत प्रवेश लिए खिलाड़ी संबंधित खेल में सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, एथलेटिक्स के छात्र अन्य खेलों में भी भाग ले सकते हैं, अन्य खेलों के छात्र एथलेटिक्स में भी भाग ले सकते हैं। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के डे-स्कॉलर विद्यार्थियों का अलग से दल गठन कर अन्य सामान्य विद्यालयों के छात्र दलों की तरह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दल भिजवाया जा सकता है। डे-स्कॉलर को सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के छात्रावासी खिलाड़ियों के चयनित दल में शामिल नहीं किया जावे।
13. सत्र 2003-04 से राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.16() शिक्षा-6 /2002 दिनांक 07.01.2003 की अनुपालना में वर्तमान प्रतियोगिता शुल्क के नियमान्तर्गत संस्कृत शिक्षा के जिले के सभी विद्यालयों से कुल छात्र-छात्रा संख्या के अनुसार सामान्य वर्ग से 5/- एवं आरक्षित वर्ग से 2/- प्रति छात्र-छात्रा की दर से एकत्रित राशि का 50% राशि राज्य के समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नॉडल अधिकारी को प्रतियोगिताओं के आयोजन से पूर्व जमा करवाने की शर्त पर संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ियों को 19 वर्ष एवं 17 वर्ष आयुवर्ग के छात्र वर्ग के निम्न खेलों- वॉलीबाल, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, बेडमिंटन व
14. कुश्ती (शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वजनवार) में एवं एथलेटिक्स 19 वर्ष एवं 17 वर्ष छात्र वर्ग के राज्य स्तर पर होने वाले इवेन्ट्स में निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान को भी विशिष्ट विद्यालयों की भाँति पृथक इकाई मानते हुए राज्य स्तर पर सीधे भाग लेने की स्वीकृति शिक्षा विभागीय नियमान्तर्गत प्रदान की गई है। निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान के 19 वर्ष एवं 17 वर्ष छात्र खिलाड़ियों द्वारा उक्त खेलों में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में पृथक इकाई के रूप में भाग लेने पर उसकी सूचना आयोजक विद्यालयों के संस्थाप्रधान को प्रतियोगिता से 15 दिन पूर्व दी जाएगी। राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगितार्थ चयन समिति द्वारा शिक्षा विभाग की निर्धारित प्रक्रियानुसार उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। यदि संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु होता है तो उसका नाम चयन सूची में निर्धारित संख्या में ही शामिल होगा।
15. टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस में दलीय स्पर्धा के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का आयोजन भी करवाया जावे। 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा के व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर ही जिले के दल का गठन चयन विधि द्वारा किया जावेगा। दोनों वर्ग 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने हेतु टेबल टेनिस, बैडमिंटन व लॉन टेनिस की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाले दलों के दो खिलाड़ी एवं सेमी फाइनल में पहुँचने वाले दलों के 5 खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेंगे। अन्य दलों से पूर्व की भाँति 01 ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा। व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ी को सीरिंग दी जावे। इनकी ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमी फाइनल में पहुँचने वाले दलों के निर्धारण होने के बाद डाली जावे। क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाले दलों के 2 खिलाड़ियों एवं सेमी फाइनल में पहुँचने वाले दलों के 05 खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिए जावे। उसके बाद सीरिंग देकर ड्राज डाली जावे। ड्राज डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि सेमीफाइनल में पहुँचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमीफाइनल से पहले मैच न हो सके। टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल से पूर्व के मैचों में बेस्ट ऑफ 13 गेम, क्वार्टर फाइनल व सेमी फाइनल में बेस्ट ऑफ 17 गेम तथा फाइनल में बेस्ट ऑफ 3 सैट द्वारा निर्णय किया जाए। (जनवरी 2015 से आई.टी.टी.एफ., टी.टी.एफ.आई. व एस.जी.एफ.आई. द्वारा टेबल टेनिस बॉल का नाप 40+mm प्लास्टिक मेड वार्ड लॉर कर दिया गया है। जिसकी तदनुसार पालना सुनिश्चित हो।)
16. खिलाड़ी संख्या जो जिला स्तर पर निर्धारित है वही संख्या उनके लिए राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में लागू होगी। सुविधा की दृष्टि से सभी स्तरों पर संभागी खिलाड़ियों की संख्या 2018-19 में निम्न प्रकार से होगी:-

शिविरा पत्रिका

खेल का नाम	उमावि. स्तर (19 वर्ष छात्र-छात्रा)		मावि. स्तर (17 वर्ष छात्र-छात्रा)	
	जिला स्तर	राज्य/राष्ट्रीय स्तर	जिला स्तर	राज्य/ राष्ट्रीय स्तर
तैराकी	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो
बॉलीबाल	12	12	12	12
हैण्डबॉल	16	16	16	16
हॉकी	18	18	18	18
सॉफ्टबॉल	16	16	16	16
फुटबॉल(छात्र)	18	18	18	18
जूडो	वजनवार जूडो का-1	वजनवार जूडो का-1	वजनवार जूडो का-1	वजनवार जूडो का-1
कुश्ती	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1
जिम्नास्टिक	07	07	07	07
बास्केटबाल	12	12	12	12
क्रिकेट (छात्र)	16	16	16	16
बैडमिंटन	05	05	05	05
टेबल टेनिस	05	05	05	05
कबड्डी	12	12	12	12
खो-खो	12	12	12	12
लॉन टेनिस	05	05	05	05
तीरंदाजी (इण्डियन राउण्ड)	04	04	04	04
तीरंदाजी (फीटा राउण्ड)	04	04	04	04
एथलेटिक्स	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो

नोट:- एथलेटिक्स एवं तैराकी में प्रत्येक रिले में खिलाड़ियों की संख्या चार होगी।

16. एथलेटिक्स व तैराकी 19 व 17 वर्ष आयुवर्ग की छात्र-छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय, रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूडो के प्रत्येक भार में केवल प्रथम आने वाला, तीरंदाजी (इण्डियन व फीटा राउण्ड) में कुल अंकों के 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी व

जिम्नास्टिक में कुल अंकों के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेंगे। निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को उक्त खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं भिजवाया जावे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-नोडल अधिकारी), शिविराधिपति, टीम प्रभारी एवं प्रशिक्षक का होगा। जिम्नास्टिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही मेरिट/भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा। तीरंदाजी (इण्डियन व फीटा राउण्ड) की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा लेकिन मेरिट प्रमाण-पत्र के लिए न्यूनतम 40% अंकों की बाध्यता यथावत् रहेगी। दलीय स्पर्धाओं में भी दल द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर दल के सभी सदस्यों को स्मरण/मेरिट प्रमाण पत्र दिए जाएँगे। राज्य स्तर पर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/ मेरिट प्रमाण पत्र नहीं दिए जावे। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली, 2005 के बिन्दु संख्या 10.2.6 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

17. खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षक एवं संस्थाप्रधान पात्रता/योग्यता प्रमाण पत्र का भली-भाँति मिलान करें। संस्थाप्रधान छात्र की जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, प्रवेशांक (स्कॉलर) रजिस्टर से मिलाने करने के पश्चात् छात्र-छात्रा के पात्रता/योग्यता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करें। खेल में भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। अतः बाद में इन प्रमाण पत्रों में दर्शाइ गई जन्मतिथि, नाम आदि में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।
18. विद्यालय/जिलों की टीमों के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षक/प्रशिक्षक को निर्णयिक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सम्बंधित शारीरिक शिक्षक निर्णयिक के रूप में कार्य करेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
19. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला स्तरीय आयुवर्ग खेल प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से भिजवावें।

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रति. स्थल का नाम	प्रति अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी टीमों की संख्या	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णयिकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गत वर्षों में यह देखने में आया है कि कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही उक्त सूचना भेजी जाती है। अतः भविष्य में सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र में सूचना

भिजवाना सुनिश्चित किया जावें।

20. खेलकूद प्रतियोगिता शुल्क गत सत्रों के अनुसार सभी विद्यालयों से निम्न दरों के अनुसार वसूला जावें:-

सामान्य वर्ग	05 रुपये प्रति छात्र-छात्रा
आरक्षित वर्ग (अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	02 रुपये प्रति छात्र-छात्रा

उक्त प्रतियोगिता शुल्क की कुल संग्रहीत राशि में से 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु अपने-अपने जिलों में आरक्षित रखें। उक्त राशि निदेशालय के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जावेगी। शेष रही 60 प्रतिशत राशि का व्यय करने के संबंध में खेलकूद नियमावली 2005 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। संग्रहीत की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में सत्र में दो बार दिनांक 30.9.2018 एवं 31.03.2019 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) अनिवार्यतः उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को भिजवाएँगे। उक्त प्रतियोगिता शुल्क की राशि राजकीय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/निजी एवं अनुदान प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक के समस्त विद्यालयों को भुगतान करना अनिवार्य है, चाहें विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेता हो अथवा नहीं। प्रतियोगिता शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले विद्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-नोडल) अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

21. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद छात्र-छात्रा प्रतियोगिता में यदि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्रा खिलाड़ी भाग लेते हैं तो उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर 5 रुपये (पाँच रुपये) प्रति खिलाड़ी की दर से, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग सम्मिलित है, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा अपने जिले की समस्त विद्यालयों से ली गई प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को राशि जमा करवाएँगे। उक्त आदेश प्रारम्भिक शिक्षा राज., बीकानेर के पत्रांक शिविरा/ प्रारं/ खेकू/स्वाशि/7509/पंचांग/71 दिनांक: 27.8.01 के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक:- शिविरा/मा/खेलकूद-3/35101/ वार्षिक पंचांग/2001-02/26 दिनांक 30.08.2001 से जारी किया जा चुका है।
22. जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किया जावें। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करें। प्रमाण पत्र खिलाड़ी के योग्यता प्रमाण पत्र के फोटो से मिलान करने के पश्चात् खिलाड़ी के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे। अनुपस्थित खिलाड़ी के प्रमाण पत्र को अन्य किसी को नहीं दिया जावे। प्रमाण पत्र पर क्रमांक छपवाने अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र का प्रतिपर्ण गत सत्रों की भाँति छपवाया जावे एवं अभिलेख में सुरक्षित रखा जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ही

दिया जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्मरण प्रमाण पत्र भी दिया जावे। व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मेरिट प्रमाण पत्र दिया जावे। कुश्ती व जूड़ों में तृतीय स्थान का मेरिट प्रमाण पत्र रेपीचार्ज पद्धति के आधार पर दो खिलाड़ियों को देय होगा।

23. तैराकी, कुश्ती, जूड़ो, जिम्मास्टिक, लॉन टेनिस एवं तीरंदाजी 19 वर्ष एवं 17 वर्ष आयुर्वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ खेलानुसार एक ही स्थान पर आयोजित होती है, जिसमें जिले के सभी आयु वर्ग के छात्र-छात्रा एक ही स्थान पर भाग लेते हैं। जिस जिले में दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हैं, प्रतियोगिता स्थल पर दल के साथ जाने वाले दलनायक, प्रशिक्षक, शा. शिक्षक के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नॉडल अधिकारी द्वारा प्रसारित किए जावे। छात्रा दल के साथ महिला अधिकारी/प्रशिक्षक /शारीरिक शिक्षक/महिला प्रभारी को ही लगाया जावे। अपरिहार्य कारणों से महिला अधिकारी/प्रशिक्षक /शारीरिक शिक्षक के स्थान पर पुरुष अधिकारी/प्रशिक्षक/शारीरिक शिक्षक को लगाया जाता है तो प्रतियोगिता आयोजक द्वारा प्रतियोगिता स्थल पर पुरुष अधिकारी/प्रशिक्षक/शारीरिक शिक्षक आदि की एवं छात्रा खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था अलग-अलग स्थानों पर की जावे। यह ध्यान रखा जावें कि छात्रा टीम के साथ महिला प्रभारी अनिवार्य भेजी जावे। यह सुनिश्चित करना कि छात्राओं के साथ महिला प्रभारी भेजी गयी है या नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) का उत्तरदायित्व होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता स्थलों पर निर्णयक मंडल/चयन समिति में निर्धारित संघ्यानुसार ही शारीरिक शिक्षकों को लगाया जावे। इस हेतु प्रतिनियुक्त आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के हस्ताक्षरों द्वारा ही जारी किए जावे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश अलग से प्रसारित नहीं किए जावे।
24. S.G.F.I. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा कुश्ती एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु वजन निर्धारण एवं इवेन्ट कैटेगरी के नए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिसकी प्रति आपको इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.08.2012 के द्वारा भेजा जा चुकी है। अतः जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को इसी अनुरूप सम्पन्न करावें। निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट 9 पर संलग्न हैं।
25. S.G.F.I. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा जूड़ो एवं कबड्डी प्रतियोगिता हेतु गत सत्र से वजन निर्धारण एवं इवेन्ट कैटेगरी के नए मानदण्ड निर्धारित किए हैं, जिसकी प्रति आपको इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.07.18 के द्वारा भेजी जा चुकी है। अतः जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को इसी अनुरूप सम्पन्न करावें। निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट 9 पर संलग्न हैं।
26. एथलेटिक्स एवं तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा के अनुसार ही जिला/राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में स्पर्धाएँ करवाएँ।

- इस हेतु निर्धारित स्पर्धा एवं इन स्पर्धाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट 7 से 8 पर संलग्न है।
27. निदेशालय पृथक्कीकरण के पश्चात् जिन जिलों में दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यरत हैं उन जिलों से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में एक ही दल भाग ले सकेगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नॉडल अधिकारी होंगे।
 28. जयपुर जिले से पूर्व की भाँति राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के दो दल भाग ले सकेंगे। छात्रा खिलाड़ियों का एक ही दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। छात्रा खिलाड़ियों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नॉडल अधिकारी होंगे।
 29. चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो सूची बनाई जाती है वह प्रतियोगिता स्थल पर घोषित नहीं की जावे।
 30. राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में अधिक आयु के खिलाड़ियों को खेलने से रोकने तथा निर्धारित आयु के खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर देने हेतु राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आरम्भ से एक दिन पूर्व आयोजकों द्वारा गठित अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा सभी सम्भागियों का आयु सम्बन्धी मेडिकल परीक्षण करवाया जावेगा। इस हेतु समस्त सम्भागियों को प्रतियोगिता आरम्भ से एक दिन पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा दल प्रतियोगिता से वंचित होंगे।
 31. सभी खेलों में संबंधित खेल फेडरेशन के नवीनतम नियम मान्य होंगे परन्तु आयोजन की दृष्टि से टाई ब्रेक, समय, सैट आदि के सम्बन्ध में शिक्षा विभागीय नियम मान्य होंगे। लीग प्रणाली तथा लीग-कम-लीग अर्थात् सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को 2 अंक व पराजित दल को 0 अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को 1-1 अंक दिया जाएगा। विद्यालय जिला/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में लीग, लीग-कम-लीग अर्थात् सुपर लीग प्रणाली से खेल गए समस्त खेलों के मैचों में टाई पड़ जाने अर्थात् अंकों के आधार पर खेल परिणाम बराबर रह जाए तो टाई निम्नानुसार तोड़ी जावे:-

मैच जब पहली लीग प्रणाली या लीग-कम-लीग प्रणाली पर खिलाए और दल बराबर रह जाते हैं तो प्राप्त गोल/स्कोर/सेट के औसत को आधार को मान कर टाई तोड़ी जावे। गोल/स्कोर/सेट का तात्पर्य है ‘जिस दल के पक्ष में जितने गोल/स्कोर/सेट हुए हैं उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल/स्कोर/सेट का अन्तर निकाल कर टाई तोड़ी जावे। यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति न बन पाए तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल/स्कोर/सेट रहे, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जावे परन्तु यह गणना प्रत्येक स्तर के क्रम में अर्थात् लीग के लिए अलग तथा लीग-कम-लीग (सुपरलीग) के लिए अलग-अलग लागू होगी, दूसरे शब्दों में पहले लीग मैचेज के रहे परिणाम लीग-कम-लीग प्रणाली (सुपरलीग) में लागू नहीं होंगे। लीग या सुपरलीग प्रणाली से खेले जाने वाले मैचों में टीमों की संख्या दो (2) ही रह जाए या दो ही हो तो नॉक आउट प्रणाली की भाँति उस मैच का खेल विशेष के अनुसार परिणाम निकाल कर

- आगामी मैच के लिए दल का निर्धारण किया जावेगा।
32. विद्यालयी/क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय विद्यालयी कुश्ती/जूडो में जिस कैटेगरी/वजन के लिए जिस खिलाड़ी का चयन किया गया है, चयन परीक्षण भी उसी कैटेगरी/वजन के खिलाड़ियों का आयोजित कर वजनवार दल गठन किया जावे एवं उसी वजन/कैटेगरी में ही वह खिलाड़ी क्षेत्रीय/जिला/राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा।
 33. एथलेटिक्स में प्रत्येक इवेन्ट (दौड़ के अलावा) में खिलाड़ी को तीन-तीन अवसर दिए जाएँगे।
 34. एथलेटिक्स एवं तैराकी की चैम्पियनशिप हेतु रिले में प्रथम, द्वितीय व तृतीय को क्रमशः 10-6-3 अंक तथा अन्य स्पर्धाओं हेतु 5-3-1 अंक दिए जाएँगे।
 35. 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्रा टीम खेल व व्यक्तिगत खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जावें।
 36. टीमों के अभिलेख, ध्वज आदि प्रतियोगिता स्थल पर ले जाने/जमा करवाने का उत्तरदायित्व संबंधित टीम/दल के दलाधिपति/दलनायक का होगा।

● संलग्न: उपर्युक्तानुसार

● (नथमल डिले) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-1

63 वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद (17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा) प्रतियोगिता वर्ष 2018-19 के आयोज्य विद्यालयों के नाम व स्थानों का विवरण

प्रथम समूह दिनांक 13.09.2018 से 18.09.2018 तक

क्र. सं.	खेल का नाम	वर्ग	प्रतियोगिता आयोजन स्थल
1	फुटबॉल	17 वर्ष छात्र	जी.आर. ग्लोबल एकेडमी उमावि. कैंचिया (हुमानगढ़)
2	फुटबॉल	19 वर्ष छात्र	रा. फोर्ट उमावि. बीकानेर
3	जिम्नास्टिक	17,19 वर्ष छात्र-छात्रा	रा. जवाहर उमावि. अजमेर
4	हॉकी	17 वर्ष छात्र	राउमावि. स्टेशन रोड, बांरा
5	हॉकी	19 वर्ष छात्र	राउमावि. नाहरेडा, कोटपूतली (जयपुर)
6	हॉकी	17 वर्ष छात्रा	राबाउमावि. पदमपुर (श्रीगंगानगर)
7	हॉकी	19 वर्ष छात्रा	नोबल पब्लिक शिक्षण संस्थान उमावि. कुचेरा (नागौर)
8	सॉफ्टबाल	17,19 वर्ष छात्रा	भारतीय उमावि. लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
9	सॉफ्टबॉल	17, 19 वर्ष छात्र	आदर्श विद्या मन्दिर उमावि. हिंडोन सिटी (करौली)

10	तैराकी	17, 19 वर्ष छात्र-छात्रा	स्वामी केशवानन्द उमावि. भट्टाचार (सीकर)
11	कुशती	17, 19 वर्ष छात्र	रा. अडुकिया मावि. चिडावा (झुंझुनूं)
12	हैण्डबॉल	17,19 वर्ष छात्र	रामावि. पुरोहितों का सावता (चित्तौड़गढ़)
13	हैण्डबॉल	17,19 वर्ष छात्रा	राबाउमावि. मानटाउन, सवाई माधोपुर
14	वॉलीबाल	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि. शाहपुरा (भीलवाड़ा)
15	वॉलीबाल	17,19 वर्ष छात्रा	राबाउमावि. सरूपगंज(सिरोही)
16	जूडो	17,19 वर्ष छात्र-छात्रा	राउमावि. वाटिका, जयपुर

● (लक्ष्मीनारायण पारीक) उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-2

द्वितीय समूह दिनांक 22.09.2018 से 27.09.2018 तक

5	बास्केटबाल	17,19 वर्ष छात्रा	रा. बालिया बाउमावि. पाली
6	क्रिकेट	17 वर्ष छात्र	रामावि. पाबूपुरा, जोधपुर
7	क्रिकेट	19 वर्ष छात्र	सेन्ट्रल पब्लिक उमावि. न्यू भूपालपुरा, उदयपुर
8	लॉन टेनिस	17,19 वर्ष छात्र-छात्रा	राजकीय शहीद अजय आहुजा मावि. भीममण्डी, कोटा
9	कबड्डी	17,19 वर्ष छात्र	ब्राइट स्टार इन्टरनेशनल उमावि. दूदू (जयपुर)
10	कबड्डी	17,19 वर्ष छात्रा	फ्लावर किंड्स उमावि. सागवाड़ा (झांगरपुर)
11	खो-खो	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि. कोठीनातमाम, (टोंक)
12	खो-खो	17,19 वर्ष छात्रा	राजकीय आनन्द शर्मा बाउमावि. दौसा
13	टेबल टेनिस	17,19 वर्ष छात्र	रामावि. पुलिस लाइन, कोटा
14	टेबल टेनिस	17,19 वर्ष छात्रा	राबाउमावि. एसएमडी. अलवर

तृतीय समूह दिनांक 20.10.2018 से 25.10.2018 तक

क्र. सं.	खेल का नाम	वर्ग	प्रतियोगिता आयोजन स्थल
1	तीरंदाजी	17,19 वर्ष छात्र-छात्रा	इकरा मावि. धौलपुर
2	बैडमिंटन	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि. भीनमाल, (जालोर)
3	बैडमिंटन	17,19 वर्ष छात्रा	गुड डे फिफेन्स स्कूल हनुमानगढ़
4	बास्केटबाल	17,19 वर्ष छात्र	राउमावि. स्टेशन रोड, बाड़मेर

● (लक्ष्मीनारायण पारीक) उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-3

राज्यस्तरीय विद्यालयी खेलकूल प्रतियोगिता 2017-18 के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम (19 वर्ष छात्र)

खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम
बास्केटबाल	जयपुर-I	सं.प्र. केन्द्र सीकर	भीलवाड़ा	जैसलमेर एकेडमी	अलवर	बीकानेर	अजमेर	सीकर
क्रिकेट	अजमेर	सीकर	कोटा	बीकानेर	उदयपुर	जयपुर-I	जोधपुर	भीलवाड़ा
फुटबाल	श्रीगंगानगर	जयपुर-I	हनुमानगढ़	अलवर	सीकर	झुंझुनूं	बांगा	जोधपुर
हैण्डबाल	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	बून्दी	अजमेर	जयपुर-I	जोधपुर	अलवर	एस.एस.एस. बीकानेर
हॉकी	अलवर	भीलवाड़ा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	एस.एस.एस. बीकानेर	जोधपुर	टोंक	राजसमन्द
कबड्डी	करौली एकेडमी	अजमेर	चूरू	भरतपुर	अलवर	एस.एस.एस. बीकानेर	श्रीगंगानगर	करौली
खो-खो	एस.एस.एस. बीकानेर	सीकर	हनुमानगढ़	जोधपुर	टोंक	श्रीगंगानगर	चूरू	जयपुर-I
सॉफ्टबाल	जोधपुर	अजमेर	श्रीगंगानगर	भीलवाड़ा	सीकर	बाड़मेर	हनुमानगढ़	उदयपुर
वॉलीबाल	झुंझुनूं एकेडमी	सीकर	अलवर	झुंझुनूं	जयपुर-I	चूरू	चित्तौड़गढ़	श्रीगंगानगर

शिविरा पत्रिका

बेडमिंटन (दलीय)	उदयपुर	जयपुर-I	जोधपुर	हनुमानगढ़	कोटा	श्रीगंगानगर	अजमेर	अलवर
लॉन टेनिस (दलीय)	जयपुर-I	बीकानेर	जोधपुर	उदयपुर	अजमेर	श्रीगंगानगर	अलवर	झुंझुनूं
टेबल टेनिस (दलीय)	जयपुर-I	चूरू	श्रीगंगानगर	पाली	भीलवाड़ा	अलवर	नागौर	जोधपुर

एस.एस.एस. बीकानेर – सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर। स. प.– सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र
(लक्ष्मी नारायण पारीक) उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-4

राज्यस्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2017–18 के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम (17 वर्ष छात्र)

खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम
बास्केटबाल	जयपुर-I	सीकर	जैसलमेर एकेडमी	कोटा	श्रीगंगानगर	अलवर	अजमेर	झुंझुनूं
क्रिकेट	श्रीगंगानगर	भीलवाड़ा	बाड़मेर	उदयपुर	जोधपुर	सिरोही	अजमेर	कोटा
फुटबाल	जोधपुर एकेडमी	झुंझुनूं	जयपुर-I	अलवर	उदयपुर	जोधपुर	कोटा	भीलवाड़ा
हैण्डबाल	एस.एस.एस. बीकानेर	श्रीगंगानगर	जयपुर-I	हनुमानगढ़	बाड़मेर	नागौर	सीकर	अजमेर
हॉकी	अलवर	जयपुर एकेडमी	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	चित्तौड़गढ़	सिरोही	झूंगरपुर	भीलवाड़ा
कबड्डी	एस.एस.एस. बीकानेर	जयपुर-I	चूरू	भरतपुर	जयपुर-II	अलवर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़
खो-खो	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	एस.एस.एस. बीकानेर	बाड़मेर	अजमेर	जोधपुर	जयपुर-II	टोंक
सॉफ्टबाल	हनुमानगढ़	जोधपुर	नागौर	भीलवाड़ा	अजमेर	जयपुर-II	श्रीगंगानगर	उदयपुर
वॉलीबाल	झुंझुनूं एकेडमी	सीकर	जयपुर-I	झुंझुनूं	जोधपुर	भीलवाड़ा	बाड़मेर	श्रीगंगानगर
बेडमिंटन (दलीय)	उदयपुर	जोधपुर	जयपुर-I	श्रीगंगानगर	टोंक	हनुमानगढ़	कोटा	चूरू
लॉन टेनिस (दलीय)	जयपुर-I	उदयपुर	सीकर	अलवर	अजमेर	कोटा	टोंक	झुंझुनूं
टेबल टेनिस (दलीय)	अजमेर	एस.एस.एस बीकानेर	जयपुर-I	पाली	कोटा	नागौर	जोधपुर	उदयपुर

एस.एस.एस. बीकानेर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर। स.प. – सत्रपर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र।

(लक्ष्मी नारायण पारीक), उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-5

राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2017–18 के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम (19 वर्ष छात्रा)

खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम
बास्केटबाल	जयपुर	सीकर	कोटा	अजमेर	चूरू	जयपुर एकेडमी	भीलवाड़ा	श्रीगंगानगर
हैण्डबाल	श्रीगंगानगर	जयपुर एकेडमी	चूरू	हनुमानगढ़	जयपुर	भीलवाड़ा	अजमेर	बाड़मेर
हॉकी	अजमेर एकेडमी	जयपुर	अजमेर	श्रीगंगानगर	भीलवाड़ा	नागौर	सीकर	राजसमन्द
कबड्डी	जयपुर	चूरू	झुंझुनूं	श्रीगंगानगर	बीकानेर	नागौर	अजमेर	हनुमानगढ़
खो-खो	हनुमानगढ़	सीकर	श्रीगंगानगर	बाड़मेर	चूरू	भीलवाड़ा	नागौर	बीकानेर
सॉफ्टबाल	हनुमानगढ़	अजमेर	श्रीगंगानगर	जोधपुर	नागौर	बून्दी	करौली	सीकर

वॉलीबाल	हनुमानगढ़	सीकर	श्रीगंगानगर	जयपुर एकेडमी	जयपुर	झुंझुनूं	चूरू	नागौर
बेडमिटन (दलीय)	उदयपुर	जयपुर	अलवर	अजमेर	टोंक	भीलवाड़ा	श्रीगंगानगर	बीकानेर
लॉन टेनिस (दलीय)	जयपुर-।	अजमेर	उदयपुर	कोटा	टोंक	श्रीगंगानगर	सीकर	जोधपुर
टेबल टेनिस (दलीय)	जयपुर	अजमेर	चूरू	कोटा	झुंझुनूं	उदयपुर	सिरोही	झंगरपुर

स.प.- सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र

(लक्ष्मी नारायण पारीक), उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-6

राज्यस्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2017-18 के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम (17 वर्ष छात्रा)

खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम	सप्तम	अष्टम
बास्केटबाल	जयपुर	जयपुर एकेडमी	भीलवाड़ा	अजमेर	हनुमानगढ़	राजसमन्द	अलवर	उदयपुर
हैण्डबाल	श्रीगंगानगर	बाड़मेर	हनुमानगढ़	जयपुर	भीलवाड़ा	राजसमन्द	बीकानेर	टोंक
हॉकी	श्रीगंगानगर	अलवर	भीलवाड़ा	सीकर	हनुमानगढ़	जोधपुर	अजमेर	नागौर
कबड्डी	सीकर	श्रीगंगानगर	नागौर	पाली	जयपुर	झुंझुनूं	अजमेर	हनुमानगढ़
खो-खो	हनुमानगढ़	नागौर	सीकर	चूरू	बाड़मेर	श्रीगंगानगर	बीकानेर	अजमेर
सॉफ्टबाल	जयपुर	बाड़मेर	अजमेर	जोधपुर	नागौर	हनुमानगढ़	भीलवाड़ा	सीकर
वॉलीबाल	झुंझुनूं	सीकर	श्रीगंगानगर	चूरू	जोधपुर	पाली	भीलवाड़ा	उदयपुर
बेडमिटन (दलीय)	जोधपुर	उदयपुर	अलवर	भीलवाड़ा	जयपुर	झुंझुनूं	बून्दी	अजमेर
लॉन टेनिस (दलीय)	अजमेर	अलवर	जयपुर-I	टोंक	उदयपुर	राजसमन्द	झुंझुनूं	जोधपुर
टेबल टेनिस (दलीय)	जयपुर	अलवर	कोटा	अजमेर	पाली	सीकर	जोधपुर	चित्तौड़गढ़

(लक्ष्मी नारायण पारीक), उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-7

सत्र 2018-19 के लिए राज्यस्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के लिए (आयुवर्गानुसार) एथलेटिक्स हेतु निर्धारित इवेन्ट्स एवं मानदण्ड

नाम इवेन्ट्स	19 वर्ष आयु वर्ग		17 वर्ष आयु वर्ग	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
100 मीटर दौड़	12.5 Second	14 Second	13 Second	14.5 Second
200 मीटर दौड़	26.0 Second	30.5 Second	27.0 Second	32.5 Second
400 मीटर दौड़	55.0 Second	1 Min. 10 Sec.	57.0 Second	1 Min. 15 Sec.
800 मीटर दौड़	2 Min. 12 Sec.	2 Mi. 32 Sec.	2 Min. 17 Sec.	2 Min. 37 Sec.
1500 मीटर दौड़	4 Min. 30 Sec.	5 Min.	4 Min. 40 Sec.	5 Min. 15 Sec.
3000 मीटर दौड़	14 Min 30 Sec.	13 Min.10 Sec.	15 Min. 20 Sec.
5000 मीटर दौड़	21 Min.	25 Min.
100 मीटर बाधा दौड़	20 Sec.	18 Sec.	21 Sec. (86 cm. height)(99 cm. height)(84 cm. height)

110 मी. बाधा दौड़	19Sec.(106cm)
400 मी.बाधा दौड़	1Min.10 Sec. (91 cm.)	1 Min. 22 Sec. (76 cm.)
ऊँची कूद	1.50 Meter	1.25 Meter	1.45 Meter	1.20 Meter
लम्बी कूद	5.30 Meter	4.25 Meter	5.25 Meter	4.15 Meter
त्रिकूद	11.00 Meter	8.50 Meter	10.50 Meter	7.50 Meter
बाँस कूद	2.50 Meter	2.35 Meter
गोला फेंक	10 Meter (7.260 kg)	7 Meter (4 kg)	10 Meter (5.450 kg) (4 kg)	6.75 Meter
तश्तरी फेंक	30 Meter (2 kg)	16 Meter (1 kg)	30 Meter (1.5 kg)	15 Meter (1 kg)
भाला फेंक	32 Meter (800 gm)	20 Meter (600 gm)	31 Meter (800 gm)	19 Meter (600 gm)
हैमर थ्रो	28 Meter (7.260 kg)	14 Meter (4 kg)	28 Meter (5.450 kg)
3 कि.मी. वाक	20 Min.
5 कि.मी. वाक	29 Min.	33 Min.	31 Min.

शिविरा पत्रिका

4×100 मीटर रिले	52 Sec.	1 Min. 5Sec.	53 sec.	1 Min. 8 Sec.
4×400 मीटर रिले	4 Min.	4 Min. 50 Sec.

(लक्ष्मीनारायण पारीक), उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट-9

सत्र 2018-19 के लिए जिला एवं राज्यस्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु कबड्डी, कुश्ती, जूँडो के आयुवर्गनुसार नवीन वजन कैटेगरी

परिशिष्ट-8

सत्र 2018-19 के लिए राज्यस्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के लिए (आयुवर्गनुसार) तैराकी हेतु निर्धारित इवेन्ट्स एवं मानदण्ड

नाम इवेन्ट्स	छात्र		छात्रा	
	19 वर्ष	17 वर्ष	19 वर्ष	17 वर्ष
1. फ्री स्टाइल				
50 मीटर	0:35:00	0:40:00	0:40:00	0:45:00
100 मीटर	1:30:00	1:35:00	2:15:00	2:25:00
200 मीटर	3:10:00	3:20:00	5:10:00	5:20:00
400 मीटर	6:55:00	7:00:00	10:30:00	10:40:00
800 मीटर	15:00:00	20:30:00
1500 मीटर	28:30:00
4×100 मीटर रिले	6:15:00	6:30:00	7:00:00	7:00:00
2. मेडले रिले				
4×100 मीटर रिले	6:30:00	6:30:00	7:30:00	7:30:00
3. इण्डिविजवल मेडले				
200 मीटर	3:30:00	3:40:00	6:15:00	6:30:00
400 मीटर	7:20:00	7:30:00	13:00:00	13:30:00
4. बैक स्ट्रोक				
50 मीटर	0:41:00	0:43:00	0:49:00	0:51:00
100 मीटर	1:40:00	1:50:00	2:00:00	2:20:00
200 मीटर	4:10:00	4:30:00	6:00:00	6:20:00
5. ब्रेस्ट स्ट्रोक				
50 मीटर	0:43:00	0:45:00	0:51:00	0:53:00
100 मीटर	1:30:00	1:40:00	1:55:00	2:00:00
200 मीटर	3:40:00	3:50:00	5:30:00	6:00:00
6. बटर फ्लाई				
50 मीटर	0:38:00	0:40:00	0:46:00	0:48:00
100 मीटर	1:30:00	1:40:00	2:45:00	3:00:00
200 मीटर	3:45:00	3:55:00	6:00:00	6:15:00

नोट:- एक तैराक तीन इवेन्ट्स तथा एक रिले में भाग ले सकता है।

(लक्ष्मीनारायण पारीक) उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

कुश्ती 19 वर्ष छात्र	कुश्ती 17 वर्ष छात्र
42 किलोग्राम	42 किलोग्राम
46 किलोग्राम	46 किलोग्राम
50 किलोग्राम	50 किलोग्राम
55 किलोग्राम	54 किलोग्राम
60 किलोग्राम	58 किलोग्राम
66 किलोग्राम	63 किलोग्राम
74 किलोग्राम	69 किलोग्राम
84 किलोग्राम	76 किलोग्राम
96 किलोग्राम	85 किलोग्राम
120 किलोग्राम	100 किलोग्राम

जूँडो (छात्र) जूँडो (छात्रा)

19 वर्ष	17 वर्ष	19 वर्ष	17 वर्ष
-40 किलोग्राम	-40 किलोग्राम	-36 किलोग्राम	-36 किलोग्राम
-45 किलोग्राम	-45 किलोग्राम	-40 किलोग्राम	-40 किलोग्राम
-50 किलोग्राम	-50 किलोग्राम	-44 किलोग्राम	-44 किलोग्राम
-55 किलोग्राम	-55 किलोग्राम	-48 किलोग्राम	-48 किलोग्राम
-60 किलोग्राम	-60 किलोग्राम	-52 किलोग्राम	-52 किलोग्राम
-66 किलोग्राम	-66 किलोग्राम	-57 किलोग्राम	-57 किलोग्राम
-73 किलोग्राम	-73 किलोग्राम	-63 किलोग्राम	-63 किलोग्राम
-81 किलोग्राम	-81 किलोग्राम	-70 किलोग्राम	-70 किलोग्राम
-90 किलोग्राम	-90 किलोग्राम	+70 किलोग्राम	+70 किलोग्राम
+90 किलोग्राम	+90 किलोग्राम	-	-

कबड्डी (छात्र) कबड्डी (छात्रा)

आयुवर्ग	19 वर्ष	17 वर्ष	19 वर्ष	17 वर्ष
वजन	70 कि.ग्रा. से कम	55 कि.ग्रा. से कम	65 कि.ग्रा. से कम	55 कि.ग्रा. से कम
खेल मैदान	13×10 मीटर	12×8 मीटर	12×8 मीटर	12×8 मीटर

एथ्लेटिक्स (छात्र) एथ्लेटिक्स (छात्रा)

इवेन्ट	19 वर्ष	17 वर्ष	19 वर्ष	17 वर्ष
100 M. Hurdle	91.4 cm	84 cm	76.2 cm
110 M. Hurdle	99.0 cm
400 M. Hurdle	91.4 cm	76.2 cm
Shot	6.0 kg	5 kg	4 kg	4 kg
Discus	1.75 kg	1.5 kg	1 kg	1 kg
Hammer	6 kg	5 kg	4 kg	4 kg
Javelin	800 gms.	700 gms.	600 gms.	600 gms.

● (लक्ष्मीनारायण पारीक) उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

माह : अगस्त, 2018			विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम			प्रसारण समय : दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक	
दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठक्रमांक	पाठ का नाम	
1.8.2018	बुधवार	उदयपुर	10	सामाजिक विज्ञान	1	स्वर्णिम भारत-प्रारंभ से 1206 ई. तक	
2.8.2018	गुरुवार	जयपुर	12	इतिहास	1	भारत का वैभवपूर्ण अतीत	
3.8.2018	शुक्रवार	जोधपुर	9	सामाजिक विज्ञान	1	विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ	
4.8.2018	शनिवार	बीकानेर	10	विज्ञान	1	भोजन एवं मानव स्वास्थ्य	
6.8.2018	सोमवार	उदयपुर	9	विज्ञान	1	भारत और विज्ञान	
7.8.2018	मंगलवार	जयपुर	9	हिन्दी प्रबोधिनी	गद्य 1	युवाओं से	
8.8.2018	बुधवार	जोधपुर	9	हिन्दी प्रबोधिनी	पद्य 1	कबीर-साखी, पद	
9.8.2018	गुरुवार	बीकानेर	8	विज्ञान	1	कृषि प्रबंधन	
10.8.2018	शुक्रवार	उदयपुर	3	हिन्दी	1	देश की माटी	
11.8.2018	शनिवार	जयपुर	10	हिन्दी क्षितिज	3	सेनापति (ऋतु वर्णन)	
13.8.2018	सोमवार	जोधपुर	7	हिन्दी	1	सादर नमन	
14.8.2018	मंगलवार	बीकानेर	गैरपाठ्यक्रम			स्वतंत्रता दिवस	
15.8.2018	बुधवार	स्वतंत्रता दिवस अवकाश/उत्सव अनिवार्य					
16, 17 व 18 अगस्त 2018 गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार : प्रथम परख।							
20.8.2018	सोमवार	उदयपुर	12	इतिहास	2	भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ	
21.8.2018	मंगलवार	जयपुर	5	हिन्दी	3	अपनी वस्तु	
23.8.2018	गुरुवार	जोधपुर	6	विज्ञान	2	पादपों में पोषण	
24.8.2018	शुक्रवार	बीकानेर	4	हिन्दी	3	झीलों की नगरी	
25.8.2018	शनिवार	उदयपुर	गैरपाठ्यक्रम			रक्षाबंधन एवं संस्कृत दिवस की जानकारी	
27.8.2018	सोमवार	जयपुर	3	हिन्दी	3	शिष्टाचार	
28.8.2018	मंगलवार	जोधपुर	12	हिन्दी अनि. सूजन	2	भ्रमरगीत से चयनित कुछ पद : सूर	
29.8.2018	बुधवार	बीकानेर	5	पर्यावरण अध्ययन	4	मिलकर करें सफाई	
30.8.2018	गुरुवार	उदयपुर	9	संस्कृत	2	योग: कर्मसु कौशलम्	
31.8.2018	शुक्रवार	जयपुर	8	हिन्दी	4	सुदामा चरित	

कार्य दिवस- 26, (प्रसारण-22, अन्य-4) अवकाश-05 (रविवार-4, अन्य- 01) उत्सव-02 निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, अजमेर।

अगस्त-2018					शिविरा पञ्चाङ्ग अगस्त 2018 ● कार्य दिवस-26, रविवार-04, अवकाश-01, उत्सव-02		
श्वि	5	12	19	26	● 10 से 25 अगस्त-विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु फंक्शनल असेसमेंट कैम्प-SSA,		
रोम	6	13	20	27	13 अगस्त-जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार (SIERT), 15 अगस्त से पूर्व-केजीबीवी. बालिकाओं को समस्त प्रकार की आधारभूत सामग्री का वितरण-SSA, 15 अगस्त-1. स्वतंत्रता दिवस (अवकाश-उत्सव अनिवार्य) 2. SDMC. की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक निविदा कार्यवाही सम्पन्न करना। 16 अगस्त से पूर्व विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समूह की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, 16-18 अगस्त-प्रथम परख का आयोजन, 21 अगस्त-‘अध्यापिका मंच’ संचालन समिति का गठन एवं बैठक SSA, 22 अगस्त-ईंडल जुहा (अवकाश चन्द्र दर्शनानुसार), 23 से 24 अगस्त-जिला स्तरीय नेहरू हॉकी सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता का आयोजन। 26 अगस्त-रक्षा बन्धन (अवकाश) एवं संस्कृत दिवस (उत्सव), 27 से 29 अगस्त-राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता का आयोजन। 28 अगस्त-राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार (SIERT), 29 अगस्त-ध्यानचन्द जयन्ती पर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना, 29-30 अगस्त-जिला स्तरीय केजीबीवी. खेलकूद एवं संस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन-SSA, 31 अगस्त-1. SDMC. की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु निविदा कार्यवाही उपरांत क्रयादेश/कार्यादेश जारी करना। 2. सर्व श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार-2018 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को आवेदन करना। SSA से सम्बन्धित कार्यक्रम 1. आत्मरक्षा पर एम.टी. प्रशिक्षण, 2. केजीबीवी. संस्थाप्रधानों एवं वार्डन की कार्यशाला, 3. समस्त नव प्रवेशित व शेष विद्यार्थियों व शिक्षकों के आधार की प्रविष्टि, 4. विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति विवरण की शाला दर्शन पर प्रविष्टि, 5. पेरेंट काउंसलिंग (प्रत्येक ब्लॉक पर): अगस्त से दिसम्बर-2018 6. एस.एम.सी. प्रशिक्षण: अगस्त से अक्टूबर-2018		

शिक्षा के लिए दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ: मेघवाल

□ महावीर प्रसाद गर्ग



भा माशाह जयन्ती के अवसर पर 28 जून 2018 को शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा बिड़ला सभागार जयपुर में 24 वाँ भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने में जन सहभागिता दानदाताओं ने दिखाई है। इस अवसर पर 117 भामाशाहों व 50 प्रेरकों के द्वारा 8487.29 लाख से अधिक का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ।

समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल एवं समारोह के अध्यक्ष शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वासुदेव देवनानी थे। स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री नथमल डिडेल, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्री श्याम सिंह राजपुरोहित एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राज्य

परियोजना निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, श्री अशफाक हुसैन विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा व श्री जोगाराम आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद् भी मंच पर विराजमान थे।

अतिथियों का मुख्य द्वार पर रोली अक्षत से तिलकार्चन पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत राजस्थानी वेशभूषा में सजी छात्राओं ने किया। स्वागत से पूर्व 'गार्ड ऑफ ऑनर' जयपुर के एन.सी.सी. छात्रों की आर्मी एवं नेवी विंग ने दिया। अतिथियों के मंचासीन होने के पश्चात् वन्देमातरम का गायनकर शुभारंभ किया गया। माँ सरस्वती एवं दानवीर भामाशाह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही जयपुर के विभिन्न विद्यालयों की शिक्षिकाओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी।

तत्पश्चात् कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कैलाश मेघवाल एवं अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी का विभाग के अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत किया।

स्वागत भाषण एवं समारोह परिचयः



श्री नरेशपाल गंगवार प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा स्वागत भाषण एवं समारोह परिचय दिया गया तथा भामाशाह जयन्ती के पावन पर्व पर सम्मानित होने वाले भामाशाहों, प्रेरकों एवं सभागार में उपस्थित लोगों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। समारोह का परिचय देते हुए राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं भौतिक उन्नयन के क्षेत्र में किए जाने वाले सहयोग का उल्लेख किया। भामाशाह के जन्मदिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान योजना में शिक्षा के क्षेत्र में 15 लाख से अधिक का आर्थिक सहयोग करने पर भामाशाहों का व भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों का सम्मान किया जाता है। अब तक

**भा**

माशाह बाल्यकाल से मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वासपात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को प्रति अगाध प्रेम था और दानवीरता के लिए आपका नाम इतिहास में अमर है। आपका निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में निर्णायक साबित हुआ। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व न्योछावर हो जाने के बाद उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए अपनी सम्पूर्ण धन-सम्पदा अर्पित कर दी। आपने यह सहयोग तब दिया जब महाराणा प्रताप निराश होकर परिवार सहित पहाड़ियों में रहकर राष्ट्र की रक्षा की योजना बना रहे थे। आपने मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली गद्दी का प्रलोभन भी ठुक्रा दिया। महाराणा प्रताप को दी गई आपकी हरसम्भव सहायता ने मेवाड़ के आत्मसम्मान एवं संघर्ष को एक नई दिशा दी। और अपनी दानवीरता के कारण इतिहास में अमर हो गए। भामाशाह की दानशीलता के प्रसंग आसपास के इलाकों में बड़े उत्साह के साथ सुने और सुनाए जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी निजी सम्पत्ति में इतना दान दिया था कि जिससे 25,000 सैनिकों का बारह वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को खेड़ कर मेवाड़ का मान बढ़ाया।

आप बेमिसाल दानवीर एवं त्यागी पुरुष थे। आत्मसम्मान और त्याग की यही भावना आपको स्वदेश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देश-भक्त के रूप में शिखर पर स्थापित कर देती है। धन अर्पित करने वाले किसी भी दानदाता को 'दानवीर भामाशाह' कहकर उसका स्मरण-चंदन किया जाता है। अतः शिक्षा विभाग में इनकी स्मृति में आप ही की जयन्ती 28 जून को राजकीय विद्यालयों को दान देने वाले दानदाताओं हेतु भामाशाह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

1530 भामाशाह एवं 326 प्रेरकों का सम्मान किया गया है। इनके द्वारा 335 करोड़ से ज्यादा राशि का सहयोग शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा छोटे-छोटे दान भी बहुत आए हैं। अक्षय पेटिका व विद्यादान कोष में भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। इससे विद्यालयों से जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव व सहयोग बढ़ रहा है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं नामांकन वृद्धि की अपील के साथ भामाशाहों से इस पावन ज्योति को जलाए रखने का आग्रह किया। पुनः कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह का अभिनंदन किया।

भामाशाह गीत : जयपुर के विभिन्न विद्यालयों की शिक्षिकाओं ने सस्वर भावपूर्ण भामाशाह गीत प्रस्तुत कर सभागार में उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रभक्ति व त्याग का संदेश दिया।

वह जीवन भी क्या जीवन है
जो काम देश के आ न सका।
वह चन्दन भी क्या चन्दन है
जो अपना वन महका न सका।
राणा के पास नहीं पैसा,
पैसे के बिना नहीं सेना
तब भामाशाह बढ़ा आगे,
लेकर रुपया पैसा गहना

दानवीर भामाशाह

वह धन क्या जो अवसर आने पर
त्याग भाव दिखला न सका।

वह जीवन भी

अपना राष्ट्र विश्व में परचम फहराकर
विश्वगुरु बने - शिक्षामंत्री

 सम्मान समारोह के अध्यक्ष और शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वासुदेव देवनानी ने शूरवीर, दानवीर एवं त्यागी भामाशाह को नमन करते हुए उद्बोधन प्रारम्भ किया। भामाशाह ने सम्पूर्ण जीवन की पूँजी महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी ताकि युद्ध में धन की कमी नहीं रहे और आजादी कायम रहे। शिक्षामंत्री ने कहा धन कमाना अलग बात है परन्तु खर्च करना भी सरल काम नहीं है। भामाशाहों द्वारा लगातार दानराशि बढ़ रही है, इसके लिए उन्होंने कृतज्ञता अर्पित की। शिक्षा मंत्री ने सम्मानित होने वाले भामाशाहों व प्रेरकों को बधाई दी तथा आर्थिक सहयोग हेतु आभार प्रदर्शित किया। पहले राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से भारत में 26 वें स्थान पर था जो अब दूसरे स्थान पर है। इस अवसर पर कबीर के दोहे का उदाहरण देते हुए कहा कि (-)

चिड़ी चोंच भर ले गयी, नदी न घटयो नीर।
दान दिए धन ना घटे, कहि गए दास कबीर॥

अर्थात् भामाशाह अपनी जमा पूँजी में से शिक्षा क्षेत्र में सहयोग करते हैं तो उनके कोई कमी नहीं आ सकती। अच्छे कार्य में व्यय करने से धन बढ़ता है। इसी प्रकार महाभारत में कर्ण को महावीर कर्ण से नहीं दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है।

भारत की शिक्षा व्यवस्था व उसके भविष्य के निर्माण के केन्द्र तक्षशिला व नालन्दा की तर्ज पर स्थापित हो, यह अपना स्वप्न है।

शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान की शिक्षा में नामांकन वृद्धि, परीक्षा परिणाम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनेक एजेन्सियों के मार्फत भौतिक संसाधन भी जुटाए हैं। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, कक्षा 9वीं की 11 लाख छात्राओं को साइकिल वितरण, मेधावी विद्यार्थियों को 98 हजार लैपटॉप, 15 लाख छात्राओं को गार्गी पुस्कार वितरित किए हैं।

समाज को विद्यालय से जोड़ने हेतु पी.टी.ए. व एम.टी.ए. का आयोजन करना। विद्यालयों की भी स्टार रेटिंग की गयी जिसमें 2500 फाइव स्टार स्कूल शाला दर्पण पर पंजीकृत हुए।

अब समाज के लोगों ने शिक्षकों व सरकार का विश्वास जीता है। सरकारी योजना से


विद्यालयों का इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है।

संस्कार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधार पर राजस्थान को पहले स्थान पर लाने, प्रत्येक बालक की प्रतिभा को तराशते हुए राष्ट्र निर्माण में आहुति के तथा राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने में हम सभी अदाकार बनें।

राजकीय विद्यालयों में अभूतपूर्व नामांकन वृद्धि हुई है इसके लिए सभी को बधाई दी तथा और भी नामांकन बढ़ाने की अपील की। इस वर्ष 18.5 लाख नामांकन वृद्धि की सम्भावना बताई। शिक्षा विभाग में 82 लाख छात्र अध्ययनरत और 4.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। यह धारा निरन्तर बहती रहे, शिक्षा को सहयोग मिलता रहे तो मन को सुखद अनुभूति होगी।

उन्होंने अनेक राजकीय योजनाओं का परिचय दिया तथा विद्यालयी पाठ्यक्रम को देश की माटी से जोड़कर देश को आगे बढ़ाने की बात कही। अलवर के मो. इमरान खान मेवाती को शैक्षिक ऐप बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन :



भामाशाह व प्रेरकों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रशस्ति पुस्तिका के रूप में मय संदेश के प्रकाशित किया गया। यह पुस्तिका 'गागर में सागर भरने' जैसी बात चरितार्थ करती है। इस प्रशस्ति पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैलाश मेघवाल अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, कार्यक्रम के अध्यक्ष राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वासुदेव देवनानी व मंचासीन अतिथियों द्वारा विमोचन किया।

मुख्य अतिथि का उद्बोधन :

धर्म आश्रित व समाज आश्रित शिक्षा ही राष्ट्रनिर्माण में सक्षम : 24 वें



भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल ने अपने आशीर्वचन में कहा कि जब महाराणा प्रताप एक के बाद एक युद्ध हारते गए व निराशा की भावना आ गयी थी, उस समय

भामाशाह के मन में विचार आया कि महाराणा प्रताप प्रतीक हैं स्वाभिमान के, प्रतीक हैं राष्ट्रभक्ति के इसके आधार पर भामाशाह ने महाराणा प्रताप को सर्वस्व समर्पण किया। ऐसे अवसर पर समस्त धन अर्पित किया।

मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा दान भोग नाशस्ति स्त्रो गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुडत्तेतस्य तृतीया गतिर्भवन्ति

धन की तीन गति होती है दान, भोग और नाश। धन की दान की स्थिति सर्वश्रेष्ठ होती है। परन्तु धन जो दान व भोग के काम नहीं आता है उसकी तीसरी गति नाश निश्चित है। पौराणिक कथाओं के उल्लेख से बताया कि बचे हुए धन को नाग की योनि में जाकर सुरक्षा करनी पड़ती है।

मुख्य अतिथि ने बताया कि राज्याश्रित शिक्षा समाज व धर्म के अनुकूल नहीं होती है। समाज व धर्म अश्रित शिक्षा से रोजगार की समस्या समाप्त होती है। वही अच्छे, धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रभक्त नागरिकों का निर्माण करती है। इस अवसर पर भामाशाहों को आहवान किया कि वे इस दिशा में कार्य करें। वेद, उपनिषदों, जैनधर्म व बौद्धधर्म के साहित्यों पर शोध की जाए। जिससे शिक्षित बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके। अन्त में पुनः आहवान किया कि शिक्षा समाज आश्रित व धर्म आश्रित होगी तो आने वाली पीढ़ी के विचार व संस्कार ठीक होंगे। राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे, शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा मंच है। अंत में चिन्तन व मनन करके राष्ट्रहित में कार्य करने का आहवान किया।

भामाशाह व प्रेरक सम्मान : 24 वें भामाशाह सम्मान कार्यक्रम में 117 भामाशाहों व 50 प्रेरकों का पुष्पगुच्छ, ताप्रपत्र, शॉल व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। भामाशाह व प्रेरकों को राजस्थान शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा ताप्रपत्र प्रदान किया गया तथा मुख्य अतिथि व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समारोह व पुरस्कार वितरण अत्यन्त गरिमापूर्ण था। सम्पूर्ण कार्यक्रम में लगातार करतल ध्वनि बनी रही। वातावरण जोशीला, राष्ट्रभक्ति व त्याग की भावना से परिपूर्ण था।

धन्यवाद ज्ञापन : निदेशक प्रारंभिक

शिक्षा श्री श्याम सिंह राजपुरोहित ने माननीय मुख्य अतिथि श्री कैलाश मेघवाल, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रमुख शासन

सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, रमसा की राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, श्री अशफाक हुसैन विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा, श्री जोगाराम आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री नथमल डिडेल, अन्य शिक्षाधिकारियों, भामाशाहों, प्रेरकों, कार्यक्रम में लगे कार्यकर्ताओं एवं मीडिया से आए हुए सभी पत्रकारों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम संचालन श्री सुभाष कौशिक, डॉ. ज्योति जोशी एवं श्रीमती आभा द्विवेदी ने किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में

इटोय क्षाद्धना अभक वहे।

इटोय क्षाद्धना अभक वहे।

अक्विल जभत को पावन कक्ती
त्रक्त उक्तों में आक्षा भक्ती
भाक्तीय क्षयता क्विक्लाती
ठंगा की चिक धाक वहे।

इक्के प्रेक्ति छोकक जन-जन
करे निछावक निज तन-भन-धन
पाले देक्षाभक्ति का प्रिय प्राण
अडिङा लाक्क आदात वहे।

भीती न भमको छूने पाये
क्वार्थ लालक्का नर्दी क्षताये
शुद्ध छद्य ले छढ़ते जाये
धन्य-धन्य जगा आप कहे।

जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में
भाँठो भातृभूमि क्ले यह रक
तेका वैश्वतभक्त वहे भाँ।
दृम दिन चाक वहे न वहे।

भामाशाह

क्र.सं.	नाम भामाशाह	राशि लाखों में
1	न्यूविल्यर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रावतभाटा राजस्थान साइट (शिक्षा विभूषण)	763.00
2	हिन्दुस्तान जिंक, राजपुरा दरीबा काम्पलेक्स रेलमगारा, राजसमन्द (शिक्षा विभूषण)	665.55
3	हीरो मोटोकोर्प लिमिटेड, कुक्स, जयपुर (शिक्षा विभूषण)	379.07
4	क्यू.आर.जी. फाउण्डेशन अलवर (शिक्षा विभूषण)	348.79
5	चाच्छल फार्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, कोटा (शिक्षा विभूषण)	336.04
6	संघवी शांतिलाल लाधमाल जी मडिगा जैन गुलालवाड़ी, मुम्बई (शिक्षा विभूषण)	316.00
7	श्री हरिप्रसाद बुधिया पुत्र श्री बृजलाल अग्रवाल कोलकाता (शिक्षा विभूषण)	308.85
8	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नईदिल्ली (शिक्षा विभूषण)	278.96
9	हैवल्स इण्डिया लिमिटेड, अलवर (शिक्षा विभूषण)	237.48
10	हीरो मोटोकोर्प लिमिटेड, नीमराना, अलवर (शिक्षा विभूषण)	227.00
11	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय), जोधपुर (शिक्षा विभूषण)	159.00
12	होण्डा मोटरसाईकल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा.लि., अलवर (शिक्षा विभूषण)	154.24
13	युनाइटेड ब्ल्यूवेरीज लिमिटेड, गुरुग्राम (शिक्षा विभूषण)	143.78
14	अल्ट्राटेक सीमेंट लि. चित्तौड़गढ़ (शिक्षा विभूषण)	129.89
15	श्री देवीसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रणछोड़सिंह, पाली (शिक्षा विभूषण)	125.00
16	तिलोक चन्द मोतीलाल चौपडा चेरिटेबल ट्रस्ट, कोलकाता (शिक्षा विभूषण)	120.59
17	श्री सजन बजाज पुत्र श्री रामेश्वरलाल C/O बजाज हेल्थ केयर लि. ठाणे, मुम्बई (शिक्षा विभूषण)	119.03
18	जामृति, वैशाली नगर, जयपुर (शिक्षा विभूषण)	114.34
19	बजाज सीएसआर, महाराष्ट्र (शिक्षा विभूषण)	112.29
20	भारती फाउण्डेशन, नई दिल्ली (शिक्षा विभूषण)	105.70
21	ज्योतिबेन अग्रवाचन्द कल्हजी चेरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई (शिक्षा भूषण)	80.83
22	श्रीमती केसरी देवी नन्द कुमार काबरा चेरिटेबल ट्रस्ट, सूरत (शिक्षा भूषण)	80.63
23	एस.एम. सहगल फाउण्डेशन, गुडगाँव (शिक्षा भूषण)	76.19
24	FCI अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, जोधपुर (शिक्षा भूषण)	75.03
25	जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, पूर्णे (महाराष्ट्र) (शिक्षा भूषण)	74.59
26	मोजेक इण्डिया प्रा.लि., गुडगाँव (शिक्षा भूषण)	73.75
27	कर्जारिया सिरोमिक लिमिटेड, गैलपुर, भिवाड़ी, अलवर (शिक्षा भूषण)	70.13
28	मोदीसन चेरिटेबल ट्रस्ट (मुम्बई) (शिक्षा भूषण)	70.00
29	श्री राम पिस्टन्स एण्ड रिस लिमिटेड पथेड़ी, अलवर (शिक्षा भूषण)	69.38
30	बॉश इण्डिया फाउण्डेशन C/o बांश लिमिटेड, जयपुर (शिक्षा भूषण)	61.86
31	हिन्दुस्तान जिंक, जावर माइस, उदयपुर (शिक्षा भूषण)	61.74
32	शराल कंवर पत्ती ठाकुरसा सुमेरसिंह राठौड़, बीदासर, चूरू (शिक्षा भूषण)	57.03
33	अटाणी फाउण्डेशन, बारा (शिक्षा भूषण)	56.92
34	पेनेड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर (शिक्षा भूषण)	56.80
35	श्री नरेन्द्र कुमार बोहरा पुत्र स्व. श्री भैरुलाल, राजसमन्द (शिक्षा भूषण)	53.83
36	श्री तनसुख बोहरा पुत्र स्व. श्री भैरुलाल बोहरा, राजसमन्द (शिक्षा भूषण)	53.83
37	श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, भिवाड़ी (हरियाणा) (शिक्षा भूषण)	53.73
38	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देवरी, उदयपुर (शिक्षा भूषण)	53.00
39	एस.के. शाह पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, बाड़मेर (शिक्षा भूषण)	51.60
40	श्री गौतम आर. मोरारका, पुत्र स्व. श्री राधेश्याम मोरारका, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) (शिक्षा भूषण)	48.43
41	सेन्ट गोबेन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर (शिक्षा भूषण)	47.23

क्र.सं.	नाम भामाशाह	राशि लाखों में
42	सिंगवर्क फाउण्डेशन, अलवर (शिक्षा भूषण)	43.19
43	मेटो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर (शिक्षा भूषण)	38.62
44	सीतादेवी तोसनीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, कोलकाता (शिक्षा भूषण)	35.78
45	इंडिया इंफोलाइन फाउण्डेशन, मुम्बई (शिक्षा भूषण)	35.65
46	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर (शिक्षा भूषण)	35.00
47	जी.आर.सी. लॉन्जिस्टिक प्रा.लि., हैदराबाद (शिक्षा भूषण)	34.71
48	गणेशीलाल एजुकेशन फाउण्डेशन, अलवर (शिक्षा भूषण)	34.54
49	श्री सीमेंट लिमिटेड. रास, पाली (शिक्षा भूषण)	34.47
50	एस.आर.एफ. लिमिटेड अलवर (शिक्षा भूषण)	34.40
51	श्रीमती कमला भोई पत्ती स्व. श्री हिरालाल भोई, झूँगेपुर (शिक्षा भूषण)	34.11
52	डेकिन एग्रिकॉलिशनिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर (शिक्षा भूषण)	33.33
53	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मुम्बई (शिक्षा भूषण)	32.62
54	श्री सम्भूदयाल पुत्र श्री भेरुराम, दौसा (शिक्षा भूषण)	32.49
55	बी.जी. चेरिटेबल ट्रस्ट पोस्टा, कोलकाता (शिक्षा भूषण)	32.25
56	श्री कांतिलाल भाडारा पुत्र श्री गणेशमल, पाली (शिक्षा भूषण)	32.00
57	लिट्रेसी इंडिया. गुडगाँव (शिक्षा भूषण)	31.79
58	आई.डी.एफ.सी. फाउण्डेशन, नई दिल्ली (शिक्षा भूषण)	31.07
59	जोधपुर राउण्ड टेबल, जोधपुर (शिक्षा भूषण)	30.00
60	रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर पद्मिनी, जोधपुर (शिक्षा भूषण)	30.00
61	सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर (शिक्षा भूषण)	29.36
62	श्री दिनेश सुथार पुत्र श्री सांवरमल सुथार, चूरू (शिक्षा भूषण)	29.00
63	इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (शिक्षा भूषण)	26.00
64	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट: कोटपुतली सीमेंट वर्क्स, जयपुर (शिक्षा भूषण)	25.76
65	पिंकसिटी जैवल्स हाउस प्रा.लि., जयपुर (शिक्षा भूषण)	25.00
66	जिलेट इण्डिया लिमिटेड, अलवर (शिक्षा भूषण)	24.78
67	जे.आर.आर.टी. 215 चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर (शिक्षा भूषण)	23.50
68	श्री सीमेंट लिमिटेड खुशबोरा, अलवर (शिक्षा भूषण)	23.09
69	श्री चुनीलाल पुत्र श्री मनालाल, सीकर (शिक्षा भूषण)	21.75
70	लूपिन हृष्मन वैलफेर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, भरतपुर (शिक्षा भूषण)	21.65
71	किशनगढ़ हवाई अड्डा, अजमेर (शिक्षा भूषण)	21.42
72	राउण्ड टेबल बी.यू.टी.आर. 234, उदयपुर (शिक्षा भूषण)	21.35
73	श्री मदनगोपाल तोसनीवाल, पुत्र स्व. श्री नन्दलाल तोसनीवाल, कोलकाता (शिक्षा भूषण)	21.22
74	श्री भोमराज जी सरावगी, पुत्र श्री मोहनलाल सरावगी, कोलकाता (शिक्षा भूषण)	20.90
75	श्री मंगाराम बैन्दु पुत्र श्री जस्सराम, नागोर (शिक्षा भूषण)	20.00
76	राउण्ड टेबल इण्डिया (जेएचआरटी 185), जयपुर (शिक्षा भूषण)	20.00
77	आशियाना हाउसिंग लिमिटेड भिवाड़ी (शिक्षा भूषण)	19.57
78	श्रीमती शरद दीवान पत्ती श्री केदार नाथ दीवान, जयपुर (शिक्षा भूषण)	19.50
79	माताश्री गोमती देवी जन सेवा निधि (लूपिन) अलवर (शिक्षा भूषण)	18.40
80	अजमेर राउण्ड टेबल-291 चेरिटेबल ट्रस्ट अजमेर (शिक्षा भूषण)	18.35
81	जयपुर पिंकसिटी राउण्ड टेबल जयपुर (शिक्षा भूषण)	18.35
82	राउण्ड टेबल इण्डिया एण्ड लेडिज सर्किल इण्डिया, भीलवाडा (शिक्षा भूषण)	18.13
83	वंडर सीमेंट लि. आर.के.नगर, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़) (शिक्षा भूषण)	17.80
84	उदयपुर लेक्सिटी राउण्ड टेबल ट्रस्ट, उदयपुर (शिक्षा भूषण)	17.66
85	श्री भवरिलाल तापाड़िया, पुत्र स्व. श्री जीवणमल तापाड़िया, मुम्बई (शिक्षा भूषण)	17.64
86	वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर (शिक्षा भूषण)	17.44
87	राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, भवानीमण्डी, झालावाड (शिक्षा भूषण)	17.42
88	अक्ष आस्ट्रिफाईबर लिमिटेड रिंगस, सीकर (शिक्षा भूषण)	17.40

भामाशाह

क्र.सं.	नाम भामाशाह	राशि लाखों में
89	श्री भंवर सिंह राठौड़ पुत्र श्री इन्द्र सिंह, कोनियार, नागौर (शिक्षा भूषण)	17.11
90	अक्ष आस्टिफाईबर लिमिटेड जयपुर (शिक्षा भूषण)	17.04
91	कम्प्युकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड जयपुर	16.66
92	श्री बाबूलाल बसवाल पुत्र स्व. श्री खेडमल (शिक्षा भूषण) (शिक्षा भूषण) बसवाल, नई दिल्ली	16.42
93	ए.बी.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. नई दिल्ली (शिक्षा भूषण)	16.25
94	सामा (इण्डिया) लिमिटेड, भीलवाड़ा (शिक्षा भूषण)	16.23
95	श्री मनोज तोषनीवाल, पुत्र श्री पुष्कर नारायण तोषनीवाल, कोलकाता (शिक्षा भूषण)	16.20
96	डा. नेमीचन्द लुनायच, पुत्र स्व. पन्नाराम लुनायच, जयपुर (शिक्षा भूषण)	16.16
97	श्री एंजेनीज प्राइवेट लिमिटेड, कोटा (शिक्षा भूषण)	16.00
98	जामाकी देवी भौमारजका धर्मशाला ट्रस्ट, कुचामन सिटी (शिक्षा भूषण)	16.00
99	श्री घ्यरेलल पितलिया पुत्र श्री पन्नालाल पितलिया, चैनई (शिक्षा भूषण)	15.83
100	श्री मातादीन गुप्ता पुत्र स्व. श्री सीताराम गुप्ता, झुंझुनूं (शिक्षा भूषण)	15.78
101	श्री रामकुमार ओला, पुत्र स्व. श्री बीरबल राम ओला, हनुमानगढ़ (शिक्षा भूषण)	15.77
102	ओएनजीसी. लिमिटेड, जोधपुर (शिक्षा भूषण)	15.75

क्र.सं.	नाम भामाशाह	राशि लाखों में
103	श्री सेडराम बसवाल पुत्र स्व. श्री खेडमल बसवाल, दौसा (शिक्षा भूषण)	15.70
104	रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउण्डेशन, अलवर (शिक्षा भूषण)	15.62
105	स्व. श्री विजयकुमार पुजारी, सालासर चूरू (शिक्षा भूषण)	15.61
106	श्रीमती शशि चन्द्रशेखर सारडा, कोलकाता (शिक्षा भूषण)	15.54
107	श्री दामोदर प्रसाद माखरिया पुत्र श्री सत्यनारायण माखरिया, पुत्र श्री कन्हैयालाल दुधोड़िया, झुंझुनूं (शिक्षा भूषण)	15.40
108	श्री डी.पी. माहेश्वरी, कोलकाता (शिक्षा भूषण)	15.36
109	श्री नारायण दास गुरानी, जयपुर (शिक्षा भूषण)	15.36
110	श्री खड़ागसिंह दुधोड़िया पुत्र श्री कन्हैयालाल दुधोड़िया, मुंबई (शिक्षा भूषण)	15.26
111	कोटा यूनाइटेड राउण्ड टेबल 306, कोटा (शिक्षा भूषण)	15.26
112	कोटा राउण्ड टेबल 281, कोटा (शिक्षा भूषण)	15.16
113	बॉस लिमिटेड, जयपुर (शिक्षा भूषण)	15.15
114	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री किशोर सिंह राठौड़, जयपुर (शिक्षा भूषण)	15.08
115	श्री जगन्नाथ प्रसाद डागलिया, पुत्र श्री भेराम डागलिया, फतेहपुर, खमनोर, राजसमंद (शिक्षा भूषण)	15.00
116	श्री कमल सिंह मीना, पुत्र श्री मोतीलाल मीना, सराइमाधोपur (शिक्षा भूषण)	15.00
117	हिन्दुस्तान जिंक रामपुरा आगुचा खान, भीलवाड़ा (शिक्षा विभूषण)	336.00
	योग	8487.29

प्रेरक

1	श्री भैराम, अति.जिला शिक्षा अधिकारी,(मा.शि.) जालोर
2	श्री मोहनलाल त्रिवेदी, प्रधानाचार्य रा.बालिका उ.मा.वि. रतननगर, चुरू
3	मो. आसिफ जैदी, कार्यकारी निदेशक सर सैयद ट्रस्ट, भिवाड़ी (अलवर)
4	श्रीमती उषा भारद्वाज, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., निष्ठाहेड़ा, चित्तौड़गढ़
5	श्री राधेश्याम यादव, प्रधानाचार्य राज. आदर्श उमावि बहरोड़, अलवर
6	श्रीमती सायर देवी राजपुरोहित, पूर्ण सरपंच, मोहराई, पाली
7	श्री मोहरसिंह यादव, प्रधानाचार्य रा. चौपडा उ.मा.वि. गंगाशहर, बीकानेर
8	श्री भागीरथ सिंह, प्रधानाचार्य रा. आदर्श उमावि. ढांडण, सीकर
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, शै.प्र.अधि., कार्या.जिशिअ. प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर
10	श्री मोहब्बतसिंह देवडा अध्यापक,ज्यो.बे.अ.जै.रा.बा.प्रा.वि. जाखड़ी, जालोर
11	श्री परमेश्वरलाल बागड़ा, सूरत (गुजरात)
12	श्री डालसिंह शेखावत, व्याख्याता श्री ज. ब. राउमावि. कांशी का बास, सीकर
13	श्री लालूराम मीना, प्रधानाचार्य राउमावि. जमवारामगढ़, जयपुर-II
14	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर, सीकर
15	श्री चैनरूप दायमा, पो. छापर, चूरू
16	श्री नोरतन नायक, प्रधानाचार्य राआउमावि. झूगेरास आथूणा, बीदासर, चुरू
17	श्री बाबूलाल यादव, व्याख्याता, राउमावि. अनन्तपुरा, बहरोड़, अलवर
18	श्री राकेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि. केलवा, राजसमन्द
19	श्री भूपेन्द्र कुमार लद्वा, व.अ., राउमावि. केलवा, राजसमन्द
20	श्री सुशील कुमार अग्रवाल, प्रागपुरा, जयपुर
21	श्री हीरालाल सैनी, जि.शि.अधि., मा. शिक्षा, II अजमेर
22	श्री दिनेश चन्द पारीक, प्रधानाचार्य,राउमावि. सिलोरा, अजमेर
23	श्री दिनेश कुमार ओझा, अति.जि.परि.सम. सर्व.शि.अभि., अजमेर
24	श्री जगमाल गुर्जर, राउमावि. फलौदा, किशनगढ़, अजमेर
25	डॉ. एस.आर. प्रेमी, प्राचार्य, मोरारका राज. पी.जी.महाविद्यालय, झुंझुनूं
26	श्री विजेन्द्र सिंह राठौड़, निजी सहायक, जिला कलकटर, अलवर
27	श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रोजेक्ट कार्डिनेटर, प्लान इण्डिया, जयपुर

28	श्री सुबेसिंह यादव वरिष्ठ व्याख्याता, डाईट, अलवर
29	श्री अमित कुमार गर्ग, बी.ई.ई.ओ. जयपुर पश्चिम, जयपुर
30	डॉ. रामपोपाल जाट, अध्यापक, राउप्रा. सस्कृत वि. कसुम्बी जाखला, नागौर
31	श्रीमती इन्दु हाडा, प्रधानाचार्य राउमावि. बनकोडा, झूंगरपुर
32	श्री अशोक कुमार चांदेलिया, बलारा, लक्ष्मणगढ़, सीकर
33	श्री एण्वीरसिंह, कार्यक्रम अधिकारी, रा.मा.शि.प., अलवर
34	श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, एडीपीसी. रा.मा.शि.प., अलवर
35	श्री अशोक कुमार भट्ट, प्रधानाचार्य, रा. किशनलाल गर्ग उ.मा.वि., झूंगरपुर
36	श्रीमती गायत्री यादव, प्रधानाध्यापिका, रा.मा. वि. तलवाड, बहरोड़, अलवर
37	श्री अशोक कुमार यादव व्याख्याता, रा.आ.उ.मा. वि. बहादुरपुर, अलवर
38	श्री घनश्याम मीणा, प्रधानाचार्य राआउमावि. सिकराय, दौसा
39	श्रीमती कुमुमलता वर्मा, प्रधानाचार्य प्र.प्र. अग्रवाल राआउमावि. बौनावास, जयपुर
40	श्री छोटूराम बसवाल, सिकराय, दौसा
41	श्री हरिसिंह, सेवानिवृत प्रधानाचार्य, राउमावि. तिंवली, पाली
42	श्री अरुणेश कुमार सिन्हा, जि.शि.अ., माध्यमिक शिक्षा I, अलवर
43	श्री अशोक कुमार रांकावत, प्रधानाचार्य, रा.आ.उ.मा.वि. पचपटा, बाड़मेर
44	श्री अभिषेक शर्मा, क.स., कार्यालय जि.शि. अ. प्राशि. जयपुर
45	श्री नरेन्द्र यादव, ब्लॉक प्रा.शि.अ. किशनगढ़वास, अलवर
46	श्री राजेश कुमार मीणा, अध्यापक राउप्रा.वि. बगरू रावाण, सांगानेर, जयपुर
47	श्रीमती रजनी शेखावत, प्रधानाचार्य, रा.बा.उ.मा.वि. बीजेएस. जोधपुर
48	श्री नरेशचन्द्र सारस्वत, वरिष्ठ अध्यापक, रा.उ.मा.वि. झन्दिरामांधी नगर, कोटा
49	श्री विकास मिश्रा, अध्यापक बीईईओ. पश्चिम जयपुर
50	श्रीमती इन्दु कंवर अध्यापिका, रा. ३. प्रा. वि., कुम्हारों की ढाणी नांदा कल्ला मण्डोर, जोधपुर

- सेवानिवृत प्रधानाचार्य
4/705, जवाहर नगर, जयपुर
मो 9414466463

अंग्रेजी भाषा शिक्षण

रैपर का सहायक सामग्री के रूप में उपयोग

□ ओमप्रकाश तंवर

Hमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली सामग्री यथा खाद्य व पेयपदार्थ, सौंदर्यवर्द्धक सामग्री, विद्युत उपकरण, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवा, औषधियाँ आदि कागज, गत्ता, प्लास्टिक आदि में पैक होती हैं। उपभोक्ता रैपर को खोलकर या फाइकर सामग्री को बाहर निकाल लेता है तथा रैपर को अनावश्यक समझकर कचरा पात्र में डाल देता है अथवा रद्दी के रूप में सड़क पर फेंक देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो सामग्री के घटक, उसके उपयोग की विधि तथा उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिये आदि बहुत सी उपयोगी सूचनाएँ व निर्देश अंग्रेजी भाषा में रैपर पर अंकित रहते हैं। इन सूचनाओं और निर्देशों को पढ़ने से उपभोक्ता में जागरूकता बढ़ती है तथा वह उत्पाद का बेहतर ढंग से सही उपयोग कर सकता है।

अगर अंग्रेजी भाषा शिक्षक इन रैपर का संकलन कर सहायक सामग्री के रूप में इनका उपयोग करे तो इन पर अंकित वाक्यों एवं शब्दों को व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय प्रभावी एवं रोचक उदाहरण के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसके साथ ही उत्पाद को खरीदने से पूर्व उस पर अंकित शुद्ध भार (net weight), अधिकतम बिक्री मूल्य, (M.R.P), उत्पाद तिथि (Manufactured date), उपयोग लेने की अंतिम तिथि (Expiry date), राजकीय आपूर्ति (Government supply), चिकित्सक हेतु नमूना (sample for physician), बिक्री हेतु नहीं (not for sale) आदि को पढ़कर उसके पश्चात उत्पाद को खरीदने की प्रवृत्ति का विकास होगा। रैपर पर अंकित सूचनाओं को अंग्रेजी के विभिन्न टॉपिक के शिक्षण में उपयुक्त उदाहरण के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं—

(1) Imperative sentences-

- Always use good quality charger.
- Avoid keeping product in refrigeration.
- Brush twice daily.

- Buy two, get three.
- Change brush after three months.
- Contact Executive Consumer Care Cell Phone.
- Dip the scrubber.
- Draw 2-3 parallel lines around the usual hiding places of cockroaches.
- Enjoy it with your tea or coffee.
- Fold here.
- Get a chance to win Rs.50000/-
- Join India's first social network.
- Keep away from children.
- Keep the container tightly closed.
- Mix it in one bowl of water.
- Protect from direct heat.
- Protect from light.
- Protect from moisture.
- Replace cap tightly immediately after each use.
- Rinse well.
- See top/bottom.
- Send selfie with biscuit pack on WhatsApp to Mob.No.....
- Shake well before use.
- Spray once on each side of lens.
- Squeeze to get powerful lather.
- Start your relationship with good health at www.
- Store in a cool, dry & dark place.
- Store away from direct sunlight and heat.
- Swallow as whole.
- Take one tea spoon of gel.
- Tear to open.
- Tuck and close.
- Use hand gloves while using the product.
- Visit dentist twice a year.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after use.
- Win a gift.
- Wipe dry immediately with a soft cloth.

(2) Prohibition-

- Do not chew, crush or open.
- Do not disassemble the product.
- Do not freeze.

- Do not inhale dust/gas.
 - Do not smoke, drink, eat and chew anything while using.
 - Do not touch the product while using it and immediately after it is turned off.
 - Do not use exhausted battery.
 - Do not use the lamp in places of high temperature, humidity, moisture or dusty surrounding.
 - Do not work alone.
 - Don't accept if tagger is broken.
 - Don't litter.
 - Don't stay in the sun too long.
 - Don't take by mouth or place in nostrils.
 - Don't use on broken or damaged skin.
 - Don't wipe.
 - Use no hooks.
- (3) Simple Present Tense-**
- Ashwagandha helps cope with stress.
 - Cardamom helps in digestion.
 - Ginger helps protect from cough & cold.
 - Highly effective formula protects against mosquitoes, causing diseases like malaria, dengue & chikunguniya.
 - It cleans all types of lenses.
 - It enhances immunity.
 - It gets to work in 6 seconds.
 - It heals up scars, cuts, burns and wounds.
 - It helps prevent pimples.
 - It removes ugly marks by cuts and bruises.
 - It whitens and brightens.
 - Mulethi helps soothe the throat.
 - Shampoo cleans gently, nourishes hair.
 - The oil protects, heals and smoothes skin.
 - The paste keeps dental problem away.
 - The product improves the health and fairness of your skin.
 - The product makes you look

beautiful today, and day after day.
Tulasi helps build body resistance.

(4) Verb to be-

Not to be swallowed.

To be sold only through Medicare consultants.

To be taken as directed by the physician.

To be taken under medical supervision.

(5) रैपर का संकलन कर विभिन्न कम्पनियों के एक ही प्रकार के उत्पादों यथा- एक चार्ट पर दन्तमंजन के रैपर को चिपका लिया जावे तो दूसरे पर साबुन के रैपर तथा अन्य पर केशतेल, शैम्पू आदि के रैपर अलग-अलग चार्ट पर चिपका कर तैयार कर लिए जाएँ। फिर बालकों को विभिन्न कम्पनियों के एक ही प्रकार के उत्पाद के बजन, मूल्य तथा निर्माण के काम में लिए गए घटकों में अन्तर ज्ञात करने का कहा जा सकता है।

(6) बालकों को रैपर में से संज्ञा, मुख्य क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि छाँटकर उनकी सूची बनाने का कार्य दिया जा सकता है।

(7) बालकों को रैपर पर अंकित शब्दों में से छाँटकर बीमारियों के नाम अथवा किसी खास उत्पाद के घटकों के नाम की सूची बनाने का कार्य सौंपा जा सकता है।

शिक्षक अपने स्तर पर अधिक से अधिक रैपर संकलित करवाकर कक्षा शिक्षण के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर बालकों को खाली समय में व्यस्त रखा जा सकता है, उनके अंग्रेजी शब्दों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है तथा शिक्षण व अधिगम को आनन्ददायी बनाया जा सकता है।

से.नि. प्राध्यापक (अंग्रेजी)
डी-213, अग्रसेन नगर, चूरू -331001
मो. 9460565427


मेजर ध्यानचंद जयन्ती

राष्ट्रीय खेल दिवस

□ भंवर सिंह

हॉकी की के महान अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त, 1905 को हुआ। हॉकी खेल को 1928 में पहली बार ओलम्पिक में शामिल किया था। ओलम्पिक खेलों की स्थापना 1927 में हुई थी। सन् 1928 से 1956 तक लगातार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे विश्व में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया था। भारत ने ओलम्पिक खेलों में सबसे पहले 1928 के एम्स्टर्डम खेलों में भाग लिया। इस खेल में हॉकी का दल भी था और मेजर ध्यानचंद भी इसमें सम्मिलित थे। भारतीय हॉकी टीम ने बड़ी शान से पहली बार ओलम्पिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। भारत के खिलाड़ियों ने 29 गोल किये थे। जिसमें अकेले मेजर ध्यानचंद ने 15 गोल करके सबको चकित कर दिया। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 व 1936 के ओलम्पिक खेलों में 12 मैच खेले और 38 गोल करके रिकार्ड बनाया। 1936 के बर्लिन ओलम्पिक में वे भारतीय टीम के कप्तान थे। इस दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का शासन था। इसलिए खेलों पर उनका प्रभाव था। फाइनल में जब भारत मेजबान टीम जर्मनी के खिलाफ 8-1 गोल के ऐतिहासिक अन्तर से विजयी हुआ। इस मैच को पूरे समय हिटलर ने देखा और मेजर ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जर्मन सेना में ध्यानचंद को मार्शल पद का ऑफर दिया। लेकिन ध्यानचंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। दूसरे दिन हिटलर ने फिर ध्यानचंद को बुलाया और कहा कि 'जर्मनी की ओर से खेलने के बदले में क्या लोगे? 'तो ध्यानचंद ने कहा 'जी नहीं, भारत से ही खेलूँगा यही मेरा अन्तिम निर्णय है।' अपने अद्भुत कलात्मक हॉकी खेल से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम मिला और इस महान खिलाड़ी की पूरी दुनिया में पहचान बनी।

हॉकी खेल की शुरुआत मेजर ध्यानचंद ने 1928 के ओलम्पिक खेल से की। भारत का लगातार 1956 तक ओलम्पिक खेलों में वर्चस्व



जारी रहा। छ: बार लगातार स्वर्ण पदक की कामयाबी के पश्चात 1964 व 1980 के ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर 8 बार भारत ओलम्पिक विजेता रहा। तीन बार लगातार ओलम्पिक में स्वर्ण पदक दिलाकर हॉकी खेल को भारत की पहचान पूरे विश्व में दिलायी। भारत को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में इतनी बड़ी पहचान दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद आखिर 3 दिसम्बर 1979 को हमसे जुदा हो गये। खिलाड़ी चला जाता है पर उसका जादू व हुनर हमेशा राष्ट्र याद करता है तथा खिलाड़ियों को नयी प्रेरणा मिलती है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है जिससे आने वाली पीढ़ी इस महान खिलाड़ी को याद करके इनकी प्रतिभा से प्रेरणा लेकर भारत के लिए अनेक खिलाड़ी तैयार होने का संकल्प लेकर इस 'राष्ट्रीय खेल दिवस' की सार्थकता पर खरे उतरने में भारत का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि खेलों से ही व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है।

शारीरिक शिक्षक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय
सावलोदा लाडखानी, सीकर
मो. 9414901203

नवाचार

स्कूल बना एजूकेशन एक्सप्रेस

□ राजेश कुमार तिवारी

रक ओर जहाँ सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल स्टाफ घर-घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलवर शहर में एक ऐसा भी विद्यालय है जहाँ बच्चे निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं।

यह विद्यालय है अलवर शहर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन जिसके भवन को एक भारतीय रेल का रूप देकर एजूकेशन एक्सप्रेस के डिब्बों में छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है इसमें नामांकन में स्वतः ही वृद्धि होने लगी है।

इस विद्यालय के भवन पर भारतीय रेल की बोगियों की तरह इस तरह चित्रांकन किया गया है जैसे ये कोई कक्षा-कक्ष नहीं बल्कि किसी रेल के डिब्बे हों जहाँ बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है।

इस एजूकेशन एक्सप्रेस में लगभग चार सौ बच्चे अध्ययनरत हैं यह स्कूल कुछ ही वर्षों पहले तक अलवर के रेलवे स्टेशन से मात्र पचास मीटर दूरी पर एक हैरीटेज भवन फतहजंग की गुम्बज में चलता था बाद में इसे दो-तीन किलोमीटर दूर स्थित एक कॉलोनी में स्थानान्तरित कर दिया गया।

यहाँ से सर्वशिक्षा अभियान के कनिष्ठ अभियन्ता राजेश लवानिया के मन में विचार आया कि क्यों नहीं रेलवे स्टेशन स्कूल के भवन को रेल के डिब्बों की तरह ऐसा रूप दिया जाए जिससे नवाचार के साथ नामांकन में भी वृद्धि हो सके। इसका खर्च तकरीबन तीन से चार लाख रुपया आना था जिसके लिए उन्होंने किसी भामाशाह को तलाशना शुरू किया।

विद्यालय को कुछ वर्षों से गोद लिए हुए रेशम देवी नानकचन्द मित्तल फाउण्डेशन के चेयरमैन डा. जी.सी. मित्तल से अपनी बात साझा की तो उन्हें यह प्रस्ताव पसंद आया और स्कूल बन गई एजूकेशन एक्सप्रेस। इसी सत्र में

तैयार की गई यह रेल न केवल बच्चों के लिए अपितु आस-पास के लोगों के लिए भी कौतूहल का विषय बनी हुई है यही कारण है कि विद्यालय में टूर-टूर से अभिभावक विद्यालय भवन की फोटो लेने आ रहे हैं।

स्कूल की बाउन्ड्रीवाल को मालगाड़ी के डिब्बों के जैसे दिखाया है तो कक्षा कक्षों को पैसेजर ट्रेन और बारामदा प्लेटफार्म की तरह बनाया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का मानना है कि भवन के इस रूप की वजह से प्रवेशोत्सव को भी गति मिली है यहाँ तक की निजी विद्यालय के विद्यार्थी भी प्रवेश लेने में रुचि ले रहे हैं।

सोशल मिडिया से जानकारी मिलने पर भारतीय रेल मंत्रालय नई दिल्ली ने भी अपनी सक्रियता दिखाई। मंत्रालय ने राजस्थान के अलवर शहर में बने रेलवे की थीम पर स्कूल को विकसित करने की विभाग की सराहना की। मंत्रालय ने प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों को नई दिल्ली में निःशुल्क सैर करवाने तथा रेल म्यूजियम दिखाने का आमंत्रण भी दिया।

यहाँ नहीं रेल मंत्रालय के जयपुर स्थित विभाग के उप मुख्य अभियन्ता मैकेनिकल ने स्कूल का अवलोकन किया तथा रेल नवाचार की प्रशंसा की।

भविष्य में विद्यालय को रेलवे जंकशन जैसा रूप दिया जाएगा जिसमें रेलवे कैन्टीन शौचालय प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाएगा साथ ही मानव संसंधान विकास मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी जानी है जिससे यह मॉडल देश के अन्य भागों में भी विकसित किया जा सके।

केरल के विद्यालय के बाद रेल कोच की तरह दिखने वाला अलवर का यह विद्यालय दूसरा स्कूल है जो इन दिनों सर्वाधिक सोशल मिडिया पर चर्चित हो रहा है।

वरिष्ठ सहायक
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रेलवे स्टेशन (अलवर)
मो. 9636932425

सूरत बदली टाबरां, जन जन करौ विचार

□ लालाराम प्रजापत

आदर्श
विद्यालय

आदर्श शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य

तुवां भवन रंग सोवणा, ए कमरां हवादार। टेबल कुरसी टाबरां, जन जन करो विचार॥
‘दर्पण’ ‘दर्शन’ देखलो, सगळो पावो सार। कम्प्यूटर लेबां जोर की, जन जन करो विचार॥
पोथी भोजन टाबरां, दूध दिया सिरकार। गुरुजन आया मोकळा, जन जन करो विचार॥
एसआइक्यूर्ड धारणा, आखर रौ आधार। लहर कक्ष टाबर भणै, जन जन करो विचार॥
बांटी साइक्ल बेटियां, स्कुटी पण सरकार। लेपटॉप दिया टाबरां, जन जन करो विचार॥
‘पीटीएम’ न्युतें आपनै, (दे) टाबर रा समचार। ‘उजियारी पंचायत’ आपणी, जन जन करो विचार॥
शारदे अरू कस्तूरबा, नित नुवां नवचार। सीखै कराटां बेटियाँ, जन जन करो विचार॥
मॉडल स्कूलां देखलो, अंग्रेजी आधार। सूरत बदली टाबरां, जन जन करो विचार॥
‘प्रमोशन’ ‘भर्ती’ हुई, गुरु ग्यानी हुसियार। शिक्षा सौरभ गजब री, जन जन करो विचार॥
भारत भर हुई ओपमां, सिरै शिक्षा सिरकार। साधन सुविधा सकल हुई, जन जन करो विचार॥

सहायक निदेशक
कार्यालय उपनिदेशक मा.शि. पाली- 306401
मो. 9414549061



पुस्तक समीक्षा

जंग जारी है (रेडियो नाटक)

लेखक: दीनदयाल शर्मा आवरण चित्र : कुँआर रवीन्द्र प्रकाशक : बोधि प्रकाशन, जयपुर, प्रकाशन वर्ष : 2017 पृष्ठ संख्या : 188 मूल्य : ₹ 200

भारतीय नाट्यशास्त्र में नाटक के विषय में कहा गया है कि 'नाट्यते अभिनयत्वेन रूप्यते-इति नाट्यम् अर्थात् नट-नटी द्वारा किसी अवस्था विशेष की अनुकृति नाट्य है'। इसमें 'वाचिक, सात्त्विक, आंगिक तथा आहार्य' नाटक के चार



प्रमुख अंग माने गए हैं। वाचिक से तात्पर्य उक्ति-प्रत्युक्ति की यथावत् अनुकृति यानी संवादों को वाणी द्वारा व्यक्त करना, सात्त्विक से अर्थ भावों का यथावत् प्रदर्शन, आंगिक से तात्पर्य अंगों की विविध चेष्टाओं की अनुकृति तथा आहार्य का अर्थ देश-विदेश के अनुरूप वेशभूषा, चालढाल, रहन-सहन और बोली की अनुकृति है। नाट्यशास्त्र में नाटक का मुख्य उद्देश्य ऐहिक जीवन की नाना वेदनाओं से परिश्रांत जनता का मनोरंजन है। इस प्रकार यह देव, दानव एवं मानव समाज के लिए आमोद-प्रमोद का सरल साधन है। यह नयनों की तृप्ति करने वाला एवं भावोद्रेक का परिमार्जन कर प्रेक्षकवर्ग को आहलादित करने वाला मनोरम अनुसंधान है—यह जातिभेद, वर्गभेद, वयोभेद आदि नैसर्गिक एवं सामाजिक विभेदों से निरपेक्ष, भिन्न रुचि की जनता का सामान्य रूप से समाराधन करने वाला एक कांत, चाक्षुषक्रतु है। इसमें दर्शक नाटक के दृश्यों के साथ एकाकार होकर रसानुभूति करता है।

रेडियो के आविष्कार के साथ ही नाट्य का एक और रूप रेडियो नाटक के रूप में सामने आया। अब प्रश्न ये उठता है कि रेडियो नाटक वास्तव में नाटक है अथवा नहीं। नाट्यशास्त्र में वर्णित चार अंगों में से मात्र एक ही अंग का

उपयोग इस विधा के लिए किया जाता है। बहरहाल जो भी हो नाटक में शब्द की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। रंगमंच से मंचित नाटक भी शब्दों का प्रकटीकरण है इसके दृश्य विधान अपने अनिवार्य तत्व होते हुए भी शब्दों से स्वतंत्र नहीं है। वह शब्द की एक परिणति है। इस प्रकार देखें तो तो शब्द केवल लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का साधन मात्र न होकर उससे भी व्यापक है। इसके व्यापक अर्थ में ध्वनि सम्मिलित है। नाटक मात्र दृश्य तत्व नहीं है बल्कि नाटक की रचना, कार्य व्यापार, संवाद भाषा आदि सभी के संयोजन से उपजा श्रव्य-दृश्य विधान है जो नाट्यकृति को दर्शकों के सम्मुख रखता है। रेडियो नाटक का मूल आधार ही शब्द और ध्वनि है। जिसके माध्यम से बिम्बों को श्रोता तक सम्प्रेषित किया जाता है। अतः मात्र दृश्यात्मकता के आधार पर ही रेडियो नाटक को नाटक नहीं माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

बहरहाल जो भी हो नाटक होते हुए भी रेडियो नाटक के रूप में नाटक के स्वरूप और विधान में थोड़ा अन्तर जरूर है। दीनदयाल शर्मा का 'जंग जारी है' रेडियो नाट्य संग्रह है। इसमें समाज में व्याप विभिन्न रुद्धियों, कुरीतियों और अंधविश्वासों को आधार बनाकर नाट्य रचना की गई है। इस पुस्तक की भूमिका में भारत के सुप्रसिद्ध नाटककार, कवि एवं कथाकार डॉ. अर्जुन देव चारण ने लिखा है कि "दीनदयाल शर्मा ने अपने इन नाटकों में समाज में व्याप तत्कालीन कुरीतियों, विसंगतियों पर चोट की है। इस तरह ये नाटक सुनने वालों को एक अच्छे समाज का प्रतिबिम्ब दिखाने की कोशिश करते हैं।"

रेडियो नाटक को अंधेरे का नाटक भी कहा जाता है। इसमें मंचन अदृश्य होता है। यानी इसे देखा नहीं जा सकता सिर्फ सुना ही जा सकता है। नाटक कोई भी हो उसमें प्रमुख बात नाटकत्व है। इसलिए रेडियो नाट्य विधा के नाटकत्व में भाषा, संवाद, नैरेशन ध्वनि एवं संगीत नाटक के उपकरण होते हैं। कथानक, पात्र, दृश्य संवाद एवं उद्देश्य रेडियो नाटक के प्रमुख बिन्दु हैं। अंधेरे के इन नाटकों में प्रत्येक घटना, भाव, पात्र, वातावरण और परिवेश ध्वनि के माध्यम से बनाया जाता है। सीधे शब्दों

में रेडियो नाटक में ध्वनि के माध्यम से श्रोता के दिमाग में चित्र उभारे जाते हैं। इसलिए रेडियो नाटकों में इस नाटकत्व को समाहित कर लेना चुनौती भी है। एक ज़माना था जब हिन्दी के बड़े-बड़े लेखकों ने रेडियो के लिए नाटक लिखे, लेकिन आज रेडियो उदास बैठा है। ऐसे समय में जब दृश्य साधनों के द्वारा विकास ने सभी चीजों को देखने योग्य बना दिया है। शोर-शराबे के इस युग में ऐसा आभास होने लगा है कि भाषा बोलने-सुनने की न होकर देखने के जैसी हो गई है। आज कोई किसी को नहीं सुन रहा है, सब बोल रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसे बहरे समय में दीनदयाल शर्मा द्वारा श्रव्य नाट्य लेखों की पुस्तक 'जंग जारी है' पढ़ने के लिए प्रस्तुत कर साहस का कार्य किया है।

समीक्ष्य कृति 'जंग जारी है' में नौ रेडियो नाटक संग्रहित हैं। इन नाटकों का मूल विषय सामाजिक बुराइयों के प्रति चेतना है। इस संग्रह के नाटक 'घर की रोशनी' कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, 'रिश्तों का मोल' नाटक में आज के समय की बुर्जुओं की उपेक्षा, 'मेरा कसरू क्या है' में समाज में धोखे से अपने बीमार लड़के या लड़की की शादी करने को, 'पगली' नाटक बेटी के जन्म के समय खून की कमी से माँ के मरने के बाद, सौतेली माँ के अल्याचार और बाद में किसी बूढ़े से शादी और अन्त में नायिका का संतान नहीं होने के लिए पगली हो जाना में अनेक सामाजिक संदेश हैं, इसी तरह 'जंग जारी है' नाटक दहेज प्रथा से एक लड़की की जंग दिखाते हुए लड़की के जन्म में थाली बजाने के प्रतीक के माध्यम से अनेक संदेश दें जाता है। नाटक 'अंधेरे की तस्वीर' एडिस की बीमारी पर चेतना फैलाने का कार्य करता है। 'मुझे माफ कर दो' नाटक आधुनिकता की समस्याओं को रखता है तो अंतिम नाटक रिश्ता विश्वास का, फिर से शराबखोरी की समस्या को रख देता है।

नाटकों के संबंध में एक बात यह भी है कि नाट्यालेख अपने आप में पूर्ण नाटक है या उसका मंचन अथवा प्रसारण होने के बाद व पूर्णता प्राप्त करता है। दरअसल नाट्यकृति के बारे में वास्तविक राय उसके मंचन या प्रसारण से रूबरू होने के बाद ही जाहिर की जा सकती है। दीनदयाल शर्मा की इस कृति के समस्त नाटक आकाशवाणी से प्रसारित हो चुके हैं। अतः इन्हें

ऐसे सफल रेडियो नाटक माना जा सकता है जिनके माध्यम से सामाजिक समस्याओं के संदेश दूर-दूर तक पहुँच चुके हैं। फिर भी यह कहना गलत नहीं हांगा कि रेडियो नाटक लिखना एक दुरुह कार्य है। इन्हें लिखने के लिए रेडियो के बारे में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। इस रूप में माने तो ये नाटक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं।

इस पुस्तक के नाट्यलेखों को पढ़ते समय पाठकों के मन में कुछ प्रश्न उठ सकते हैं कि ‘क्या रेडियो नाटक मात्र समाज सुधार की विधा है? रेडियो में केवल एक ही प्रकार के नाटक हुआ करते हैं? जबकि रेडियो के अन्य प्रकार यथा—रेडियो रूपक, मोनोलॉग (स्वगत नाट्य), रेडियो फेंटेसी (अति कल्पना), संगीत रूपक और झलकी भी बराबर प्रचलित रहे हैं। रेडियो नाटक लिखते समय दृश्य और दृश्य के घटित होने वाले स्थान के हिसाब से ध्वनि परिप्रेक्ष्य और ध्वनि का प्रभाव का खास ध्यान रखना पड़ता है। इन नाटकों में ध्वनि के हिसाब से सीमित और परम्परागत ध्वनियों का ही प्रयोग किया गया है। इसके अलावा रेडियो नाट्यलेखों में पात्र की स्थिति, बाह्यदर्शा और मनोदर्शा को स्पष्ट अंकित करना निर्देशन के लिए सहूलियत भरा हो सकता है। इसके साथ ही वाचिक अभिनय के किसी दृश्य की सिचुएशन का वर्णन करना भी अभिनेता के लिए सहूलियत भरा हो सकता था। रेडियो नाटकों के लेखन में इन बातों का महत्व बहुत अधिक है। ये दीर्घ बात है कि प्रॉडक्शन के समय निर्देशक द्वारा अपनी समझ से इन बातों का समावेश कर लिया जाता है। रेडियो चूँकि श्रव्य माध्यम है इसलिए संवादों का प्रभावशाली होना नाट्यलेखों का प्रमुख गुणधर्म हो जाता है। इस लिहाज से इस कृति के नाट्यलेख सही कहे जा सकते हैं।

खैर, जो भी हो कभी नाटक में रेडियो नाटक जैसी विधा को प्रकाश में लाने वाला रेडियो जब आज उपेक्षा के दौर से गुजर रहा है। ऐसे संकट के दौर में भी दीनदयाल शर्मा ने ‘जंग जारी है’ के माध्यम से जंग जारी रखने का प्रशंसनीय साहस दिखाया है। आकाशवाणी की आवश्यकताओं, उद्देश्य, प्रसारण की आचार संहिता और संदेश देने जैसी सीमाओं से बँधकर लिखे गए इस कृति के नाट्यलेख सामाजिक

चेतना जागृत करने के अपने उद्देश्य में सफल हैं। पुस्तक की सुन्दर छपाई और आकर्षक कवर बरबस आकर्षित करते हैं। कुल मिलाकर रेडियो नाटकों के क्षेत्र में ये पुस्तक स्वागत योग्य है।

समीक्षक: डॉ. प्रमोद कुमार चमोली

राधास्वामी सत्संग के सामने,
गति नं. 2, अम्बेडकर कॉलोनी,
पुरानी शिवबाड़ी रोड, बीकानेर

मो: 9414031050

राजस्थान की लोक संस्कृति

लेखक : डॉ. किरण नाहटा संपादक : पी.आर. लील प्रकाशक : राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति जनहित प्रन्यास, बीकानेर (राज.) प्रकाशन वर्ष : 2018 पृष्ठ संख्या : 96 मूल्य : ₹ 100

डॉ. किरण नाहटा का नाम लेते ही राजस्थानी संस्कृति के एक योद्धा का स्मरण होने लगता है। राजस्थानी लोकगाथावाँ, मनभावणा लोकगीत, सीख देवती लोकक्रियायें, सन्देश देवता लोकचरित्र, संस्कार सम्पन्न समारोहों की याद आज आँखों के सामने है। राजस्थानी परिवार और समाज के बीच प्रेम और सौहार्द के उदात्त भाव आपके आलेखों में छलक रहे हैं। आपने लोकजीवन और लोक संस्कृति को सामाजिक समरसता के षटरस स्वादों से भरा पूरा बताया है। जो हमारे सामाजिक वैमनस्य को समाप्त करने में एक रामबाण औषधि है।



श्री पी. आर. लील खुद ग्रामीण जीवन के कुशल चित्तरे हैं। ग्रामीण जीवन की अबखाइयों को देखा है तथा भोगा है। विपरीत परिस्थितियों में जीवन को आगे बढ़ाया है। परस्पर समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण में आपके पारिवारिक संस्कार ने समाज को सजाया संवारा है। सर्वसमाज में लोकप्रिय पी. आर. लील द्वारा डॉ. नाहटा के संपादित प्रमुख आलेख इसके परिचायक हैं।

जल ही जीवन है। पानी की महिमा मनुष्य जन्म के साथ जन्मी है। राजस्थान की धरती तो पानी को तरसती रही है। तरसती धरती ने संस्कृति को सरस बनाया है। इसलिए राजस्थान

में पानी की महिमा पर अनेक कवियों और विद्वानों ने खूब लिखा है। इसलिए हम भी डॉ. नाहटा के इस आलेख को प्राथमिकता देते हैं। ‘राजस्थानी काव्य में जल-वर्णन’, चन्द्र सिंह जी बिरकाळी की ‘बादली’, नानूराम संस्कृता की ‘फलापण’, रेवतदान कविवर की ‘बिरखा बीनणी’, सत्यप्रकाश जोशी की ‘हट’ अर कैलाशदान देवल के ‘अकाल रा इता मां’ राजस्थानी में पानी का महिमा गान बहुत हुआ है। ऐसे अनेक ग्रन्थ, छुटकर कविताएँ राजस्थानी साहित्य में भरे पड़े हैं। जलकाल से त्रस्त नायिका अपने पिता को, प्यासे मरुभूमि में देने की बजाय तो आजनम कुँआरी रहने की बात कहती है:- बाबा न देइस मारुवां, वर कुँआरी रहेसि।’ आज तो स्थिति बदल चुकी है। पानी की तलाश में आधी रात में ही श्रियतम को छोड़कर निकलना पड़ता था:-

बाढ़उं बाबा देसड़उ संदी ताति।

पाणी केरइ कारणइ, पी छंडइ अधराति॥

‘सामाजिक समरसता’ डॉ. किरण नाहटा का समाज में दूरगामी चिंतन पैदा करता है। आपने वैशिक परिदृश्य में भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली तथा धर्मनिरपेक्षता की पद्धति को सामाजिक समरसता की पोषक माना है। डॉ. नाहटा के अनुसार सामाजिक समरसता का सीधा-सा अर्थ है कि समाज के भिन्न वर्ग, वर्ण और लिंग के लोग अपनी-अपनी अभिरुचि और अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कार्य करें, जिसमें उन्हें सच्चे आनंद की अनुभूति हो। मेरी दृष्टि में सामाजिक समरसता का अर्थ यही है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति और सामर्थ्य के अनुरूप काम करने का अवसर प्राप्त करे और समाज के सभी कामों को आदर की दृष्टि से देखे।’

‘राजस्थानी लोकगीतों में जीवनदृष्टि’ नामक आलेख बड़ा ही रोचक और प्रेरणादायी है। ‘भात’ (भाई-बहिन) घूघरी, काचर, सुपनो, झेड़, अरणी, पणिहारी, ईडाणी, ओडीडो, लालरिमा, मगईया ‘बधावो’, जसमल-ओडण, ढोला-मरवण, बिनापीडो, तुळछां, नींबू, बड़लो, आड जैसे सारे गीत जन्म से मरण तक सामाजिक जीवन की झलकी है। जापै सूं लगा ‘र झेरावो तक लोकगीतों में समाज छायोडो है। गीतों के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक शिक्षाएँ दी गई हैं। लोकगीतों में उदारता

और सर्वमंगल की भावना विकसित हो जाती है।

राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत कर पुस्तक में ‘राजस्थानी लोकगीतों में सामंती समाज’, ‘लोकगीतों में जीवनदृष्टि’, ‘विनायक गीत’ ‘राजस्थानी बधावा और गुजराती रास’ ‘हरजस’ और ‘झूँगजी जवारजी की छावळी’ प्रमुख रूप से संपादित हैं। यह राजस्थानी की अंतिम लोकगाथा है। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। झूँगजी जवारजी काका-भतीजा थे। शेखावाटी के बीर मीणा, जाट, रेबारी, गूजर, चावा डाग जागीरदारों को साथ लेकर अंग्रेजों के गढ़ आगरा को लूटा। लूट का माल गरीबों में बाँटा तो वो गरीबों के मसीहा हो गए।

‘सुमरुं मांजी थनै सारदा, सदा भवानी बामजी। या मरदां की जुड़ी छावळी, वीर झूँगजी नामजी॥

विद्वान् संपादक श्री पी.आर. लील को अच्छी पुस्तक बाबत बहुत बधाई।

समीक्षक : पृथ्वी राज रत्नू

इन्दिरा कॉलोनी, FCI गोदाम के पास,
बीकानेर-334001
मो. 9414969200

प्रेरणा के स्वर

सम्पादक : ज्ञानेश्वर सोनी संस्करण : 2018

प्रकाशक : नवकिरण प्रकाशन, बिस्सों का चौक,
बीकानेर। पृष्ठ : 160 मूल्य : ₹ 200

संगीत सर्वव्यापी एवं सर्वग्राही है। मनीषियों ने संगीत को विश्वव्यापी भाषा एवं देवदूतों की भाषा की उपमा दी है। साहित्य जिन रसों की सृष्टि करता है, उन्हें जन जीवन में घोलने का कार्य संगीत सहजता से करता है संगीत में आत्मा की मलिनता दूर करने व क्रूर हृदयों को भी शांत करने की क्षमता होती है। संगीत की सरगम चहुँओर आनंद की वर्षा करती हुई परमानन्द की सृष्टि करती है। साहित्य एवं संगीत का महत्व इसी बात से प्रतिपादित होता है कि इनसे दूर रहने वालों को बिना पूँछ के पशु तुल्य



बताया गया है-

साहित्य संगीत कला विहीनः,
साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीनः।
तृणम् न खादन्नापि जीवमानः,
तद भाग देयम् परम् पशुनामः॥

जिस प्रकार भाषा का मूल आधार वर्ण या अक्षर है, उसी प्रकार संगीत का मूल आधार ‘स्वर’ है। यहाँ स्वर का मूल अभिप्राय आवाज के एक खास टुकड़े Tone से है। भारतीय संगीत में षड्ज, त्रैष्वम्, गांधार, मध्यम, पंचम धंवत और निषाद सात स्वर माने गए हैं। संक्षिप्त में इन सात स्वरों को ‘सा रे ग म प ध नि’ कहा जाता है।

संगीत जितना जरूरी है, गाना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। गाने के लिए विभिन्न प्रकार के गीतों की स्वरलिपियों का ज्ञान व उनका अभ्यास आवश्यक है। ‘प्रेरणा के स्वर’ में विद्यार्थियों व संगीत-प्रेमियों हेतु विभिन्न प्रकार के गीतों-प्रार्थनाओं की स्वरलिपियों को संजोया गया है। इन स्वरलिपियों को संजोने वाले शिक्षक ज्ञानेश्वर सोनी संगीत के मरम्ज हैं, जिन्हें संगीत विरासत में भी मिला है।

अपने पिताश्री रामेश्वर ‘आनन्द’ सोनी द्वारा स्वरबद्ध किए गए गीतों को प्रेरणा के स्वर में संकलित करने के सन्दर्भ में ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं— ‘इस प्रकाशन के प्रथम पुष्ट में बालगीत, सामूहिक गीतों का संकलन कर स्व. डॉ. रामेश्वर ‘आनन्द’ ने अनेक स्वर लिपियाँ बनाई थी तथा अध्यापन कार्य करते हुए सरकारी विद्यालयों में इन गीतों को करवाया था। विद्यालयों में सामूहिक गान की परम्परा पुरानी है। प्राचीन काल से ही मातृवंदना के गीत सामूहिक रूप से गाए जाते रहे हैं। वर्तमान में चीन तथा पाकिस्तान से हुए युद्धों के कारण राष्ट्रप्रेम के गान अत्यन्त आवश्यक हैं। इन गानों का स्वर लिपि के साथ प्रकाशन बहुत उपयोगी होगा तथा इसका पूरा लाभ होगा। इसी भावना को ध्यान में रखकर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।’

‘प्रेरणा के स्वर’ पुस्तक की भूमिका में प्रारम्भिक शिक्षा के निदेशक माननीय पी. सी. किशन, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक माननीय कैलाश रत्न सोनी ने भी अपनी सम्मतियाँ दी हैं। संगीत भारती, बीकानेर के निदेशक डॉ. मुरारी

शर्मा इस सम्बन्ध में लिखते हैं— ‘शाला पंचांग की आवश्यकता को आपने समझा और उसके अनुरूप रचना संग्रहण और उनकी धून बनाने में आप निरन्तर सक्रिय रहे। शिक्षा विभाग की ओर से इन रचनाओं की सी.डी. मधुर स्वरों में तैयार कर शालाओं में सामूहिक स्वरों में गवाई जाए तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ शाला के वातावरण में आपसी भ्रातृत्व, माधुर्य और संवेदना का संचार होगा। जो निःसंदेह शिक्षार्थियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने में सहायक होगा।’

प्रस्तुत कृति में विद्यालय के विभिन्न उत्सवों व आयोजनों में गाए जाने वाले अड़सठ गीत यथा— सरस्वती वंदना, ईश वंदना, स्वागत गीत, देश भक्ति गीत, प्रयाण गीत व इनकी स्वर लिपियाँ संकलित हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चन्द्र चटर्जी, बलवीर सिंह करुण, विश्वदेव शर्मा, रमाकांत दीक्षित, राजेन्द्र कृष्ण, निरंकार देव सेवक, रामेश्वरनंद सोनी सहित अनेक राष्ट्रीय स्तर के गीतकारों की रचनाएँ व इन गीतों की स्वर लिपियाँ संकलित हैं। इन स्वर लिपियों की सहायता से किसी भी गीत की धून गायी या बजायी जा सकती है। प्रस्तुत कृति में डॉ. रामेश्वरनंद सोनी की बनाई चौबीस गीतों की स्वर लिपियाँ, गौरी शंकर सोनी की बनाई चार गीतों की स्वरलिपियाँ व स्वयं ज्ञानेश्वर सोनी की बनाई चालीस गीतों की स्वर लिपियाँ संकलित हैं जो संगीत प्रेमियों व गायन-वादन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।

कृतिकार द्वारा स्वर ज्ञान (शुद्ध, कोमल व तीव्र स्वरों का) व समकों की जानकारी (मंद्र, मध्य व तार सप्तक) भी संक्षिप्त में करायी जाती तो विद्यार्थियों के लिए कृति की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती। ‘प्रेरणा के स्वर’ रूपी एक अच्छे प्रयास के लिए संकलक व स्वर लिपिकार ज्ञानेश्वर सोनी एवं प्रकाशक बधाई के पात्र हैं।

समीक्षक: डॉ. शिवराज भारतीय
मालियों का मोहल्ला
पो. नोहर (राज.) 335523
मो: 9414875281



अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर shalaprangan.shivira@gmail.com पर भिजवाकर सहयोग करें।

-व. संपादक

अन्नपूर्णा दूध वितरण योजना का शुभारम्भ पौधारोपण व साइकिल वितरण

चूरू जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय दांदू, चूरू में अन्नपूर्णा दूध वितरण योजना का शुभारम्भ सम्मानित ग्रामवासियों की उपस्थिति में दिनांक 02 जुलाई, 18 को कक्षा एक से आठ के सभी विद्यार्थियों को दूध पिलाकर किया गया। साथ ही विद्यालय परिसर में पौधारोपण व नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत भी किया गया। विद्यालय की छात्राओं को विद्यालय में आयोजित समारोह में निःशुल्क साइकिल वितरित की गयी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत घांटू के उप सरपंच श्री लखेन्द्र सिंह राठोड़ ने 'बेटी बच्चाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान' के महत्व को विस्तार से बताते हुए बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने की बात पर बल दिया। प्रधानाध्यापक श्री नेमीचंद सूडिया ने उपस्थित ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि लगातार तीसरी बार बोर्ड कक्षाओं का 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम प्रस्तुत कर हैट्रिक बनाएँगे। सर्वश्री हनुमान सिंह, रामचंद्र ढाका, नोरंग राम, सुल्तान सिंह, रणजीत सिंह, बिनोद बुगलिया, बजरंगलाल, तेजपाल नायक, मेघाराम, संजय आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजेन्द्र सुंदा ने किया।



अन्नपूर्णा दूध वितरण योजना की कलाकृति का विमोचन

बीकानेर। राजकीय आर्द्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय पलाना, बीकानेर के कला शिक्षक श्री भूरमल सोनी द्वारा निर्मित अन्नपूर्णा दूध वितरण योजना की कलाकृति (दूध की गिलास) का विमोचन दिनांक 28.6.2018 को शाला की संस्थाप्रधान श्रीमती सुशीला चौधरी, जिला कलकर डॉ. एन. के. गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक श्री सर्वार्दिसिंह गोदारा, ए.डी.एम. सिटी श्री शैलेन्द्र देवडा, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा) बीकानेर श्री उमाशंकर किराडू द्वारा किया गया।



जिशिअ (मा.) तेजकंवर ने महिला प्रशासक कार्यशाला, दिल्ली में प्रदेश का किया प्रतिनिधित्व

बून्दी-नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ऐजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन संस्था दिल्ली द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय (25 से 29 जून) ऑर्इयन्टल प्रोग्राम ऑन ऐजूकेशन एडमिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट फोर स्टेट एण्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल वूमन एडमिस्ट्रिटर्स में राजस्थान से बूंदी की जिला

शिक्षा अधिकारी (मा.)

तेजकंवर को प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ। तेजकंवर ने बताया कि कार्यशाला में देश के बत्तीस प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा महिला प्रशासकों के सामने आ रही चुनौतियाँ और शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के बारे में तथा प्रशासनिक दक्षता संवर्द्धन, फ़िल्ड में आ रही चुनौतियों और समस्याओं से कुशलतापूर्वक सामना किया जाने पर विचार प्रकट किए। उन्होंने जानकारी दी कि एन.सी.ई.आर.टी. विशेषज्ञों द्वारा टीम बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, रॉल ऑफ वीमेन, एडमिनिस्ट्रेटर आदि विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी तेजकंवर ने भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व बूंदी में हो रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने महिला अधिकारी पर आ रही चुनौतियों पर भी अपने अनुभवी विचार प्रकट किए।



सरस्वती मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह सम्पन्न
दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहवास में दिनांक 13 जुलाई, 2018 को मंगल कलश लेकर 151 महिलाओं ने माँ सरस्वती के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उल्लास के साथ भाग लिया। इस कलशयात्रा में जगह-जगह पृष्ठ वर्षा कर भावभीना स्वागत ग्रामवासियों द्वारा किया गया। दिनांक 14 जुलाई, 2018 को विद्यालय में भामाशाहों के आर्थिक सहयोग द्वारा नवनिर्मित भव्य मंदिर में माँ सरस्वती की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह वैदिक मंत्रोच्चार सहित विधि-विधान के साथ सम्पन्न हुआ। विद्यालय के संस्थाप्रधान श्री रामावतार गुप्ता ने बताया कि समस्त स्टॉफ के अथक प्रयासों से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसकी लागत 1,21,000 रुपये आई। इस मंदिर के निर्माण में भामाशाह सर्वश्री रामनारायण मीना (से.नि.अ.) ने 41000 रु., बलराम मीना (व्याख्याता) ने 11000 रु., राजेश कुमार मीना (वरि. अध्या.) ने 11000 रु., ठेकेदार चेतगम बैरवा ने 11000 रु., राजेन्द्र कुमार जांगिड़ ने 5100 रु., रामकिशन मीना (व्याख्याता) ने 5100 रु., रामनारायण मीना (अध्यक्ष, एस.डी.एम.सी.) ने 5100 रु., कन्हैयालाल महावर ने 5100 रु. एवं किरोड़ीलाल मीना ने 5100 रु. का आर्थिक सहयोग दिया। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विद्यालय की बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भावभीनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गईं, जो सभी के आकर्षण व उत्साह का केन्द्र रहा।

उत्साहपूर्वक हुआ दूध योजना का शुभारम्भ

अजमेर जिले के रा.उ.मा.वि. चम्पानेरी में पूर्व सरपंच श्री राकेश शर्मा, विधायक प्रतिनिधि श्री कैलाश मारू, एस.डी.एम.सी. के पदाधिकारी सर्वश्री रामनारायण, दिलीप सिंह, रामस्वरूप पारीक, भामाशाह सर्वश्री बच्छराज जाट, भवरलाल मेवाड़ा, दामोदर प्रसाद पारीक, संस्थाप्रधान

श्री अरूणराज, बालिका विद्यालय के संस्थाप्रधान श्री सम्पत सिंह, उपसरपंच श्री शिवराज, समस्त स्टाफ व उपस्थित ग्रामवासियों ने अपने हाथों से सभी विद्यार्थियों को नवीन ‘दूध योजना’ के अन्तर्गत दूध पिला कर उत्साहवर्धन करते हुए योजना का श्रीगणेश किया। संस्थाप्रधान ने सभी आगन्तुकों का आभार व्यक्त करते हुए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता श्री रामगोपाल बैरवा ने किया।

साइकिल वितरण समारोह सम्पन्न

बीकानेर स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सोनगिरि कुआं में 22 जुलाई, 2018 को कक्षा 9 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष श्री जुगल राठी, संस्थाप्रधान श्री प्रसून शर्मा, पार्षद श्री भवानी पारीक एवं श्री दिनेश उपाध्याय ने साइकिलों का वितरण किया। अतिथि राठी ने कहा ‘स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, खेलकूद व योग के माध्यम से प्रतिभा विकास संभव है।’ संस्थाप्रधान ने सभी अतिथियों एवं आगन्तुक अभिभावकों का आभार व्यक्त किया।

विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया

बीकानेर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नायकों का मौहल्ला, राजीव नगर में दिनांक 24 जून 18 को अध्यापक श्री राजुराम नायक व श्री कानूराम नायक ने अपने स्व. पिता श्री कुम्भाराम नायक की 11 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरण की। इस वितरण समारोह के मुख्य अतिथि जवानाराम नायक (प्रबन्धक, कृष्ण पेट्रोल पम्प), विशिष्ट अतिथि श्री हंसराज स्वामी व अध्यक्षता श्री शिवशंकर गोदारा ने की। अतिथियों ने अध्यापकों द्वारा देय शिक्षण सामग्री से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा अन्य के लिए अनुकरणीय बताया। श्री गोदारा ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।



भामाशाहों ने रकूल में सामग्री भेंट की

जोधपुर जिले के सूरपुरा ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरावास में भामाशाहों ने विभिन्न सामग्री भेंट की। संस्थाप्रधान श्री ललित जुगतावत ने बताया कि सरपंच पूजादेव, भामस. नेता श्री जेठाराम झूँडी, समाजसेवी श्री चेनाराम प्रजापत, श्री कृपालसिंह चारण एवं एसएमसी. सदस्यों की प्रेरणा व मांग के आधार पर राज्यमंत्री श्रीमती कमसा मेघवाल ने 1लाख 50 हजार राशि के 32 टेबल-बैंच के सेट शाला को भेंट किए। एक कम्प्यूटर सेट मय प्रिंटर देने की घोषणा की। इसी तरह भामाशाह रूक्मा देवी गोठवालिया एवं श्री प्रेमराज ने ठंडे पानी की मशीन भेंट की। भामाशाह श्री राजू प्रजापत ने एक लाख रुपए का मुख्य द्वारा मय फाटक बना कर भेंट किया। विक्रम सिंह ने एक लेजर प्रिंटर भेंट किया।

प्रभारी मंत्री ने किया अन्नपूर्णा दूध योजना का शुभारम्भ

बीकानेर स्थित राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 2 जुलाई 2018 को जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ.

रामप्रताप ने शाला की छात्राओं को दूध वितरण कर ‘अन्नपूर्णा दूध योजना’ का शुभारम्भ किया। डॉ. रामप्रताप ने कहा कि “दूध को 13 वाँ रस बताया गया है। इसमें पोषण के सभी गुण विद्यमान है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त दूध मिले तथा वे स्वस्थ रहकर अपने परिवार, समाज और देश के विकास में भागीदार बने। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने पूरे प्रदेश में योजना शुरू की गई है।” कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. श्री उमाशंकर किराडू, पुलिस अधीक्षक श्री सरवाई सिंह गोदारा, यूआईटी. अध्यक्ष श्री महावीर रांका, डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, सहीराम दुसाद, डॉ. हनुमान कस्बाँ, जिला परिषद सीईओ. श्री अजीतसिंह सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। संस्थाप्रधान श्रीमती मीना शर्मा ने आभार व्यक्त किया।

छात्राओं को मिली साइकिल की सौगत

बीकानेर जिले की लूनकरणसर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की कड़ी में निःशुल्क साइकिल वितरण ने भी आसमां को छूने के मार्ग प्रशस्त किए हैं ‘मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश’ ये कहना है विद्यालय की संस्थाप्रधान श्रीमती कान्ता छाबा का। इस बालिका स्कूल में जहाँ लगभग एक हजार का नामांकन है वहाँ कक्षा 9 की 186 पात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण समारोहपूर्वक किया गया। इस प्रकार इस विद्यालय में छात्राओं की संख्या अपने आप में अनूठी है। इस शुभ अवसर पर गाँव के गणमान्य सज्जनों व एस.डी.एम.सी. सदस्यों के साथ अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिसमें मुख्य अतिथि श्री रत्न कुमार उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के कर कमलों से प्रधानाचार्या व स्टाफ सदस्यों ने मिलकर साइकिल वितरण किया।



‘अन्नपूर्णा दूध योजना’ का भव्य शुभारम्भ

गंगानगर जिले की राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऐरुपुरा (सीलवानी) में दिनांक 2 जुलाई 18 को शाला में ‘अन्नपूर्णा दूध योजना’ का भव्य शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री गणेशराम, श्री रामचन्द्र बिश्नोई, श्री गंगाजल कूकणा, श्री भूराम कडवासरा, श्री लालचन्द्र पंच, श्री रमेश देव, श्री बनवारी, श्री शेराराम सुथार, श्री इन्द्राज भुवाल, श्री मुखराम सहित बड़ी संख्या में अभिभावक व ग्रामीण मौजूद रहे। विद्यालय स्टाफ व प्रधानाचार्य श्री नरेश कुमार रिणवा ने उपस्थित जनों का आभार ज्ञापित किया।



संकलन : प्रकाशन सहायक

समाचार पत्रों में कृतिपद्य रोचक समाचार/हृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/हृष्टांत चतुर्दिक् स्तरभूमि के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

हिमा का जीतकर तिरंगा खोजना दिल को छू गया : मोदी

नई दिल्ली- धावक हिमा दास की वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप में मिली जीत के बाद तिरंगा खोजने के अंदाज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिल छू लिया। पीएम मोदी ने हिमा की जीत के बाद के क्षणों का वीडियो ट्रिवटर पर साझा करते हुए जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, हिमा दास की जीत के अविस्मरणीय पल। जीत के बाद तुरंत भावविभोर होकर तिरंगा हूँड़ना और फिर भावुक होकर उन्हें राष्ट्रगान गाते हुए देखना मुझे भीतर तक छू गया। ये देखकर किस भारतीय की आँखों में खुशी के आँसू नहीं होंगे। पीएम मोदी का यह ट्रीट पर जमकर ट्रेंड हुआ। शाम सात बजे तक साढ़े घ्यारह हजार 900 से ज्यादा लोगों ने पीएम के ट्रीट को रीट्रीट किया। करीब 40 हजार लोगों ने इसे लाइक किया। वहीं 1800 से ज्यादा लोगों ने ट्रीट पर जवाब दिया। हिमा दास द्वारा वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हर तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं।

लड़कियों को शिक्षित नहीं करने से आ रहा 150-300

खरब डालर का खर्च : विश्व बैंक

वॉशिंगटन: विश्व बैंक ने आज कहा कि लड़कियों को शिक्षित नहीं करने या उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा डालने से विश्व पर 150 से 300 खरब डॉलर का भार पड़ता है। बैंक ने कहा कि कम आय वाले देशों में दो तिहाई से भी कम लड़कियाँ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाती हैं और तीन में से केवल एक लड़की माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाती है। विश्व बैंक ने संयुक्त राष्ट्र मलाला दिवस के मौके पर अपनी नई रिपोर्ट ‘मिस्ड ऑपर्च्यूनिटीज़: द हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग गल्स’ में इन परिणामों को लोगों के सामने रखा है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘कई व्यस्क महिलाओं को युवावस्था में सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा (12 साल की स्कूली शिक्षा) का लाभ नहीं मिलने के कारण आज मानव पूंजीगत धन में विश्व भर में 150 से 300 खरब डॉलर नुकसान हो रहा है।

भारतीय मूल के 8 वर्षीय ईश्वर शर्मा ‘ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर’ नामित

लंदन- ब्रिटेन की 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की राष्ट्रीय योग चैम्पियनशिप के विजेता भारतीय मूल के आठ वर्षीय स्कूली छात्र को इस क्षेत्र में उसकी उपलब्धि के लिए ‘ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर’ नामित किया गया है। ईश्वर शर्मा को व्यक्तिगत और कलात्मक योग में कई सम्मान मिल चुके हैं और इस साल जून में कनाडा के विनीपेग में आयोजित वर्ल्ड स्टूडेंट गेम्स 2018 में उसने ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। केंट के सेंट माइकल्स प्रीप्रीटरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने कहा, मेरा मानना है कि मैं किसी और के बजाए खुद से

मुकाबला कर रहा हूँ, जो मुश्किल आसन करने के लिए मुझे चुनौती देता है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा योग का छात्र रहूँगा और मैं अपने शिक्षकों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना ज्ञान मुझसे साझा किया। बर्मिंघम के आयोजित छठे वार्षिक सम्मान समारोह में उसे यंग अचीवर श्रेणी में ‘ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर’ नामित किया गया था।

दुनिया के सबसे प्राचीन रंग की खोज की

मेलबर्न- वैज्ञानिकों ने भूगर्भीय रिकॉर्ड में ज्ञात दुनिया के सबसे पुराने रंग की खोज की है। करीब 1.1 अरब साल पुराना यह चट्टख गुलाबी रंग अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में काफी गहराई में मिली चट्टानों से निकाला गया है। आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एनजय) की नूरगुणेली ने बताया कि यह रंग पश्चिम अफ्रीका के मॉरिटानिया में ताओदेनी बेसिन के समुद्री काले पथर से लिया गया है, जो इससे पहले खोजे गए रंग वर्णों से करीब आधा अरब साल पुराना है।

कान की खराबी से भी होता है माइग्रेन

ताइपे- माइग्रेन से पीड़ित लोगों को कान बजने की शिकायत के साथ-साथ कान के भीतरी हिस्से में कोई विकार भी हो सकता है। यह बात एक हालिया शोध में सामने आई है। माइग्रेन में आधे सिर में दर्द की शिकायत होती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कान की तंत्रिका में खराबी के कारण माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। खासतौर से माइग्रेन के मरीजों में कान बजने की शिकायत ज्यादा होती है। ताईवान के डलिन त्जू ची अस्पताल के जुएन हाऊर व्हांग समेत शोधकर्ताओं ने कहा, ‘शोध से कान की तंत्रिका यानी कॉक्लीयर माइग्रेन के बारे में पता लगाने में मदद मिल सकती है।’

कान की तंत्रिका सम्बन्धी विकृति से कान का भीतरी हिस्सा प्रभावित होता है। इसी हिस्से में झनझनाहट या कान बजने की शिकायत होती है जिसे सेंसोरीन्यूरल हियरिंग इंपेयरमेंट कहते हैं। इससे अचानक बहापन भी पैदा हो सकता है। यह शोध जामा अंटोलेरि गोलोजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोध में शामिल लोगों में 1,056 मरीज शामिल थे, जिन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। इसके अलावा टीम में 4,224 लोग ऐसे थे जिन्हें माइग्रेन की शिकायत नहीं थी। माइग्रेन के मरीजों में कान की विकृति माइग्रेन रहित लोगों की तुलना में 12.2 फीसदी अधिक पाई गई।

देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू

नई दिल्ली- सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रूसंचार कम्पनी बीएसएनएल. ने बुधवार को देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा पेश करने की घोषणा की। कंपनी की इस सेवा का लाभ 25 जुलाई से यूजर्स को मिलने लगेगा। इससे कंपनी के उपभोक्ताओं को ‘विंग्स’ मोबाइल एप से देशभर में किसी भी टेलीफोन नंबर पर काल करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ता को 1,099 रुपए का वार्षिक शुल्क देना होगा। उसके बाद वह बीएसएनएल. या किसी अन्य कंपनी के वाई-फाई से देशभर में असीमित काल कर सकेंगे। अभी देश में मोबाइल एप पर कॉल करने की सुविधा किसी विशिष्ट एप के जरिए आपस में ही कर सकते हैं, लेकिन अब एप से किसी भी टेलीफोन नंबर पर काल किए जा सकने की सुविधा पहली बार उपलब्ध होगी।

संकलन : प्रकाशन सहायक

दूरु

रा.आदर्श उ.मा.वि. ढाणी डी.एस.पुरा में श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा 4,00,000 रुपये की लागत से एक कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया गया तथा 35,000 रुपये की लागत से एक बाटर कूलर विद्यालय को भेंट, श्री रामचन्द्र धारीवाल द्वारा 3,00,000 रुपये की लागत से एक हॉल के निर्माण हेतु गुरु गोलवलकर स्कॉल में जमा, श्री ताराचन्द्र भास्मू श्योपुरा द्वारा 1,21,000 रुपये की लागत से मरम्मत कार्य, रेप्प व मैदान बनवाया, 70,000 रुपये की लागत से C.C.T.V. कैमरा सैट एवं जनसहभागिता हेतु 25,000 रुपये, श्री लेखराज सोनी महालक्ष्मी ज्वैलर्स द्वारा 31,000 रुपये की लागत से ट्यूबवेल, श्री जितेन्द्र बाबल निवासी ढाणी पने सिंह द्वारा 75,000 रुपये की लागत से दो कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व फर्नीचर, श्री भूराम भाकर ढाणी डी.एस.पुरा मुख्यमंत्री जनसहभागिता हेतु नकद 21,000 रुपये, श्री उमेद सिंह राठौड़ (प्रधानाचार्य) से मुख्यमंत्री जनसहभागिता हेतु नकद 21,121 रुपये। रा.आ.उ.मा.वि. जोगलिया को सर्वश्री प्रभूराम कालवा, शिवदान, खंगदान, केशवदान, बधुनाथ मरिया प्रत्येक से 10-10 सेट स्टूल टेबिल जिसकी प्रत्येक की लागत 15,000-15,000 रुपये विद्यालय को सप्रेम भेंट, श्री पूसनाथ से 20 सेट टेबिल-स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 30,000 रुपये अन्य ग्रामीणों के सहयोग से 30 सेट स्टूल टेबिल प्राप्त जिसकी लागत 45,000 रुपये। सर्व श्री मोहननाथ, प्रभूराम प्रत्येक से 5 सेट-5 सेट जिसकी प्रत्यक्त लागत 7,500-7,500 रुपये। श्री पूर्णनाथ साँई द्वारा अपनी माताजी मीरा देवी की याद में बाटर कूलर, आर.ओ., 1,000 लीटर पानी की टंकी विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी लागत 51,000 रुपये। रा.मा.वि. लुहारा पं.स. बीदासर में श्री रामपूराम बेनीवाल लुहारा हाल निवासी नई दिल्ली द्वारा 1,66,000 रुपये की लागत से विद्यालय के प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया, श्री वीरमदेव सिंह लुहारा हाल निवासी जयपुर से एक कार्यालय आलमारी सप्रेम भेंट जिसकी लागत 10,000 रुपये, श्री पुरखाराम पंचार से एक आलमारी भेंट जिसकी लागत 5,000 रुपये, श्री कृष्ण गौशाला ग्रुप तुहारा से 26 जनवरी 2017 को पारितोषिक वितरण हेतु 6,000 रुपये प्राप्त। रा.आ.मा.वि., साँखण ताल (राजगढ़) को श्री मोहर सिंह धतरवाल द्वारा 51,000 रुपये की लागत से स्कूली बैग विद्यालय को भेंट, श्री उदमीराम धतरवाल द्वारा 21 हजार रुपये के जूते विद्यालय को भेंट, श्री गुलजारी लाल कोठारी से 40,000 रुपये की लागत से 165 बच्चों को स्वेटर विद्यालय को भेंट। रा.मा.वि. छाजूसर को श्री कमलकांत कस्वा (शा.शि.) द्वारा अपने पिता स्व. रामकुमार कस्वा व माता स्व. बनासी देवी की समृद्धि में एक कम्प्यूटर सेट भेंट जिसकी लागत

भामाशाहों के अवधान का वर्णन प्रतिमाह हुस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी हुसमें सहभागी बनें। -व. संपादक

26,500 रुपये, रा.बा.प्रा.वि. गाजसर में श्री बजरंग लाल (व.अ.) ने अपनी माताजी श्रीमती किस्तुरी देवी के स्वर्गवास पर अपने भर्त श्री नोरंगलाल, रुधाराम, मुखराम, हरलाल द्वारा मृत्युभोज जैसी सामाजिक कुर्प्रथा को बन्द कर 5,00,000 रुपये की लागत से एक कमरा (18X16) साथ में बरामदा एक (8X16), एक शैचालय एवं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मंच (15X20) का निर्माण करवाया गया।

जालोर

रा.आ.उ.मा.वि. ओडवाडा में श्री माँगीलाल चौधरी द्वारा 50,000 रुपये की लागत से विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया। सर्वश्री अन्नाराम, मनाराम, राणाराम, भोमाराम, पूसाराम से कम्प्यूटर प्रिन्टर, इन्वर्टर हेतु 66,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री नीम्बाराम मेघवाल से

साथ ही सभागर के लिए 40,000 रुपये का गलीचा विद्यालय को भेंट, गील संस्था के द्वारा 'स्वच्छ भारत योजना' के अन्तर्गत 5,000 रुपये राशि विद्यालय को भेंट।

जोधपुर

रा.उ.मा.वि. जाटी भाण्डू, पं.स. शेरगढ़ को श्रीमती मन्जु शर्मा से 80 लीटर क्षमता की बाटर कूलिंग मशीन लागत-30,000 रुपये, रा.उ.मा.वि. शिकारपुरा, तह. लुणी में श्री राजाराम मंदिर शिकारपुरा के राजर्जि योगीराज बाल ब्रह्मचारी संत श्री 108 दया गमजी महंत ने अपने गुरु श्री 1008 श्री किशनाराम महाराज की स्मृति में भवन दाता की श्रृंखला में 3 कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया जिनकी अनुमानित लागत 25,00,000 रुपये, श्री नाथ सिंह जोधा ने 10 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, श्री हुक्म सिंह राव व श्रीमती अंजु कुमारी प्राध्यापक प्रत्येक से 5-5 प्लास्टिक कुर्सियाँ, श्री अशोक पटेल से 6 छत पंखे व 6 ट्यूब लाईट, श्री महेन्द्र राव से एक कम्प्यूटर सैट, श्री गोविन्दराम व.अ. ने 5,000 रुपये की लागत से दीवार निर्माण कराई, श्री मोडाराम व श्री जैताराम, श्री तेजाराम से 1-1 छत पंखा प्राप्त। रा.उ.मा.वि. नाथडाऊ को श्री प्रेम सुख शर्मा (व.लि.) से एक बाटर कूलर प्राप्त हुआ जिसकी लागत-45,500 रुपये, श्री बाबूसिंह राठौड़, विधायक, राजस्थान विधानसभा, क्षेत्र शेरगढ़ से विद्यालय नाथडाऊ को 100 ट्री गार्ड सप्रेम भेंट जिसकी लागत 1,00,000 रुपये। रा.उ.मा.वि. खाडा मेवासा, ओसियां में सर्वश्री प्रकाश प्रजापत, बद्रीराम प्रजापत, गोविन्दराम द्वारा विद्यालय में 22X30 फुट के टीन शेड का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 51,000 रुपये श्री बाबू लाल डागा और श्री जगदीश पोटलिया से 3 पंखे प्राप्त, श्री लक्ष्मणराम और श्री मोहनराम से एक माइक सैट श्री रेवतराम से एक लेक्चर स्टेप्प ग्राम, श्री सतगिरी जी महाराज, श्री डालूराम इडी, श्री दीपाराम भाकर, श्री नैनाराम जाखड़, श्री गोरखाराम मेघवाल, श्री मोहन सिंह पीडियार एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से विद्यालय में चार दिवारी एवं 100 फर्नीचर एवं मंच का निर्माण करवाया गया।

झुंझुनूं

रा.आ.उ.मा.वि. भिर में श्री झुवीर (से. नि. अध्यापक) द्वारा 2,65,000 रुपये की लागत से माँ सरस्वती प्रतिमा (संगमरमर पत्थर) का मंदिर निर्माण करवाया गया, श्रीमती बसन्ती देवी (से.नि. प्रधानाचार्य) द्वारा 2,50,000 रुपये की लागत से दो अधूरे कमरों का निर्माण करवाया गया। रा.उ.मा.वि. सोनासर (अलसीसर) को श्री राजेन्द्र सिंह सिलाईच के द्वारा विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को टाई-बैल्ट वितरित किए गए।

शेष अगले अंक में
संकलन- प्रकाशन सहायक

विद्यालय प्रांगण से....



अन्नपूर्णा दूध योजना के अन्तर्गत राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर में कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए जिला प्रभारी तथा जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार डॉ रामप्रताप, अतिथिगण एवं गणमान्यजन।



राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन, अलवर के 'रेल स्वरूप' के अवलोकन पश्चात विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए संस्थाप्रधान के साथ रेलवे के अधिकारी एवं अतिथिगण।



राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आडसर, लूनकरणसर (बीकानेर) में कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण करते हुए संस्थाप्रधान, स्टाफ और अतिथिगण।



राजकीय माध्यमिक विद्यालय दांडू, (चूरू) में अन्नपूर्णा दूध वितरण योजना के शुभारम्भ अवसर पर शाला प्रांगण में पौधारोपण करते हुए अतिथिगण, संस्थाप्रधान व स्टाफ।



राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहवास (दौसा) में सरस्वती मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सम्बोधित करते हुए अतिथि एवं उपस्थित छात्र व ग्रामीण।



राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सोनगिरी कुआं, बीकानेर में साइकिल वितरण करते हुए अतिथिगण, संस्थाप्रधान व स्टाफ।



राजकीय उ.प्रा. विद्यालय डारों का मौहल्ला, बीकानेर में अपने स्तर पर केसर-बादाम व चीनी मिश्रित दूध विद्यार्थियों को वितरित करते हुए अतिथि एवं शिक्षकवृन्द।



राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूनकरणसर (बीकानेर) में कक्षा 9 की समस्त छात्राओं को समारोह में साइकिल वितरण किया गया।

28 जून 2018

24 वाँ राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह-2018

बिरला सभागार, जयपुर

